CONTENTS

Sixteenth Series, Vol.V, Third Session, 2014/1936 (Saka) No.5, Friday, November 28, 2014/Agrahayana 7, 1936 (Saka)

SUBJECT	PAGES
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question No.81 to 85	4-243
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos.86 to 100	244-325
Unstarred Question Nos.921 to 1150	326-929

 $^{^{*}}$ The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE	930-942
MESSAGES FROM RAJYA SABHA	943
STANDING COMMITTEE ON HEALTH AND FAMILY WELFARE	
80 th Report	944
STANDING COMMITTEE ON PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES, LAW AND JUSTICE	
72 nd Report	944
STATEMENT BY THE MINISTER	
India's stand in the WTO	
Shrimati Nirmala Sitharaman	946-951
BUSINESS OF THE HOUSE	952-956
ELECTIONS TO COMMITTEES	
(i) Indian Council of Medical Research(ii) Indian Nursing Council	957 958
MOTION RE: SIXTH REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE	959
SUBMISSION BY MEMBERS	
Re: 40 Indians reportedly abducted and killed by ISIS militants in Iraq	960-965
LABOUR LAWS (EXEMPTION FROM FURNISHING RETURNS AND MAINTAINING REGISTERS BY	
CERTAIN ESTABLISHMENTS) AMENDMENT BILL, 2014	977-1039
Motion to Consider	977-1024
Shri Bandaru Dattatreya	977, 1022-1024

Shri 1	Kodikunnil Suresh	977-980
Shri l	Hukum Singh	981-983
Shri l	R. Parthipan	984-986
Prof.	Saugata Roy	987-992
Rabin	ndra Kumar Jena	993-995
Shri l	B. Vinod Kumar	996-997
Shri S	Sankar Prasad Datta	998-1000
Shri `	Varaprasad Rao Velagapalli	1001-1002
Shri A	Adhir Ranjan Chowdhury	1003-1006
Shri 1	Rattan Lal Kataria	1007-1009
Shri 1	Dharam Vira Gandhi	1010-1011
Shri `	Y.S. Avinash Reddy	1012-1013
Shri l	E.T. Mohammad Basheer	1014-1016
Dr. A	run Kumar	1017
Shri J	Jagdambika Pal	1018-1019
Shri 1	P. Karunakaran	1020
Prof.	Sadhu Singh	1021
Claus	ses 2 to 6 and 1	1024-1038
Motio	on to Pass	1038-1039
	RE: FIRST REPORT OF COMMITTEE TE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS	1040
	MEMBERS' BILLS-Introduced	1041-1051
(i)	Compulsory Voting Bill, 2014 (By Shri Feroze Varun Gandhi)	1041
(ii)	Indian Penal Code (Amendment) Bill, 2014 (Substitution of new section for section 124A)	
	(By Shri Baijayant Jay Panda)	1042

28.11.2014 4

(iii)	Cigarettes and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Amendment Bill, 2014 (Amendment of section 3, etc.). (By Shri Baijayant Jay Panda)	1042
(iv)	Fast Track Courts for Elected Representatives	
	Bill, 2014	
	(By Shri Baijayant Jay Panda)	1042
(v)	Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill, 2014	
	(Substitution of new section 24, etc.) (By Shri Baijayant Jay Panda)	1043
(vi)	Special Financial Assistance to the State of West Bengal Bill, 2014 (By Prof. Saugata Roy)	1043
(vii)	Special Financial Assistance to the State of West Bengal Bill, 2014	
	(By Shri Adhir Ranjan Chowdhury)	1044
(viii)	Old Age Pension and Rehabilitation Bill, 2014	
	(By Shri Adhir Ranjan Chowdhury)	1044-1045
(ix)	Prevention of Female Infanticide Bill, 2014	
	(By Shri Adhir Ranjan Chowdhury)	1045
(x)	Agricultural Workers (Employment, Conditions of Service and Welfare) Bill, 2014 (By Shri Adhir Ranjan Chowdhury)	1045-1046
(xi)	Prohibition of Ragging and Unfair Practices in Educational Institutions and Universities Bill, 2014	
	(By Shri Rakesh Singh)	1046
(xii)	Compulsory Voting Bill, 2014	
	(By Shri Janardan Singh Sigriwal)	1046

28.11.2014 5

	(xiii)	Health Insurance (For Persons Living Below Poverty Line) Bill, 2014	
		(By Shri Janardan Singh Sigriwal)	1047
	(xiv)	Street Children (Rehabilitation and Welfare) Bill, 2014 (By Shri Rakesh Singh)	1047
	()		1017
	(xv)	Provision of Communication Facilities in Every Village Bill, 2014	
		(By Shri Rakesh Singh)	1048
	(xvi)	Acid Control, Prevention of Acid Attacks and Rehabilitation of Acid Attack Victims Bill, 2014 (By Shri Bhartruhari Mehtab)	1049
	(xvii)	Surrogacy (Regulation) Bill, 2014 (By Shri Bhartruhari Mehtab)	1049
	(xviii)	, ,	
		(Insertion of new article 371K) (By Shri Kirti Azad)	1050
	(xix)	Cow (Protection) Bill, 2014	
		(By Shri Chandrakant Khaire)	1050
	(xx)	Provision of Compensation to Farmers Affected	
		by Natural Calamities Bill, 2014 (By Shri Chandrakant Khaire)	1050-1051
		HIMALAYAN STATES DEVELOPMENT	
COU	NCIL I	BILL, 2014	1052-1090
	Dr. Ra	nmesh Pokhriyal 'Nishank'	1052-1060 1088-1090
	Shri M	Iohammad Salim	1061-1065
	Shri R	ajesh Ranjan	1066-1071
	Shri Ja	agdambika Pal	1072-1075
	Shri R	am Swaroop Sharma	1076
	Shri A	nurag Singh Thakur	1077-1080
	Shri D	Oushyant Singh	1081-1083

Shri Bhagwant Mann	1084
Rao Inderjit Singh	1085-1087
Bill Withdrawn	1090
ANNOUNCEMENT BY THE CHAIR	1091
ACID CONTROL BILL, 2014	
Motion to Consider	1091
Dr. Kirit P. Solanki	1091-1094
ANNEXURE – I	
Member-wise Index to Starred Questions	1100
Member-wise Index to Unstarred Questions	1101-1105
ANNEXURE – II	
Ministry-wise Index to Starred Questions	1106
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	1107

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi
Shri Hukmdeo Narayan Yadav
Prof. K.V. Thomas
Shri Anandrao Adsul
Shri Prahlad Joshi
Dr. Ratna De (Nag)
Shri Ramen Deka
Shri Konakalla Narayana Rao
Shri Hukum Singh

SECRETARY GENERAL

Shri P.K. Grover

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Friday, November 28, 2014/Agrahayana 7, 1936 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER in the Chair]

DR. KAKOLI GHOSH DASTIDAR (BARASAT): Madam, I have given notice of Suspension of Question Hour to raise a very important issue particularly about the reduction on the amount under MNREGS. Crores of people in the country are affected and there are starvation deaths.... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन ऑवर का नोटिस मिला है। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे रूल्स में यह बात नहीं है।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Let me complete it.

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: दूसरी बात यह है कि मनरेगा की जो बात आपने कही है, परसों भी मैंने ज़ीरो ऑवर में यह बात उठाने दी थी। मंत्री जी ने भी जवाब दिया था कि इसको बंद नहीं कर रहे हैं। Again, if you want any discussion on the subject, it can be allowed. आप रूल्स के अनुसार नोटिस दे दीजिए। इस पर पूरी चर्चा भी हो सकती है। अगर आप शून्य काल में उठाना चाहें तो आपको अनुमित दी जा सकती है।

...(व्यवधान)

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय (कोलकाता उत्तर): मैडम, आज भी शून्य काल में यह विषय उठाने के लिए अलाऊ कीजिए। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Now, Question Hour.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: I will allow you during the' Zero Hour'.

...(व्यवधान)

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू): मैडम, मेरी सदस्यों से एक विनती है कि शून्य काल में रेज़ करने से समस्या का समाधान नहीं होगा, यह सोचिए, नहीं तो स्ट्रक्चर्ड नोटिस दे कर मंडे, ट्यूज़डे या वैडनसडे में कभी भी आप जैसा चाहें, चर्चा कर सकते हैं। ...(व्यवधान) कल राज्य सभा में कॉलिंग अटेंशन में विस्तार से चर्चा हुई। ऐसा ही कुछ

अच्छा प्रावधान आप भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ शून्य काल में आधा-एक मिनट मिलेगा, फिर उसका कोई फायदा नहीं होगा। उसमें उत्तर देने के लिए मंत्री भी नहीं होंगे। ...(व्यवधान)

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय: मैडम, हम लोग सहमत हैं, लेकिन आज ज़ीरो ऑवर में भी इस विषय को उठाने का मौका दिया जाए। ...(व्यवधान)

HON. SPEKAER: If you want to only raise it, it is all right.

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: If you want to mention it only, I will allow you. अगर आप वास्तव में चर्चा चाहते हैं तो किसी अच्छे नियम के तहत नोटिस देना चाहिए।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: But this is not the way.

...(व्यवधान)

श्री मिल्लकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : मैडम, आज नायडु जी ने उदारता दिखाई है, उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, वे हमेशा उदारता दिखाते हैं, आप अवसर तो दीजिए।

...(व्यवधान)

11.01 hrs

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

HON. SPEAKER: Question No. 81, Shri Prataprao Jadhav.

(Q.81)

श्री प्रतापराव जाधव: अध्यक्ष महोदया, देश के औद्योगिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए सरकार का प्रयास होता है और वह विकास बढ़ता रहना चाहिए, जिससे देश में उद्योग-धंधे बढ़ें, लोगों को रोज़गार मिले। मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि गत तीन सालों से औद्योगिक विकास कम रहा है और सन् 2013-14 में औद्योगिक विकास दर नेगेटिव हो गया है। इसके कई कारण हैं, परंतु असली कारण हमारे देश का विनिर्माण संबंधी जो ढांचा है, उद्योगों को बिजली नहीं मिल रही है, अच्छी सड़कें नहीं हैं, देश में जो सरकारी नीतियां हैं, वे देश के विकास में सहयोग करने की बजाय, उसमें बाधा पैदा कर रही हैं। देश में प्रचुर मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध होने के बावजूद, देश में उसका उत्पादन नहीं हो रहा है। कच्चे माल को निर्यात किया जा रहा है। 12वीं योजना में 7.6 प्रतिशत औद्योगिक विकास दर को प्राप्त करना है, लेकिन इसे प्राप्त करना मुझे असम्भव लगता है।

महोदया, मेरा पहला पूरक प्रश्न है कि गत वर्ष के दौरान किन राज्यों या संघ नियन्त्रित राज्यों ने औद्योगिक उत्पादक सूचकांक 5 प्रतिशत से ज्यादा हासिल किया है।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: It is true that the industrial growth has been very happy news for the country. Although I would put on record that after this Government has come to power, industries which have been mentioned, between April and September of 2014, have actually recorded a positive growth for the first time in the country in the last three years. It has recorded 2.8 per cent growth between April and September 2014. Whilst the hon. Member is right in pointing out decline in the growth which happened between 2011 and 2012; it has declined from 2.9 per cent at that time to 1.1 per cent in 2012-13; and even worse, ending March, 2014, it has come down to -0.1 per cent. However, I am glad to say, and I hope this trajectory of growth will keep moving towards a positive note that the first half of 2014-15 has recorded a 2.8 per cent growth. So, there is a positive movement, after steady and continuous decline.

The reasons for decline, of course, have been variously spoken about. First of all, there has been a complete moderation of domestic demands, as a result of which industry had the reason to produce more; there is also inflationary pressure increasing the input cost, and slow down of economies all over the world which had a bearing on India also. As it is, the reasons for decline in the industrial growth are very fairly discussed, and we have also notified that earlier in the answers given in Parliament.

श्री प्रतापराव जाधव : महोदया, माननीय मंत्री महोदया ने यहाँ पर स्वीकार किया है कि हमारी जो विकास दर है, वह निगेटिव हो गयी है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से पूछना चाहूँगा कि क्या सरकार ने देश की औद्योगिक विकास दर के निगेटिव होने पर कोई जाँच, कोई समीक्षा या कोई अध्ययन करवाया है और अगर हाँ तो उसके परिणाम क्या हैं?

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: If I understand the word `जाँच' correctly, we are not doing any kind of enquiring into it but these data keep coming as a matter of statistical information. What the Government has done after coming to power in May is to take immediately a lot of steps which will help ease doing business, which will encourage and stimulate production. I can list a whole lot of things which have been repeatedly spoken in this august House.

Firstly, the FDI policy - we have simplified the procedures in many of the sectors; conducive business environment has been built up by many of the decisions taken by the Government which have actually removed a lot of hurdles for establishing business units. We have also de-listed a lot of production-related licensing from having to go through the rigour of licensing and seeking permission as a result. There is a general good that buzz has been created around the ecosystem which is conducive for production. We had also, glad to say, de-listed many of the Defence industries. Other than the list of industries for whom we have made sure that the licensing period's duration has been extended from two to three years; and that itself has removed a lot of stress for industrial houses. From three years, it was further extended to seven year period. As a result, we find that the

annual capacity in industrial licensing can improve and deregulations can help in annual speedier production. The recent amendments to the FDI policies which included FDI in defence up to 49 per cent; and FDI in railway infrastructure, also have been increased.

श्री चन्द्रकांत खेरे : अध्यक्ष जी, औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए तथा औद्योगिक क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के तहत ई-बिज़ मिशन मोड परियोजना की शुरुआत की है तथा दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर - डीएमआईसी परियोजना का कार्यान्वयन किया है। इसके साथ और भी कॉरिडॉर्स का निर्माण किया है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह कॉरीडोर निर्माण करने के लिए वहाँ का इनफ्रास्ट्रक्चर बहुत महत्वपूर्ण है अभी मेरे संसदीय क्षेत्र संभाजीनगर औरंगाबाद में बिडिकन और शेन्द्रा परिसर में दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर के लिए वहाँ किसानों की ज़मीन का अधिग्रहण किया गया।

में पहला निवेदन करना चाहता हूँ कि वहाँ किसानों को उनकी ज़मीन का अच्छा दाम मिलना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ जो इतना बड़ा एरिया डीएमआईसी का होने वाला है, वहाँ इनफ्रास्ट्रक्चर में इंडस्ट्री के लिए काफी पानी की आवश्यकता होगी। वहाँ यदि जायकवाडी प्रोजैक्ट से हम पानी लेना चाहेंगे तो उसकी क्षमता पहले से बहुत कम होती जा रही है। वहाँ वालुज, शेन्द्रा, चिकलथाना इंडस्ट्रियल एरिया में पानी बहुत कम है। मैं कहना चाहूँगा कि इनफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी सरकार को कदम उठाना चाहिए। उसमें अहम मुद्दा पानी का है। इंडस्ट्री को हमें पानी देना है तो उसके लिए इसके लिए आस-पास किसी डैम का निर्माण करके पानी की उपलब्धता का ध्यान रखना चाहिए तथा वहाँ अच्छी सड़कें बननी चाहिए। इससे वहाँ इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा मिलेगा, दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर बढ़ेगा तथा वहाँ की अनइंप्लॉयमैंट प्राबलम भी सॉल्व होगी। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहूँगा कि ज्यादा से ज्यादा इनफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार को ज़ोर देना चाहिए, इसके लिए आप क्या करना चाहते हैं?

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I take the hon. Member's concern for giving a comprehensive look at the infrastructure and requirements in such areas into consideration. I would certainly look into it.

श्री राजीव सातव: अध्यक्ष जी, यह प्रश्न इंडस्ट्रियल ग्रोथ से रिलेटेड है और देश में कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बैकवर्ड हैं, जिनमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ ज़ीरों के आस-पास है, जैसे मेरा क्षेत्र हिंगोली ज़िला है जहाँ से मैं आता हूँ। देश के ऐसे जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, क्या सरकार उनके लिए कुछ अलग से पॉलिसी बनाने की दिशा में सोच रही है?

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: As it is, the corridors about which we are repeatedly talking, which is on all sides of the country – whether it is Delhi-Mumbai, Amritsar-Kolkata down to Vishakapatnam to Chennai to Bengaluru to Mumbai are actually envisaged like spinal cords around which we are going to look at districts which are definitely backward, and focus to see as to what are the kind of activities which can be built or given stimulus in those areas. However, if the hon. Member has a concern particularly about the areas which he represents, he can approach the Ministry.

डॉ. सुभाष रामराव भामरे : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभार प्रकट करते हुए आपके माध्यम से मंत्री महोदया से जानना चाहता हूँ कि दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। यह महाराष्ट्र में मेरे क्षेत्र धुलिया जिले से गुज़रती है। औरंगाबाद में काम शुरू हो गया है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि मेरा क्षेत्र धुले जो बैकवर्ड रीजन है, वहाँ का काम कब शुरू होने वाला है?

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Specific cases of which part of a corridor will be developed from when, is at the moment very difficult to commit. I will certainly find out information on this, and get in touch with the Member.

(Q.82)

SHRIMATI RAKSHATAI KHADSE: National Pharmaceutical Pricing Authority has abolished guideline. With the result, life saving drugs meant for Cancer, TB, Heart Disease, BP and Diabetes-controlling drugs have become costlier. Will the hon. Minister inform this House what is the reason for waiver of these guidelines?

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Madam Speaker, the question is related to the bulk supply of drugs from China and it is also related to other countries from where we are getting bulk supply. The answer, which is laid on the Table of the House, is very clear about it. The statement is clear.

इन्ह्यन यह जो प्रश्न किया है कि दवाइयां महंगी हो रही हैं, उसको हम रेगुलेट करने का प्रयास कर रहे हैं। रेगुलेट करने के लिए हमारी जो बॉडीज हैं, वे उसे समय-समय पर देख रही हैं। हमारी कोशिश है कि हम अपने देश के अंदर फार्मास्यूटिकल्स को ज्यादा-से-ज्यादा बढ़ावा दें और बढ़ावा देने के साथ-साथ उनकी मेडिसिन्स सस्ती हो सकें, इसके लिए भी हम प्रयासरत हैं।

SHRIMATI RAKSHATAI KHADSE: Madam, is the Government discouraging Indian pharmaceutical firms from importing bulk drugs and encouraging them to make them in India and is it also engaging in active pharmaceutical ingredient promotion?

श्री जगत प्रकाश नड्डा: मैडम स्पीकर, ड्रग्स में ये जो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस के ड्रग्स हैं, इसमें हमारी कोशिश है कि हमारी जो इंडीजनस इंडस्ट्री है, वह डेवलप हो। लेकिन अभी हम इन्हें चीन से इसलिए ले रहे हैं, क्योंकि इसमें एक तो उनकी प्राइसेस का विषय आता है। वहां से बहुत चीप मेडिसिन्स आ रही हैं और इसलिए हमारी इंडस्ट्रीज उन्हें बल्क सप्लाई में ले रही हैं। दूसरी बात यह है कि उसके लिए जो एफ्ल्यून्ट सिस्टम और इनवायरनमेंटल कंडीशंस होनी चाहिए, उन इनवायरनमेंटल कंडीशंस को हम क्रियेट करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे-जैसे वह इनवायरनमेंटल क्रियेशन होगा तो एंटी मायक्रोबियल रेसिस्टेंस के जो ड्रग्स हैं, उन्हें हम ज्यादा-से-ज्यादा अपने देश में ही प्रोड्यूस कर सकें, इस बात के लिए हम प्रयासरत हैं।

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा: मैडम स्पीकर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विदेशों से जो दवाइयां आ रही हैं, वे महंगी हैं। ब्रांडेड दवाइयां 200%-300% ज्यादा महंगी मिलती हैं। हमारी सरकार और

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी सलाह दी है कि जेनेरिक दवाइयां दी जाएं। हमने एक खबर पढ़ी है कि राजस्थान के एक जिले में एक सी.एम.ओ. ने अपने जिले में यह कह दिया कि यहां जेनेरिक दवाइयां ही बांटी जाएंगी। क्या यह सारे देश में संभव नहीं हो सकता, क्योंकि, गरीब व्यक्ति के लिए चिकित्सा बहुत महंगी हो रही है? अगर किसी की टांग दुखती है तो उसमें चेक-अप के नाम पर उसके बाजू को भी चेक किया जाता है, सिर को भी चेक किया जाता है। आज दवाइयां बहुत महंगी हो गयी हैं। जैसे राजस्थान के एक जिले में जेनेरिक दवाइयां दी जा सकती हैं, अगर ऐसा सारे देश में हो जाए तो गरीब लोगों को सस्ती दवाइयां मिल पाएंगी, क्या मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे?

श्री जगत प्रकाश नड्डा: मैडम स्पीकर, पहली बात तो यह है कि एंटी माइक्रोबियल डिज़ीजेज लगातार बढ़ रही हैं। वर्ष 2005 से इस बात को नोटिस किया गया और वर्ष 2010 में इसके लिए एक टास्क फोर्स बनायी गयी। उस टास्क फोर्स के द्वारा कुछ रिकमेंडेशंस आयीं और उन रिकमेंडेशंस को ध्यान में रख कर नेशनल प्रोग्राम फोर कंटेनमेंट ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस और रेशनल यूज़ ऑफ ड्रग्स, इनके ऊपर ज़ोर दिया गया। हमारे यहां इर्रेशनल यूज़ ऑफ ड्रग्स बहुत हुआ। इसके कारण इन डिज़ीज़ में निरंतर बढ़ावा हुआ है।

इसके साथ-साथ इनकी जो दवाइयां हैं, इसके लिए हम लोगों ने और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी अपनी तरफ से बहुत-सी कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग का प्रोग्राम किया, जिसमें डॉक्टरों को यह सजेस्ट किया गया है कि हम रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स और जेनेरिक मेडिसिन्स, दोनों पर ज़ोर दें। इसे हम रेगुलेट करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक इनवायरनमेंट बनाने की जरूरत है। हम यह कहते तो हैं कि हम जेनेरिक मेडिसिन्स यूज़ करें, लेकिन हम देखते हैं कि जब इन्हें यूज़ करने की बात आती है तो हम खुद भी ब्रांडेड मेडिसिन्स की तरफ जाते हैं, जो महंगी होती हैं। इसलिए इस पर एक इनवायरनमेंट बनाने की जरूरत है। हम इस पर कंटीन्यूड मेडिकल एजुकेशन के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा-से-ज्यादा लोगों को इसके बारे में अवगत कराया जाए, इसके बारे में अवेयरनेस पैदा की जाए। डॉक्टर्स के बीच में, मेडिकल फ्रैटरनिटी के बीच में भी इसके बारे में समय-समय पर कॉन्फ्रेंसेज और वर्कशॉप्स के माध्यम से हम उन्हें इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि वे जेनेरिक मेडिसिन्स के यूज़ को बढ़ाएं। लेकिन ओवरऑल एनवायरमेंट बनाना सिर्फ एक तरफ से नहीं होगा, इसलिए हमें सभी लोगों को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा और हम उसके लिए प्रयासरत हैं। उसमें हमें आप सब लोगों की भी मदद की आवश्यकता होगी। कल ही एक प्रश्न आया, जहां हम सी.जी.एच.एस. की तरफ से जेनेरिक मेडीसिन देने की बात कर रहे हैं। हमारे ही बहुत से मित्रों ने उस बात को थोड़ा सा दूसरे रूप में लिया है। We have



to see to it that we propose and support generic medicines. उसमें हमें सब लोगों का साथ चाहिए।

DR. K. KAMARAJ: Thank you, Madam. Through you, I would like to ask the Minister regarding the availability of spurious medicines in the market. As you know, in Chhattisgarh, spurious medicine was a reason for the sterilization deaths. How did the drug come to the market?

Another thing is, a spurious drug which is used in the treatment of the patients who underwent sterilization is ciprofloxacin. As a doctor I know that ciprofloxacin is not advisable in the case of the pregnant women and nursing women. How is it that in a National Health Programme, ciprofloxacin drug is used?

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Madam, as far as the first question is concerned, spurious medicines के लिए हम लोग हमेशा रैगुलेट कर रहे हैं। हमारे यहां ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया उसको देख रहे हैं। स्टेट्स की इसमें कोऑपरेशन की आवश्यकता है कि स्टेट भी कोऑपरेट करें। But we have to go much ahead. इसके लिए जितना भी प्रयासरत होने की आवश्यकता है, वह हम कर रहे हैं। इन्होंने जो एक मैडीसिन का प्रश्न किया है, उसके लिए अगर अलग से प्रश्न करेंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा।

DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT: Madam, these days the anti-biotic resistance is increasing day by day. Multi-drug resistance due to widespread and indiscriminate use of antibiotics is a major reason. We usually see a person who is suffering from some kind of fever or some other infection goes to a doctor and takes some medicine. The next time when he has fever, he does not go to a doctor. He takes the strip; he goes to the pharmacist and takes the medicine. That is one of the reasons how the multi-drug resistance species occurs. There is a Government notification which says that a pharmacist should dispense only on receiving a prescription from a doctor; but it is not being followed strictly. This is what has been observed.

I would like to know from the hon. Minister whether the Government is going to make any strict policy that a pharmacist should dispense only on receiving a prescription from a doctor and keep a record of the name of the doctor and the registration number and the drug prescribed. Thank you, Madam.

श्री जगत प्रकाश नड्डा: अध्यक्ष महोदया, मैंने कहा कि एक अवेयरनैस प्रोग्राम रेशनल यूज़ ऑफ ड्रग्स चल रहा है। उसमें हमारी यह कोशिश चल रही है कि सभी लोगों के बीच में इस बात को ध्यान में रखा जाए, लेकिन टास्क फोर्स बनने के पश्चात् एच-वन शेड्यूल में कुछ मैडिसिन्स को हम लोगों ने रखा है, जो without prescription, the name of the patient and from which dispensary or from which chemist shop. वह मैडीसिन दी गई है, किस को दी गई है, यह रजिस्टर पर एंट्री करने की आवश्यकता है। डाक्टर के प्रैसक्रिप्शन के बगैर वह नहीं किया जा सकता। इस मैडीसिन पर भी स्पेशल लेबल लगाना पड़ता है, जिसमें रैड से आर.एक्स. लिखना पड़ता है। यह मैडीसिन विदाउट प्रैसक्रिप्शन नहीं दी जा सकती।

DR. RATNA DE (NAG): Madam, of late, banning of the controversial drugs has become the order of the day. Some time back, the Health Department of the Central Government has taken a laudable decision to ban six controversial drugs. This is a welcome step. I can say that antibiotic is a specialized medicine. I know its impact on oneself.

Would the hon. Minister respond to the use of antibiotics as to what is the thinking of the Ministry on the use of antibiotics?

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Can you kindly repeat your question? I did not follow it.

HON. SPEAKER: Please put your question again. He has not followed it.

DR. RATNA DE (NAG) : Would the hon. Minister respond to the use of antibiotics as to what is the thinking of the Ministry on the use of antibiotics?



I will say one thing here. Hon. Minister has said that it is generic medicine. It is not generic medicine, it is generic name.

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Madam Speaker, as I told you earlier, first of all we are very much clear in that. We have proposed to see that there should a rational use of drugs. We are also trying to increase the use of generic medicines. Generic medicine is available in the markets.

(Q. 83)

SHRI P.K. BIJU: Madam Speaker, we are at number one position in arms import in the world today. We are contributing 12 per cent to the total arms import in the world. UAE, China and other countries are far behind us in arms import. As per the sources available, we spent almost 8,283 million US dollars in a year for importing arms.

As per the answer given by the Minister on the Floor of the House, we spent Rs. 30,370.80 crore in 2012-13 and Rs. 93,260.93 crore in 2013-14 to import arms from abroad.

I would like to know from the Minister, through you, as to what steps are being taken or going to be taken by the Ministry to reduce spending on arms import and increase our export. We have launched our space vehicle successfully towards Mars. We have produced indigenous arms but our export is nil.

SHRI MANOHAR PARRIKAR: Madam Speaker, I would first like to correct the figures of the hon. Member. I think, he has added a wrong column. It is Rs. 30,370.80 crore and Rs. 38,202.66 crore. The figure of Rs. 93,260.93 crores is the total procurement.

Government has already initiated steps to reduce the dependence on imported material. For that, since this Government came to power, we have cleared AONs granted by DAC.... (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY: What is AON and DAC?

SHRI MANOHAR PARRIKAR: It is 'Acceptance of Necessity' (AON) and Defence Acquisition Council (DAC). It is Rs. 48,417 crore under 'Buy (Indian)' category plus 'Buy & Make (Indian)' category adds up another Rs. 17,270 crore. It is making it to Rs. 65,000 crore under the category which is basically towards indigenization. Only Rs. 10,000 crore have been approved for 'Buy (Global)' and Buy & Make (Global). I think, with this figure, the intention of the Government is very much clear.

In case of export also we have taken a number of steps to create proper infrastructure. It is basically related to arms and armaments. There has to be a proper mechanism to decide to whom to import and which items to import. The items also will need to be listed in the sensitivity list and the countries also need to be put up in the sensitivity list. So, these two actions are being initiated. Arm export has already, I think, got a boost, and the actual export might take some more time to happen. It is already taking place but in a very small quantity. The increase will take place over a period of time.

SHRI P.K. BIJU: Madam Speaker, the answer given by the hon. Minister says: "All the defence equipment procured by the defence forces goes through extensive field evaluation trials before being contracted. Post contract, an institutionalized system of Pre Dispatch Inspection (PDI) and the Joint Receipt Inspection (JRI) exist for ensuring defect and reliability issues are restricted to the bare minimum."

What is the present status of the Agusta Westland Helicopter deal and Tatra Trucks corruption scandal, which happened earlier?

SHRI MANOHAR PARRIKAR: Madam, the deal has been scrapped. In fact, the full deal is being investigated and it is in a quite advanced stage of investigation.

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल: माननीय अध्यक्षा जी, आज विश्व भर में लगातार बदलती भू-राजनीतिक परिस्थितियों के कारण, देश के सामने सुरक्षा बनाए रखने की कई चुनौतियां हैं। इसके तहत, मैं आपके माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि क्या थल सेना, वायु सेना और नौ सेना के पास अत्याध्निक हथियारों की कमी है तो इनकी परिपूर्ति के लिए सरकार ने क्या योजना बनाई है?

श्री मनोहर परिकर: मुझे लगता है कि इसके बारे में डिटेल्स 'एनैक्सचर-3' में ऑलरेडी लिस्टेड हैं कि 'steps taken to make the country self reliant'. जो चीजें हम लोग देश में बना सकते हैं, उनको ज्यादा पुश करने की सरकार की इच्छा है, because the Government is trying to stress on 'buy' Indian or at least 'buy and make' Indian. However, there are certain items which may not be economical to be manufactured in the country. I think, for those items we will have to depend on the global supply.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Madam Speaker, in the reply the Minister has stated that the Defence Production Policy, which was promulgated in the year 2011, is being followed for achieving self-reliance. On the other hand, the Government is opening the door for Foreign Direct Investment. I do not know whether FDI will be in conflict with indigenization of defence equipment acquisition policy.

The Minister has also sated about 'buy Indian' and 'buy and make Indian' and 'make' categories of acquisition over 'buy and make' and 'buy global' categories thereby giving preference to Indian industry in procurement.

May I draw the attention of the Minister that 'buy and make' with transfer of technology is the principal category of capital acquisition relied upon under India's defence procurement procedure for encouraging domestic manufacturing of foreign origin equipment. That is number one. But in the management of Intellectual Property Rights, whether in procurement of manufacturing contracts such as 'Buy and make' or public funded R&D cum production contract such as 'make' cases or licensing of DRDO developed technologies, for that matter, whether it has remained an unaddressed area. If so, what is your thinking on this issue because Intellectual Property Rights is a very important issue?

SHRI MANOHAR PARRIKAR: I think this will have to be decided based on each specific case. It will be very difficult to speak about Intellectual Property Rights vis-à-vis 'Make India'. Obviously, if some Indian company develops a product, it will like to have IPR but that is within the country. A foreign supply or global supply also has the issues of IPR. We cannot make foreign parts by *Juggad* or any other formula unless we have a licence from them. So, IPR issues are in all types. Each individual case will have to be tackled separately.

SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY: Madam Speaker, thank you for the opportunity.

The Minister in his response presented some figures relating to indigenous and imported components in procurement. While the figures may be accurate, I

think they do not present the complete picture and they are, in fact, misleading. My question is, in the indigenous procurement, for example, the number shows that in the case of Army indigenous procurement it is 93 per cent. We should all be very proud of it. In Navy, it is 43 per cent and in Air Force, it is 48 per cent. In total, 59 per cent of our procurement is indigenous. We should actually be proud.

But the figures hide certain other facts, that is, in the indigenous products I know several components. For example, I am assuming most of the missiles are shown as indigenous. They are mostly made in Hyderabad, Telangana. But I know for sure that all the components that go into the missile are imported. So, I would like to know that in the indigenous category that you have shown, how much the imported component is. For example, in all the inertial guidance systems, the actual sensors are 100 per cent imported. I can name 100 components which are 100 per cent imported. So, I think the figures reveal less and hide more. So, can we have the actual import components in all our defence procurements, including the components that you are procuring as indigenous products?

SHRI MANOHAR PARRIKAR: I agree with his statement that figures always hide more than what they reveal. That is the basic principle of statistics.

Madam Speaker, I would only like to tell him that when we say indigenous, it is manufactured here with, in most of the cases, more than 50 per cent indigenization, and quite a few cases of 70, 80 and 90 per cent. Madam, 100 per cent indigenization is in a very few items. I do agree with it. Obviously, since the data is dividing only between imports and making it in India, you are not getting sub-components of it. But I can assure you that I have focused on it and we will ensure, over a period of time, indigenous content. In fact, the first few signals, which I have given, have been indicated to the DRDO and all other manufacturers, particularly to the Defence PSUs that they should go on increasing the indigenous component. There is a limit to it. Obviously, certain technology and certain components may not be economical to be manufactured in India or may not be available. But we will definitely improve the indigenous content.

PROF. SAUGATA ROY: Madam, I thank the Defence Minister for being so forthright. He has taken up the charge newly. I understand that the Defence Ministry is caught in a catch-22 situation. On the one hand, our efforts at indigenization are all having time overruns. For instance, the light combat aircraft had a time overrun of several years. The medium battle tank had a time overrun of several years. Only in the field of missile technology, has the defence research been somewhat successful. In the meantime, after this Government came to power, the Government decided to have 49 per cent FDI in defence. Faced with the situation, he is finalizing jets.

HON. SPEAKER: Please ask the question.

PROF. SAUGATA ROY: I will put the question in one minute.

You are now finalizing the Rafale jets for Air Force from France. You have scrapped Westland helicopters and you are trying to finalise Sikorsky from USA. What is your long-term plan? Are you trying to indigenize by which process you will delay acquisition of vital defence equipment? Or, are you trying to build a manufacturing base with the help of foreign direct investment?

SHRI MANOHAR PARRIKAR: Madam Speaker, the question is very important. But I would like to say that where the defence acquisition has reached a very critical stage, almost come to the end, I think we will stick to RFP. Within the parameters of RFP, we will try to expand the maximum benefit or make some components in India

PROF. SAUGATA ROY: What does RFP mean?

SHRI MANOHAR PARRIKAR: RFP means Request for Proposals that is a tender in local LAN. So, in RFP, within whatever the parameters are there, where the acquisition has almost come to an end, I do not think it will be prudent to cancel it and go for all over again. Instead of that, we will stick to RFP and try to expand the benefits that we can get within the scope of RFP for manufacturing components in India or whatever we can do about it. As far as the new acquisition is concerned, I am very clear and we have made it very clear that after this



Government came to power, out of Rs.75,000 crore proposals which have been cleared by the DAC, Rs.65,000 crore, that means, almost 80-82 per cent is for the 'Buy Indian' and 'Buy and Make Indian' acquisition. So, the stress of the Government is for the development of the indigenous production capacity also with the help of private players wherever it is possible.

PROF. SAUGATA ROY: What about FDI?

SHRI MANOHAR PARRIKAR: FDI is 49 per cent. Nirmala Ji and Jaitley Ji have already said it very clearly that up to 49 per cent is permitted.

28.11.2014 26

(Q.84)

श्री अश्विनी कुमार: अध्यक्ष महोदया, सरकार के एक सर्कुलर द्वारा सीजीएचएस कि डिसपेंसरी वही दवाइयां मरीजों को उपलब्ध कराती हैं जो उनके द्वारा जारी की गई लिस्ट में शामिल हो। मिसाल के तौर पर अगर गवर्नमेंट डॉक्टर ब्लड प्रेशर या डॉयबिटिज के लिए कोई टेबलेट लिखते हैं जिसमें दो-तीन सॉल्ट होते हैं तो सीजीएचएस वाले एक टेबेलट की बजाए दो या तीन टेबलेट देते हैं क्योंकि जेनेटिक टेबलेट में दो या तीन सॉल्ट हो ही नहीं सकते, तर्क यह दिया जाता है कि जेनेटिक दवाइयां सस्ती हैं। डॉक्टरों ने भी जेनेटिक दवाइयों की अनफार्मिटी एवं क्वालिटी पर सवाल उठाए हैं। सस्ती दवाइयों के नाम मरीजों की जिन्दगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। महोदया, मेरा पहला सवाल यह है कि क्या सरकार सीजीएचएस डिसपेंसरी द्वारा बीपी, डॉयबिटीज या दूसरी अन्य बीमारियों के लिए भरोसेमंद टेबलेट जिसमें दो या तीन साल्ट हों और डॉयबिटीज के इंजेक्शन मुहैया कराने के लिए सीजीएचएस डिसपेंसरी ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको छोटा प्रश्न पूछना चाहिए। मंत्री जी आपकी बात समझ गए।

श्री जगत प्रकाश नड्डा: अध्यक्ष महोदया, जो इन्होंने चिंताएं व्यक्त की हैं उस बात को ध्यान में रखते हुए इस इश्यू को मंत्रालय फिर से रि-विजिट कर रहा है और एक डॉयरेक्टर जनरल सीजीएचएस के नेतृत्व में एक कमेटी फार्म करके एक महीने में हम We will come out with the outcomes नया नोटिफिकेशन के साथ हम इन सारी चीजों को और मैं अपने सांसद भाइयों और मित्रों से भी निवेदन करूंगा कि अगर उनके कुछ सुझाव हों तो वे मुझे दे सकते हैं। That will be taken care of.

माननीय अध्यक्ष: मुझे लगता है कि अब सेंकेंड सप्लीमेंटरी तो नहीं होगी।

श्री अश्विनी कुमार : महोदया, सरकारी क्षेत्र में दवाइयां बनाने वाली कंपनियां जैसे इंडियन ड्रग्स एंड फर्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल), हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स और बंगाल केमिकल्स लंबे समय से बंद पड़ी हैं। क्या सरकार इन कंपनियों को फिर से चालू करने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है? जिससे मरीजों को कम कीमत पर जरूरी दवाइयां उपलब्ध करायी जा सकें।

श्री जगत प्रकाश नड्डा: अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य का प्रश्न मूल प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं है। वे अलग से प्रश्न करें तो उन्हें जरूर जवाब दिया जायेगा।

KUMARI SHOBHA KARANDLAJE: Hon. Speaker, medicines are the only items where the decision to buy is taken not by the purchaser but by the prescriptioner, that is, the doctor. In most of the cases, prescriptioners and producers join hands and take advantage of the patients' helplessness.



Also, the present National Pharmaceutical Pricing Authority, NPPA, has no jurisdiction over the pricing of new patented medicines with the result that they are being sold at fancy prices so that many of the live-saving drugs are not affordable for the poor. I want to know from the hon. Minister whether he can adopt the model being followed in Tamil Nadu where the generic medicines are procured in bulk by the State Government Agency directly from the manufacturers and are supplied free of cost through the Supply Chain Management System to the general public.

Many of the generic drug stores are lying defunct across the country. There is an urgent need to make available all medicines by their generic names at reasonable prices. What steps will the Government take to open new generic medicine stores up to *tehsil* level at least and also to ensure the quality in generic medicines?

श्री जगत प्रकाश नड्डा: अध्यक्ष महोदया, वैसे तो यह प्रश्न मूल प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं है, फिर भी जैसा मैंने कहा कि जेनेरिक मेडिसन्स का इस्तेमाल होना, रैशनल यूज ऑफ ड्रग्स को प्रोपैगेट करना, यही दो तरीके हैं। इन्होंने तिमलनाडु मॉडल के विषय में कहा है तो बहुत से स्टेट्स ने उसे अपने यहां इम्प्लीमैंट करने की कोशिश की है। केन्द्र सरकार के स्तर पर हम लोग अपने ढंग से उसकी मूल भावना को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं।

SHRI DHARAM VIRA GANDHI: I want to draw the attention of all the esteemed Members towards the fact that drugs in the market are sold under two names – generic name and branded name. The prices of the drugs which are sold in generic names are much more higher than they really cost. For example, the price written on a strip of ten tablets is Rs. 84 whereas we get it at only Rs. 9 or Rs. 10. So, the margin is 800 per cent even in selling of generic drugs. I think, the hon. Minister should take care of this aspect.

माननीय अध्यक्ष: आपका प्रश्न क्या है?

SHRI DHARAM VIRA GANDHI: The question is this. If the generic medicines are to be provided cheaper to the consumers, they should be priced at the rate at which we are getting them from the market.

श्री जगत प्रकाश नड्डा: अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य अगर ऐसे केसेज ध्यान में लायेंगे तो मंत्रालय उसे जरूर देखेगा।

SHRIMATI P.K. SHREEMATHI TEACHER: Madam Speaker, in this question, we are discussing about the branded names and generic names, but for the poor people, it is not a question of branded name or generic name. In our society, one of the biggest challenges now is cancer. Day by day the patients of cancer are increasing in our State also.

Madam, cancer can be treated and cured, but how can a patient buy anticancer drugs and recover without getting proper medicines? Most of the poor patients are dying of cancer. So, I would like to know whether the hon. Minister and the Government is ready to provide free medicine for cancer patients, as such Govt. of India is providing for tuberculosis, leprosy and so many other diseases. I would like to know whether the Government is ready to provide free medicines for the Cancer patients who belong to the poor families.

श्री जगत प्रकाश नड्डा: माननीय अध्यक्ष जी, सरकार कैंसर के अर्ली डाइग्नोस के लिए प्रयासरत है। पीएचसी और सीएचसी लैवल पर स्ट्रैंथन करने का कार्यक्रम चल रहा है। इसके साथ ही जो थैरेपी देते हैं, हमारा उद्देश्य उस थैरेपी की दृष्टि से भी टरशरी केयर सैंटर पर स्ट्रैंथन करना है। इसके लिए हमने इंस्टीट्यूशन्स को सैलेक्ट किया है और इसके माध्यम से हम काम कर रहे हैं।

जहां तक मेडिसन्स का सवाल है, हमारी कोशिश है कि मेडिसन्स को रैगुलेट कर सकें, तािक चीपर कॉस्ट पर मेडिसन्स मिल सकें। अभी तक यह व्यवस्था की गई है। आपने जो कहा है, हम इस विषय पर विचार करेंगे।

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE: Madam Speaker, the CGHS had started long back in 1954, but still the existence of CGHS is only in 26 cities. Does the Government consider that CGHS facilities are not required for the employees working in smaller towns?

As we are talking about the generic drugs, what policies have been taken by the Government to promote generic drugs as people have very less knowledge about the generic drugs?

श्री जगत प्रकाश नड्डा: माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि मैंने कहा है कि हम जैनिरक ड्रग्स को प्रमोट करने के लिए कैपिसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग और वर्कशाप्स के माध्यम से अवेयरनैस प्रोग्राम ला रहे हैं। कन्टीन्युड मेडिकल एजुकेशन द्वारा भी इसे किया जा रहा है। हम इन्फार्मेशन के बारे में आपस में चर्चा करके इसे ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं।

So far as CGHS is concerned, we are increasing our institutions step-wise. हम कोशिश कर रहे हैं कि समयबद्ध तरीके से इसे करें।

(Q.85)

श्री संजय धोत्रे: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को जन-धन योजना की घोषणा की और 28 अगस्त को इसका शुभारंभ हुआ। पहले ही दिन करीब पौने दो करोड़ से ज्यादा लोगों ने खाते खोले, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। सरकार का 26 जनवरी तक साढ़े सात करोड़ खाते खोलने का लक्ष्य है। जानकारी प्राप्त हुई है कि अभी तक करीब छः करोड़ लोगों ने खाते खोले हैं। यह लक्ष्य निश्चित ही पूरा होगा। पहले फेज़ में 2000 से ज्यादा जनसंख्या वाले गांव हैं। यहां सब जगह बैंक की शाखाएं भी उपलब्ध हैं। मुझे लगता है कि इसके बाद का काम हमारे लिए चैलेंज है, क्योंकि, कई छोटे गांव, दूरदराज के इलाकों में बैंकों की ब्रांचेज़ नहीं है, बिजली और एटीएम भी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि इसके लिए सरकार की क्या योजना है औ यह लक्ष्य कब तक पूरा हो जाएगा?

श्री अरुण जेटली: माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि 15 अगस्त, 2014 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को आरंभ किया था। सरकार का 26 जनवरी, 2015 तक साढ़े सात करोड़ घरों तक पहुंचने का टार्गेट है। अब टार्गेट यह है कि कम से कम इस अवधि में हम दस करोड़ नए लोगों के खाते खोलने का प्रयास करें। प्रतिदिन देश में जितनी बैंक की ब्रांचेज़ हैं, वे इसका प्रयास कर रही हैं। अभी तक जो जानकारी आई है, उसे हम लगभग रोज अपडेट करते हैं। आपने साढ़े छः करोड़ का जिक्र किया है, अब यह आंकड़ा उससे आगे निकल चुका है। एक-दो दिन पहले तक यह आंकड़ा 7.98 करोड़ तक पहुंच गया है। हम उम्मीद करते हैं कि 26 जनवरी तक हम दस करोड़ खातों का टार्गेट अचीव कर पाएंगे, जिसमें साढ़े सात करोड़ हाउसहोल्ड्स होंगे।

आपने यह कहा कि जो दो हजार की जनसंख्या वाले गांव हैं, वहां तक हमारी योजना है। मैं स्पष्ट कर दूँ कि जो स्वाभिमान नाम की पुरानी योजना थी, जिसे यू.पी.ए. सरकार ने शुरू किया था, उसमें जो टार्गेट था, वह यह था कि जो दो हजार जनसंख्या वाले गाँव हैं, वहाँ पर हम लोग एक बिज़नेस कॉरेसपोंडेंट बैठा दें और उसके माध्यम से हम लोग उस गाँव तक पहुंचें। इस योजना में अंतर यह है कि हम गाँव को यूनिट नहीं मान रहे हैं, हम प्रत्येक घर्म और व्यक्ति को यूनिट मान रहे हैं। इसलिए यह घर तक पहुंचने का प्रयास है। आपने कहा कि यह ब्रांचेज खोलने की बात है, तो अभी भी जो ट्रैडिशनल ब्रांचेज हैं, जिसे हम ब्रिक एंड मोर्टर ब्रांचेज कहते हैं। काफी हद तक वह पहुंच पाती हैं और जहाँ वह नहीं पहुंच पातीं तो वहां पर यदि बिजनेस कॉरेसपोंडेंट पहुंच जाएं, इसलिए बैंकिंग सेवा पहुंचाने के अन्य तंत्रों को हम लोग आगे पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री संजय धोत्रे: अध्यक्ष महोदया, हमारे देश में आज तक कई योजनाएँ आयीं और खासकर जो योजनाएँ गरीबों और पिछड़ों के लिए होती हैं, उनमें पात्र लाभार्थियों से ज्यादा लाभ अपात्र लाभार्थी उठाने की कोशिश करते हैं। इसी सदन में हमने कई बार सुना है कि बी.पी.एल. कार्ड होल्डर्स में कई अमीर और करोड़पति लोग शामिल हैं। ऐसी शिकायतें हर जगह से आती हैं। इसी तरह इस योजना में भी हो सकता है। इस योजना के जो लाभ हैं, 30 हजार रुपए तक का जीवन बीमा कवर है, रूपे कार्ड है, इन लाभों को देखते हुए भी कई लोग खाते खोल सकते हैं या कुछ ऐसे लोग भी हैं, जो इसमें एजेंट बनने को भी तैयार हो जाते हैं। इसके लिए मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इसकी रोकथाम के लिए सरकार की क्या योजना है?

श्री अरूण जेटली : बैंकिंग शाखाओं के माध्यम से इस काम को किया जा रहा है। इसका दुरुपयोग न हो, एक व्यक्ति दो-दो खाते न खोल सके या कुछ लोग इसका नाज़ायज लाभ उठाने की कोशिश न करें, बैंक- ब्रांचेज इस काम को देखती हैं। जिस प्रकार के लाभ इसमें दिये जा रहे हैं, वह इन लोगों के लिए एक प्रोत्साहन बन जाता है, विशेष रूप से उनके लिए जो समाज के कमजोर वर्ग से आते हैं, तािक वहाँ तक वे लोग पहुंच पाएं। आपने ठीक कहा कि इसमें खाता खोलने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक रूपे कार्ड दिया जाता है, उसके माध्यम से भी वह अपने अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है। उस कार्ड के माध्यम से बैंक यह तय करता है कि इसकी क्या क्षमता है। उसके आधार पर छः महीने के बाद उसे पाँच हजार रुपए का ओवर झाफ्ट भी मिल सकता है। इसका ओवर झाफ्ट उठाने का काम अक्सर वह करेगा, जिसके लिए पाँच हजार रुपया एक बड़ी संख्या की रािश है। इसके अतिरिक्त एक्सीडेंट इंश्योरेंस, जो पहले भी उपलब्ध होता था, उसे और एक्सपैंड करके इस अवधि काल में जो नये अकाउंट खोल रहे हैं, उनको यह लाभ देने की कोशिश की जा रही है। इसमें हमने 30 हजार रुपए तक का जीवन बीमा नया जोड़ा है, जिसका फाइनैंशियल इंक्लूजन यह है कि वह उसके लिए एक इंसेंटिव बन जाए, प्रोत्साहन बन जाए और उसका फैलाव देश में और तेजी से हो। ये आंकड़े, जहाँ तक हम पहुंच रहे हैं, इन इंसेटिव्स की वजह से पहुंच पा रहे हैं।

SHRI Y.V. SUBBA REDDY: Thank you, Madam. I would like to ask the hon. Minister, through you, that under this scheme are small vendors in rural and urban areas -- after opening the bank accounts -- eligible to have loans immediately? Will the bankers transfer it to the bank accounts?

SHRI ARUN JAITLEY: Madam, the grant of a loan or other banking facilities, as I said, life insurance and accident insurance, will be available to all. All other banking facilities - his account will be his right; his RuPay Card will be his right; and his LIC insurance and his accident insurance will be his right.

12.00 hrs.

But in order to be eligible for other banking facilities, overdraft and loans etc., as you have mentioned, we have requested the banks to have a liberal approach. They will always see whether it is an operational account which has been operating for the last six months and on the basis of the quality of those operations, the banks will decide who is really eligible for those loans. We cannot also have a system where we encourage financial inclusion on one hand and push the banks into indebtedness on the other hand. We have to be careful of that situation also. श्री मल्लिकार्ज्न खड़गे: मैडम, मैं इसमें एक क्लेरिफिकेशन चाहता हूं। जो प्रश्न-सी है, उसके तहत और आपने अभी हमें जो बताया है कि 30 हजार रुपये लाइफ इंश्योरेंस में मिलेंगे, in addition to the existing provision of Rs. 30,000 for accident relief. मैं यह जानना चाहता हूं कि जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना थी, उसमें हम हर फैमिली को 30 हजार रुपये हर साल देने का प्राविजन था। उसमें हर साल उसको 30 हजार रुपये मिलते हैं। अगर उसकी आयु 60-70 वर्ष मानी जाए तो जो भी अनआर्गनाइज्ड वर्कर्स हैं, बिलो पावर्टी लाइन के लोग हैं, एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं, इन सभी लोगों को उसका फायदा मिलता था। क्या यह फायदा आरएसवीवाय में भी रहेगा और जो 30 हजार रुपये आप एडिशनल दे रहे हैं, वह क्या है, उसे क्लैरिफाई कर दीजिए ताकि लोगों ने कन्फ्यूजन न हो कि जिनको लाखों रुपये मिलते थे, वह कम होकर सिर्फ 30 हजार रुपये हो गए हैं।

माननीय अध्यक्ष : अगर आप शॉर्ट में रिप्लाई दे सकते हैं, तो दीजिए, अन्यथा बाद में भेज देंगे।

श्री अरुण जेटली: मैडम, हेल्थ इंश्योरेंस के बोर में माननीय सदस्य ने जो पूछा है, वह अलग है। इस अविधकाल में जो लोग एकाउण्ट्स खोल रहे हैं, उनको लाइफ इंश्योरेंस की फेसिलिटी इस एकाउण्ट की वजह से मिल रही है, उनके बाकी इंश्योरेंसेज और सरकार की अन्य योजनाओं से अलग है।

12.01 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

HON. SPEAKER: Now, Papers to be laid on the Table of the House.

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI ARUN JAITLEY): I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Competition Commission of India, New Delhi, for the year 2013-2014.
 - (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Competition Commission of India, New Delhi, for the year 2013-2014, together with Audit Report thereon.
 - (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Competition Commission of India, New Delhi, for the year 2013-2014.

(Placed in Library, See No. LT 865/16/14)

(2) A copy of the Competition Commission of India (Manner of Recovery of Monetary Penalty) Amendment Regulations, 2014 (Hindi and English versions) published in Notification No. R-40007/Reg-Recovery/Noti/04-CCI in Gazette of India dated 30th July, 2014 under sub-section (3) of Section 64 of the Competition Act, 2002 as amended by the Competition (Amendment) Act, 2007.

(Placed in Library, See No. LT 866/16/14)

- (3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 63 of the Competition Act, 2002 as amended by the Competition (Amendment) Act, 2007:-
 - (i) The Competition Appellate Tribunal (Term of the Selection Committee and the Manner of Selection of Panel of Names)

 Amendment Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R.

 728(E) in Gazette of India dated 15th October, 2014.

28.11.2014 34

(ii) The Competition Commission of India (Term of the Selection Committee and the Manner of Selection of Panel of Names)

Amendment Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R.
729(E) in Gazette of India dated 15th October, 2014.

(Placed in Library, See No. LT 867/16/14)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Productivity Council, New Delhi, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Productivity Council, New Delhi, for the year 2013-2014.

(Placed in Library, See No. LT 868/16/14)

- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Federation of Indian Export Organisations, New Delhi, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Federation of Indian Export Organisations, New Delhi, for the year 2013-2014.

(Placed in Library, See No. LT 869/16/14)

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the EEPC India (formerly Engineering Export Promotion Council), Kolkata, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the EEPC India (formerly Engineering Export Promotion Council), Kolkata, for the year 2013-2014.

(Placed in Library, See No. LT 870/16/14)

- (4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Quality Council of India, New Delhi, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Quality Council of India, New Delhi, for the year 2013-2014.

(Placed in Library, See No. LT 871/16/14)

- (5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Pharmaceuticals Export Promotion Council, Hyderabad, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Pharmaceuticals Export Promotion Council, Hyderabad, for the year 2013-2014.

(Placed in Library, See No. LT 872/16/14)

(6) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the MMTC Limited and the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, for the year 2014-2015.

(Placed in Library, See No. LT 873/16/14)

(7) A copy of the Boiler Attendants' (Amendment) Rules, 2014 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 577(E) in Gazette of India dated 11th August, 2014 under sub-section (2) of Section 28A of the Boilers Act, 1923.

(8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

(Placed in Library, See No. LT 874/16/14)

(9) A copy of Notification No. S.O. 2200 (E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 2nd September, 2014, making certain amendments in Notification No. S.O. 2953(E) dated 19th November, 2009 issued under Section 14 of the Bureau of Indian Standards Act, 1986.

(Placed in Library, See No. LT 875/16/14)

(10) A copy of the Coffee Board (Cadre and Recruitment) Rules, 2014 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 198(E) in Gazette of India dated 20th March, 2014 under sub-section (3) of Section 48 of the Coffee Act, 1942.

(Placed in Library, See No. LT 876/16/14)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JAYANT SINHA): I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under section 296 of the Income Tax Act, 1961:-
 - (i) The Income-tax (6th Amendment) Rules, 2014 published in Notification No. S.O. 1418(E) in Gazette of India dated 30th May, 2014.
 - (ii) The Income-tax (10th Amendment) Rules, 2014 published in Notification No. S.O. 2556(E) in Gazette of India dated 30th September, 2014.

(Placed in Library, See No. LT 877/16/14)

- (2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of section 38 of the Central Excise Act, 1944:-
 - (i) G.S.R.566(E) published in Gazette of India dated 6th August, 2014, together with an explanatory memorandum directing that the references to the authorities specified in column 2 of the notification

in the rules made or deemed to have been made under the said sections or in any other notifications, instructions, decisions, or orders, issued or made under the said sections or rules or under any other section of the said Act, shall, unless the context otherwise requires, be construed as references to the authorities specified in column (3).

(ii) The CENVAT Credit (Seventh Amendment) Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R.615(E) in Gazette of India dated 25th August, 2014, together with an explanatory memorandum.

(Placed in Library, See No. LT 878/16/14)

- (3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (7) of Section 9A of the Customs Tariff Act, 1975:-
 - (i) G.S.R.586(E) published in Gazette of India dated 13th August, 2014, together with an explanatory memorandum seeking to impose Safeguard duty on imports of specified Seamless Tubes and Pipes into India at the rate of 20% in the first year, 10% in the second year and 5% in the third year (for 6 months only) from the date of issue of notification in this regard.
 - (ii) G.S.R.623(E) published in Gazette of India dated 28th August, 2014, together with an explanatory memorandum seeking to impose Safeguard duty on imports of Saturated Fatty Alcohols of specified carbon chain length into India at the rate of 20% ad valorum for a period of two hundred days pursuant to the preliminary findings of investigations conducted by the Directorate General of Safeguards.
 - (iii) G.S.R.571(E) published in Gazette of India dated 8th August, 2014, together with an explanatory memorandum seeking to levy definitive anti-dumping duty on imports of 'sodium nitrite', originating in, or exported from the European Union, for a further period of five year

pursuant to the final findings of sunset review investigations conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied Duties.

- (iv) G.S.R.587(E) published in Gazette of India dated 13th August, 2014, together with an explanatory memorandum seeking to extend anti-dumping duty on imports of 'Plypropylene', originating in, or exported from the Singapore, for a further period of one year i.e. upto and inclusive of 29th July, 2015, pending outcome of sunset review investigations conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied Duties.
- (v) G.S.R.592(E) published in Gazette of India dated 14th August, 2014, together with an explanatory memorandum seeking to levy definitive anti-dumping duty on imports of 'Ceftriaxone Disodium Hemiheptahydrate-Sterile', originating in, or exported from the People's Republic of China for a period of five year, pursuant to the final findings of sunset review investigations conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied Duties.
- (vi) G.S.R.664(E) published in Gazette of India dated 16th September, 2014, together with an explanatory memorandum seeking to levy provisional anti-dumping duty on imports of 'electrical insulators of glass or ceramics/porcelain, whether assembled or unassembled', originating in, or exported from the People's Republic of China for a period of six months from the date of imposition of the provisional anti-dumping duty, that is 16th September, 2014 pursuant to the preliminary findings of sunset review investigations conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied Duties.
- (vii) G.S.R.673(E) published in Gazette of India dated 18th September, 2014, together with an explanatory memorandum seeking to levy definitive anti-dumping duty on imports of 'Sulphur Black',

originating in, or exported from the People's Republic of China for a period of five years, pursuant to the final findings of sunset review investigations conducted by the Directorate General of Antidumping and Allied Duties.

- (viii) G.S.R.691(E) published in Gazette of India dated 25th September, 2014, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 89/2009-Cus., dated 31st August, 2009.
- (ix) G.S.R.703(E) published in Gazette of India dated 30th September, 2014, together with an explanatory memorandum seeking to levy definitive anti-dumping duty on imports of 'Phenol', originating in, or exported from the Chinese Taipei and the United States of America, for a period of five years, from the date of imposition of the provisional anti-dumping duty, that is, the 16th May, 2014, pursuant to the preliminary findings of sunset review investigations conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied Duties.

(Placed in Library, See No. LT 879/16/14)

- (4) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under section 159 of the Customs Act, 1962:-
 - (i) G.S.R.335(E) published in Gazette of India dated 12th May, 2014, together with an explanatory memorandum exempting the goods described in Schedule I of the Notification when imported into India for display or use at any event specified in Schedule II from the whole of the duty of customs leviable thereon which is specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 and from the whole of the additional duty leviable thereon under Section 3 of the Customs Tariff Act, 1975, subject to certain conditions.

(ii) The FICCI/TAITRA Carnet (Form of bill of entry and shipping bill) Regulations, 2014 published in Notification No. G.S.R. 336(E) in Gazette of India dated 12th May, 2014.

- (iii) G.S.R.565(E) published in Gazette of India dated 6th August, 2014, together with an explanatory memorandum seeking to provide that a reference to the Chief Commissioner of Customs in the rule, notifications, instructions, regulations, decisions or orders issued under the customs Act, 1962, shall be construed as a reference to the Principal Chief Commissioner of Customs or the Chief Commissioner of Customs, as the case may be. Likewise, a reference to the Commissioner of Customs in the rules, notifications, instructions, regulations, decisions or orders issued under the Customs Act, 1962, shall be construed as a reference to the Principal Commissioner of Customs or the Commissioner of Customs, as the case may be.
- (iv) G.S.R.603(E) published in Gazette of India dated 21st August, 2014, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 12/2012-Cus., dated 17th March, 2012.
- (v) G.S.R.674(E) published in Gazette of India dated 18th September, 2014, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 39/1996-Cus., dated 23rd July, 1996.
- (vi) G.S.R.675(E) published in Gazette of India dated 18th September, 2014, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 12/2012-Cus., dated 17th March, 2012.
- (vii) G.S.R.692(E) published in Gazette of India dated 25th September, 2014, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 12/2012-Cus., dated 17th March, 2012.
- (viii) G.S.R.736(E) published in Gazette of India dated 20th October, 2014, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 12/2012-Cus., dated 17th March, 2012.

(ix) S.O.1841(E) published in Gazette of India dated 15th July, 2014, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 36/2001-Cus.(N.T.), dated 3rd August, 2001.

- (x) S.O.1857(E) published in Gazette of India dated 17th July, 2014, together with an explanatory memorandum regarding revised rates of exchange for conversion of certain foreign currencies into Indian currency or *vice-versa* for the purpose of assessment of imported and export goods.
- (xi) S.O.1925(E) published in Gazette of India dated 31st July, 2014, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 36/2001-Cus.(N.T.), dated 3rd August, 2001.
- (xii) S.O.2009(E) published in Gazette of India dated 7th August, 2014, together with an explanatory memorandum regarding revised rates of exchange for conversion of certain foreign currencies into Indian currency or *vice-versa* for the purpose of assessment of imported and export goods.
- (xiii) S.O.2058(E) published in Gazette of India dated 14th August, 2014, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 36/2001-Cus.(N.T.), dated 3rd August, 2001.
- (xiv) S.O.2107(E) published in Gazette of India dated 21st August, 2014, together with an explanatory memorandum regarding revised rates of exchange for conversion of certain foreign currencies into Indian currency or *vice-versa* for the purpose of assessment of imported and export goods.
- (xv) S.O.2182(E) published in Gazette of India dated 29th August, 2014, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 36/2001-Cus.(N.T.), dated 3rd August, 2001.
- (xvi) S.O.2229(E) published in Gazette of India dated 4th September, 2014, together with an explanatory memorandum regarding revised rates of

exchange for conversion of certain foreign currencies into Indian currency or *vice-versa* for the purpose of assessment of imported and export goods.

- (xvii) S.O.2344(E) published in Gazette of India dated 15th September, 2014, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 36/2001-Cus.(N.T.), dated 3rd August, 2001.
- (xviii) S.O.2439(E) published in Gazette of India dated 18th September, 2014, together with an explanatory memorandum regarding revised rates of exchange for conversion of certain foreign currencies into Indian currency or *vice-versa* for the purpose of assessment of imported and export goods.
- (xix) S.O.2561(E) published in Gazette of India dated 30th November, 2014, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 36/2001-Cus.(N.T.), dated 3rd August, 2001.
- (xx) S.O.2574(E) published in Gazette of India dated 1st October, 2014, together with an explanatory memorandum regarding revised rates of exchange for conversion of certain foreign currencies into Indian currency or *vice-versa* for the purpose of assessment of imported and export goods.
- (xxi) S.O.2647(E) published in Gazette of India dated 15th October, 2014, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 36/2001-Cus.(N.T.), dated 3rd August, 2001.
- (xxii) S.O.2658(E) published in Gazette of India dated 16th October, 2014, together with an explanatory memorandum regarding revised rates of exchange for conversion of certain foreign currencies into Indian currency or *vice-versa* for the purpose of assessment of imported and export goods.

(xxiii) S.O.2804(E) published in Gazette of India dated 31st October, 2014, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 36/2001-Cus.(N.T.), dated 3rd August, 2001.

- (xxiv) S.O.2830(E) published in Gazette of India dated 5th November, 2014, together with an explanatory memorandum regarding revised rates of exchange for conversion of certain foreign currencies into Indian currency or *vice-versa* for the purpose of assessment of imported and export goods.
- (5) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item No. (i) & (ii) of (4) above.

(Placed in Library, See No. LT 880/16/14)

- (6) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of Section 94 of the Finance Act, 1994:-
 - (i) G.S.R.567(E) published in Gazette of India dated 6th August, 2014, together with an explanatory memorandum seeking to provide that a reference to the Chief Commissioner of Central Excise in the rules, notifications, instructions, regulations, decisions or orders issued under the Finance Act, 1994, shall be construed as a reference to the Principal Chief Commissioner of Central Excise or the Chief Commissioner of Central Excise, as the case may be. Likewise, a reference to the Commissioner of Central Excise in the rules, notifications, instructions, regulations, decisions or orders issued under the Finance Act, 1994, shall be construed as a reference to the Principal Commissioner of Central Excise or the Commissioner of Central Excise, as the case may be.
 - (ii) G.S.R.598(E) published in Gazette of India dated 20th August, 2014, together with an explanatory memorandum making certain

amendments in the Notification No. 25/2012-Service Tax dated 20th June, 2012.

- (iii) G.S.R.613(E) published in Gazette of India dated 25th August, 2014, together with an explanatory memorandum appointing the 1st day of October, 2014 as the date on which the provisions of clauses (A), (B) and (C) of Section 114 of the Finance Act, 1994 shall come into force.
- (iv) The Service Tax (Second Amendment) Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R. 614(E) in Gazette of India dated 25th August, 2014.

(Placed in Library, See No. LT 881/16/14)

- (7) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 48 of the Foreign Exchange Management Act, 1999:-
 - (i) The Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) (Twelfth Amendment) Regulations, 2014 published in Notification No. G.S.R. 632(E) in Gazette of India dated 2nd September, 2014.
 - (ii) The Foreign Exchange Management (Acquisition and Transfer of Immovable Property in India) (Amendment) Regulations, 2014 published in Notification No. G.S.R. 733(E) in Gazette of India dated 17th October, 2014.

(Placed in Library, See No. LT 882/16/14)

- (8) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under Article 151(1) of the Constitution:-
 - (i) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Railways) (No. 19 of 2014)-Railways Finances for the year ended March, 2013.

(Placed in Library, See No. LT 883/16/14)

(ii) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (No. 20 of 2014)-Allowance of Depreciation and Amortisation, Department of Revenue-Direct Taxes, for the year ended March, 2013.

(Placed in Library, See No. LT 884/16/14)

 (iii) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (No. 21 of 2014) (Indirect Taxes-Customs)-Performance of Special Economic Zones (SEZs), Department of Revenue, for the year ended March, 2013.

(Placed in Library, See No. LT 885/16/14)

(iv) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (No. 22 of 2014)-Compliance Audit on Management of satellite capacity for DTC service by Department of Space for the year ended March, 2013.

(Placed in Library, See No. LT 886/16/14)

(v) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (No. 24 of 2014)- Hydrocarbon Production Sharing Contracts, Ministry of Petroleum and Natural Gas, for the year ended March, 2013.

(Placed in Library, See No. LT 887/16/14)

(vi) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Civil) (No. 25 of 2014)-Compliance Audit Observations, for the year ended March, 2013.

(Placed in Library, See No. LT 888/16/14)

(vii) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Railways) (No. 26 of 2014)-(Compliance Audit Report) for the year ended March, 2013.

(Placed in Library, See No. LT 889/16/14)

(viii) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (No. 27 of 2014)(Compliance Audit)- Scientific and Environmental Ministries/Departments for the year ended March, 2013.

(Placed in Library, See No. LT 890/16/14)

(ix) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (No. 29 of 2014) (Indirect taxes-Central Excise and Service Tax)-Administration of Prosecution and Penalties in Central Excise and Service Tax, Department of Revenue, for the year ended March, 2014.

(Placed in Library, See No. LT 891/16/14)

- (9) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-
 - (i) Appropriation Accounts (Part I-Review) of the Ministry of Railways (Railway Board) for the year 2012-2013.
 - (ii) Appropriation Accounts (Part II-Detailed Appropriation Accounts) of the Ministry of Railways (Railway Board) for the year 2012-2013.
 - (iii) Appropriation Accounts (Part II-Detailed Appropriation Accounts {Annexure-G}) of the Ministry of Railways (Railway Board) for the year 2012-2013.

(Placed in Library, See No. LT 892/16/14)

12.02 hrs.

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report the following messages received from the Secretary-General of Rajya Sabha:-

- (i) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 26th November, 2014 agreed without any amendment to the Apprentices (Amendment) Bill, 2014 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 14th August, 2014."
- (ii) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 27th November, 2014 agreed without any amendment to the Delhi Special Police Establishment (Amendment) Bill, 2014 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 26th November, 2014."

12.03 hrs.

STANDING COMMITTEE ON HEALTH AND FAMILY WELFARE

80th Report

डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धोलपुर): महोदया, मैं खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) विधेयक, 2014 के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति का 80वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

12.03 ½ hrs.

STANDING COMMITTEE ON PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES, LAW AND JUSTICE

72nd Report

श्री संतोष कुमार (पूर्णिया) : महोदया, मैं दिल्ली उच्च न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2014 के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का 72वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती सुषमा स्वराज कुछ क्लेरिफिकेशन सदन के सामने रखना चाहती हैं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: चाहे जब नोटिस दें, उन्होंने क्लेरिफिकेशन देने के लिए पहले कहा है। ...(व्यवधान)

विदेश मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): अध्यक्षा जी, अगर वे लोग मामला उठाना चाहते हैं तो पहले उनको बोलने दीजिए, उनके बाद मैं बोलूंगी।

अध्यक्षा जी, आप पहले उनको अनुमित दे दीजिए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप लोग पहले मंत्री जी का क्लेरिफिकेशन सुन लीजिए, फिर आप बोलिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप चाहे जब लिखकर देते हैं। एक बात आप समझ लीजिए।

...(व्यवधान)

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू): कोई एक व्यक्ति विषय को मेंशन करे, फिर मैडम बोलेंगी, फिर स्पष्टीकरण होगा।...(व्यवधान) श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को कहना चाहूंगी कि अलाऊ तो माननीय अध्यक्ष महोदया करेंगी, मुझे आपित नहीं है, अगर आप विषय उठाते हैं। मैं अलाऊ करने वाली कौन होती हूं। मुझे कोई आपित नहीं है, आप उन्हें विषय उठा लेने दें।

माननीय अध्यक्ष: जीरो-आवर में विषय उठाने दूंगी, आप बैठिये।



12.06 hrs

STATEMENT BY THE MINISTER

India's stand in the WTO

HON. SPEAKER: Shrimati Nirmala Sitharaman to make a statement.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Madam Speaker, I wish to make a statement in this august House regarding India's Stand in the WTO.

I am making this intervention in the House today in order to place before the Hon'ble Members the facts relating to recent developments in the World Trade Organization (WTO), which came to a successful conclusion yesterday, vindicating the principled stand taken by India.... (*Interruptions*) SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): We have not got the copy of the

Statement. ... (Interruptions)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: It should be distributed any time.

... (Interruptions)

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): It is not mentioned in the List of Business. HON. SPEAKER: I have permitted it.

PROF. SAUGATA ROY: If you permit, everything is all right.... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: सवाल ही नहीं है, वह टेबल किया हुआ है, उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Can I continue?

HON. SPEAKER: Yes, you can.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: On 5 August 2014, I informed the Hon'ble Members that India had decided not to join the consensus in the WTO on the implementation of the Trade Facilitation Agreement till our concerns relating to the implementation of other Bali Ministerial Decisions, in particular, the Decision on Public Stockholding for Food Security Purposes, were addressed.

There was much criticism of this stand in the subsequent months but India stood firm. Over the ensuing months, we concentrated our efforts on explaining

the concerns underlying India's stand and working with other WTO members to find a way forward. These efforts have borne fruit. We were able to resolve our differences with the United States, and persuade them to support us in the WTO on our requirements.

I am happy to report to this House that we have been able to secure an outcome that addresses our concerns. Yesterday, the General Council of the WTO adopted a Decision on Public Stockholding for Food Security Purposes, a Decision on the Trade Facilitation Agreement and a Decision on Post Bali Work.

The General Council Decision on Public Stockholding for Food Security Purposes is a new, unambiguous Decision. It makes it clear that a mechanism, under which WTO Members will not challenge the public stockholding programmes of developing country members for food security purposes, in relation to certain obligations under the WTO Agreement on Agriculture, will remain in place in perpetuity until a permanent solution regarding this issue has been agreed and adopted.

This would do away with any ambiguity on this aspect as well as guard against the possibility of no cover being available after 2017 in case a permanent solution on public stockholding for food security purposes is not arrived at by then. It, therefore, strengthens the safeguard available for continuing the Minimum Support Price policy which is a lifeline for millions of our low income, resource poor farmers. It is also critical for food security in India and in countries which have similar policies.

The indefinite continuation of the waiver mechanism ensures the interest of the WTO membership in expeditiously working towards a permanent solution and protects us from the risk of having to accept an unsuitable solution under the threat of a limited duration peace clause coming to an end.

The Decision includes a commitment to find a permanent solution on public stockholding for food security purposes by 31 December 2015 on a best endeavour basis. This introduces a sense of urgency in the process and would encourage other developing countries also to join the effort in pushing for a



permanent solution at the earliest.

The Decision has a firm commitment to engage in negotiations for a permanent solution through an intensified programme of work. The provision for dedicated sessions in an accelerated time frame for taking forward the negotiations will ensure that that the WTO accords priority to this issue and works on it in a focused manner. It would, moreover, avert the danger that countries like India would have to make concessions in some other area of the agriculture negotiations, in order to achieve a permanent solution.

The General Council has also unequivocally agreed to de-link the negotiations for a permanent solution on public stockholding for food security purposes from the agriculture negotiations on other issues under the Doha Development Agenda. This would ensure that the negotiations for a permanent solution would continue even if the negotiations on such other issues are delayed.

As per the relevant provisions of the WTO Agreement, a General Council decision on these elements has the same legal status as a Ministerial decision.

The General Council also adopted a Protocol to make the Trade Facilitation Agreement a part of the WTO Agreement and opened the Protocol for acceptance. After this, the Trade Facilitation Agreement would automatically come into force if ratified by two-thirds of the members of the WTO.

As per the Bali Ministerial Decision, the Trade Facilitation Protocol was to be open for acceptance by Members until 31 July 2015. WTO Members have now decided to leave this open-ended. This would enable them to complete their internal processes for acceptance of the Trade Facilitation Protocol.

When I stood before this House on 5 August I expressed confidence that India would be able to persuade the WTO Membership to appreciate the sensitivities of India and other developing countries and see their way to taking this issue forward in a positive spirit. And we have accomplished this without any concessions, I repeat without any concessions, compromise or new conditions.

This is what India has now done. We were able to achieve a breakthrough because we were negotiating from a position of unassailable strength in the interests of those vulnerable sections who have no voice. A just cause, clearly articulated and backed by the strong leadership of our hon. Prime Minister, made for a compelling argument. This ensured that our concerns were heard, understood and addressed.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Madam, it is a continuous process. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You continue.

... (*Interruptions*)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: It is not a new thing. ... (Interruptions)

PROF. SAUGATA ROY: Anyway, it is a good work done. ... (Interruptions)

HON. SPEAKER: You continue please.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: For your benefit, I would like to repeat a line – "A just cause, clearly articulated and backed by the strong leadership of our hon. Prime Minister, made a compelling argument. This ensured that our concerns were heard, understood and addressed."… (*Interruptions*)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: It is a continuous process. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You continue please.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: This will not go on record. Only the statement will go on record. You please continue.

(Interruptions) ... *

-

^{*} Not recorded.

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): This should not be a continuous process. Please hear the Minister. ... (*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: This positive outcome reaffirms our faith in the multilateral trading system and proves that this is the forum that offers the best chance for developing countries to participate on equal terms in international trade. For that reason it is important to make our concerns known in time, I repeat, for that reason, it is important to make our concerns known in time, ensure that development aspects remain in focus and to make all efforts to bring trade talks back on course when required. We were never alone or isolated, even though not many chose to – or were in a position to – speak up in support of India's stand. I know from my interactions with several of my counterparts over the last few months that our stand resonated widely because we were fighting for a just cause. India is grateful for their support.

I would like to thank the WTO membership for their cooperation and efforts in enabling this successful outcome. We now look forward to working with all WTO members on the full implementation of the Doha Development Agenda including all elements of the Bali package to obtain the real development dividend for the poor and vulnerable around the world.

In conclusion, I must once again express my sincere thanks to hon. Members of Parliament, farmers' organisations, civil society groups and academicians; their unstinting support of India's efforts to ensure a fair deal has immeasurably strengthened our hands.

In fact I would like to add here that I am very grateful to all political parties in India who stood by us and expressed their support; and I am very grateful to this entire House which has stood by us.

माननीय अध्यक्ष : आपका इस बात के लिए बहुत बहुत अभिनंदन है।

... (Interruptions)

SHRI MOHAMMAD SALIM (RAIGANJ): What you have revealed in the statement is fascinating but what is being concealed is ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: No questions please.

12.16 hrs.

BUSINESS OF THE HOUSE

HON. SPEAKER: Item No.8. Statement by Minister of State in the Ministry of Parliamentary Affairs, Shri Rajiv Pratap Rudy.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): Madam, with your permission I beg to lay on the Table the Government Business during the week commencing Monday, the 1st December 2014 will consist of:

- 1. Consideration of any item of Government Business carried over from today's Order paper.
- 2. Introduction, consideration and passing of the Textiles Undertakings (Nationalisation) Laws (Amendment and Validation) Bill, 2014.
- 3. Consideration and passing of the Merchant Shipping (Amendment) Bill, 2013, after it is passed by Rajya Sabha.
- 4. Consideration and passing of the Merchant Shipping (Second Amendment) Bill, 2013, after it is passed by Rajya Sabha.
- 5. Discussion and Voting on Supplementary Demands for Grants (General) for 2014-15.
- 6. Introduction, consideration and passing of the related Appropriation Bill.
- 7. Introduction, consideration and passing of the Coal Mines (Special Provisions) Bill, 2014 to replace an Ordinance.

श्री अश्विनी कुमार चौबे (बक्सर): माननीय अध्यक्ष जी, विश्वामित्र की तपोस्थली बक्सर (बिहार) जो मेरा संसदीय क्षेत्र है जिसे मिनी काशी के रूप में जाना जाता है, यह क्षेत्र पवित्र काशी नगरी के निकटस्थ है। यहां के हजारों छात्र-छात्राएं काशी हिन्दू विश्व विद्यालय में पठन-पाठन करते हैं। अतएव काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय) की एक शाखा मेरे बक्सर संसदीय क्षेत्र में स्थापित करने हेतु मैं माननीय मानव संसाधन मंत्री से आग्रह करता हं।

प्राचीन अंग देश (भागलपुर, बिहार) अंतर्गत पालवंश द्वारा स्थापित लगभग 700 वर्ष ईसा पूर्व बिक्रमशिला विश्वविद्यालय जो पूरे विश्व में तंत्र साधना एवं आध्यात्म के केन्द्र के रूप में प्रसिद्ध रहा है, यहां विभिन्न देशों के छात्र विद्या अध्ययन के लिए आते थे। इतिहास वेत्ताओं ने विस्तार से यहां के संबंध में इसका वर्णन किया है।

अतएव मैं बिक्रमशिला विश्वविद्यालय की पूर्ण खुदाई पुरातत्व विभाग द्वारा कराने एवं वहां नालन्दा अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की तर्ज पर बिक्रमशिला अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय पुनर्स्थापित करने हेतु माननीय मानव संसाधन मंत्री, भारत सरकार से आग्रह करता हूं।

HON. SPEAKER: Shri Shailesh Kumar alias Bulo Mondal. - Not present.

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद): माननीय अध्यक्ष जी, डा. बाबा साहब अंबेडकर ने जहां अंतिम सांस ली थी, वह जगह 26 अलीपुर रोड, नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय मेमौरियल का निर्माण किया जाए।

मेरा भी सरकार से अनुरोध है कि गुजरात के दलित संत वीर 'मेघ माया' की स्मृति में डाक टिकट जारी किया जाए।

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा): महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र बांदा चित्रकूट में बिजली की गंभीर समस्या है। किसानों की सिंचाई का समय है। जगह-जगह ट्रांसफार्मर जले पड़े हैं, जिन्हें बदला नहीं जा रहा है। लाइनें टूटी पड़ी हैं, जिन्हें ठीक नहीं किया जा रहा है। किसानों की फसलें सूख रही हैं। हालात बहुत ही विषम हैं। कृपया इस समस्या को सदन की कार्यसूची में सम्मिलित कर चर्चा कराकर समस्या के निदान हेतु निर्देशित करने

2. मेरे रैंसिदीय क्षेत्र बांदा, चित्रकूट में किसानों की धान की फसल को खरीदा नहीं जा रहा है। सरकारी खरीद केन्द्रों में केवल बैनर लगे हैं और अधिकतर में ताले पड़े हैं। अक्टूबर माह से खरीद शुरू हो चुकी है, इसके बावजूद अभी तक किसानों से कोई भी खरीद नहीं की गई है। किसान बहुत ही परेशान हैं, अस्तु इस सप्ताह की कार्यसूची में इस समस्या के निदान हेतु इसे सम्मिलित कर सदन में चर्चा कराने की कृपा करें।

माननीय अध्यक्ष: भोला सिंह जी, आप बोलिये।

डॉ. भोला सिंह (बेगूसराय): मैडम, मैं डा.भोला सिंह हूं, श्री भोला सिंह कोई दूसरे सदस्य हैं। आपने डा.भोला सिंह को बुलाया है या श्री भोला सिंह को बुलाया है?

माननीय अध्यक्ष: सॉरी, डा.भोला सिंह जी आप बोलिये।

डॉ. भोला सिंह : महोदया, संसदीय कार्य मंत्री ने आगामी सप्ताह के लिए सदन में जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, मैं उसमें निम्नलिखित प्रस्तावों को जोड़ना चाहता हूं।

- 1. बिहार के तीव्र विकास के लिए उसे केन्द्र सरकार विशेष राज्य का दर्जा दे।
- 2. बिहार में बरौनी खाद कारखाने को गैस आधारित यूरिया खाद बनाने के लिए हिल्दिया-जगदीशपुर पाइप लाइन को बरौनी, वनारस तक का विस्तार करे। धन्यवाद।

...

माननीय अध्यक्ष : डा.किरीट सोमैया जी, आप बोलिये।

डॉ. किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : आप कह रहे हैं कि डा. भोला सिंह, भोला सिंह और डा.किरीट सोलंकी और डा.किरीट सोमैया, लेकिन वह आदमी के डाक्टर हैं और मैं फाइनेन्स का डाक्टर हं।

Respected Madam, kindly include following issues for discussion in the List of Business for the next week.

- 1. The issue of wilful defaulters on the increase of NPAs and wilful defaults on the background of RBI Governor's statement that strong will and strong action must be taken against the NPAs and wilful defaulters as such money which is written off could have been used for the welfare of the society.
- 2. The issue of garbage/waste disposal system in urban cities on the background of Swachh Bharat Abhiyan announced by hon. Prime Minister.
- 3. The issue of involvement of public, people's representatives to make hon. Prime Minister's Swachh Bharat Abhiyan a success.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Hon. Madam, the following items may be included in the list of business of the coming week:

1. Persistent Chinese incursions in the Indian Territory and the resultant terror created among the peace loving citizens of border region in Ladakh and Arunachal Pradesh.

2. A misperception prevailing in respect of genetically modified crops and the need for immediate debate to address the serious concerns of the public at large.

श्री राम चिरित्र निषाद (मछलीशहर): महोदया, संविधान (एक सौ और चौदह संशोधन) विधेयक, 2010 अगले सप्ताह में चर्चा के लिए लिया जाए और उसे अगले सप्ताह के कार्यक्रम में शामिल किया जाए। SHRI MULLAPPALLY RAMCHANDRAN (VADAKARA): Madam Speaker, I request you to include the below mentioned subjects in the agenda for next week's business of Lok Sabha:

- 1. Drastic reduction in allocation of fund for MGNREGS.
- 2. Rising air pollution in cities and metros across the country.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Madam Speaker, I want to raise the following items to be included in the list of business for the coming week:

- 1. Proposed slashing of the allocation in the social sectors in the revised allocation for rural development, education and health.
- 2. Draconian attack on the MGNREGA Scheme which is a demand driven scheme for the rural poor. This will deprive them of their minimum earning.

श्री शैलेश कुमार (भागलपुर): महोदया, कृपया निम्न दो विषयों को अगले सप्ताह की कार्य सूची में जोड़ लिया जाए :-

- 1. बिहार राज्य के भागलपुर सिहत आस-पास के जिलों में प्रबंधन की शिक्षा के लिए कोई भी संस्थान नहीं है, जिसके चलते स्थानीय छात्रों को प्रबंधन की शिक्षा नहीं मिल पाती है। अतः भागलपुर में भारतीय प्रबंधन संस्थान (आई.आई.एम.) की स्थापना किए जाने की आवश्यकता है।
- 2. भागलपुर को रेल मण्डल बनाए जाने की घोषणा वर्ष 2009 में तत्कालीन रेल मंत्री के द्वारा की गई थी, लेकिन इसके बावजूद अभी तक भागलपुर रेल मण्डल कार्यालय की स्थापना नहीं की जा सकी है। भागलपुर रेल मण्डल के अस्तित्व में नहीं होने के चलते रेल परिचालन, आरक्षण सहित अन्य सभी यात्री सुविधाओं में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः भागलपुर को रेल मण्डल की अधिकारिक घोषणा के आलोक में रेल मण्डल कार्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता है।

12.27 hrs.

ELECTIONS TO COMMITTEES

(i) Indian Council of Medical Research

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGAT PRAKASH NADDA): Madam, I beg to move:

"That in pursuance of rules 1(xxiv) and 15 of the Rules and Regulations of the Indian Council of Medical Research, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as members of the Governing Body of Indian Council of Medical Research, subject to the other provisions of the said Rules and Regulations."

HON. SPEAKER: The question is:

"That in pursuance of rules 1(xxiv) and 15 of the Rules and Regulations of the Indian Council of Medical Research, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as members of the Governing Body of Indian Council of Medical Research, subject to the other provisions of the said Rules and Regulations."

The motion was adopted.

12. 27 ½ hrs.

(ii) Indian Nursing Council

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGAT PRAKASH NADDA): Madam, I beg to move:

"That in pursuance of clause (o) of sub-section (1) of section 3 of the Indian Nursing Council Act, 1947, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to be members of the Indian Nursing Council, New Delhi subject to the other provisions of the Act."

HON. SPEAKER: The question is:

"That in pursuance of clause (o) of sub-section (1) of section 3 of the Indian Nursing Council Act, 1947, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to be members of the Indian Nursing Council, New Delhi subject to the other provisions of the Act."

The motion was adopted.

12.28 hrs.

MOTION RE: SIXTH REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): Madam, I beg to move:

"That this House do agree with Sixth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 27th November, 2014 subject to modification that the recommendations regarding items at serial numbers 1, 2, 3 and 4, already disposed of by the House, be omitted."

HON. SPEAKER: The question is:

"That this House do agree with Sixth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 27th November, 2014 subject to modification that the recommendations regarding items at serial numbers 1, 2, 3 and 4, already disposed of by the House, be omitted."

The motion was adopted.

12.29 hrs.

SUBMISSION BY MEMBERS

Re: 40 Indians reportedly abducted and killed by ISIS militants in Iraq

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना) : अध्यक्ष महोदया, हम सब लोगों को एक बड़ी दुःखद सूचना मिली है। भारत के चालीस नागरिक जो मोसुल में तुर्की कंस्ट्रक्शन कंपनी में कार्य कर रहे थे, उनका अपहरण आईएसआईएस द्वारा किया गया था। वे ज्यादातर पंजाब और कोलकाता से थे। पहले चरण में आतंकवादियों के द्वारा उनका मोबाइल और पासपोर्ट ज़ब्त किया गया था। हमें सूचना मिली है कि 15 जून को ही एक पहाड़ी इलाके पर ले जा कर उन सभी को मारा गया है। अगर यह सूचना सही है तो यह देश के लिए, संसद के लिए और हम सब के लिए बड़ी दुखद है। पिछले 6 महीनों में बार-बार सरकार ने स्पष्टीकरण दिया है। 22 जून को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अपने स्पष्टीकरण में कहा था और यह पूरा भरोसा दिलाया था कि ये सारे 40 लोग सुरक्षित हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि सरकार अलग-अलग सूत्रों के द्वारा उनके साथ चर्चा करने की कोशिश कर रही है, जिस मिलिटेंट आर्गनाइजेशन ने उनको पकड़ा है। सूत्रों जैसे इराकी रेड क्रिसेन्ट, लोकल ट्राइबल नेताओं के द्वारा उनके स्थानिवारी तय करने की कोशिश कर रही है। 29 जून को इस साल विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी ने स्वयं हम लोगों को आश्वस्त करवाया था कि उन्होंने स्वयं उनके परिवारजनों के साथ मुलाकात की है। हमारे राजदूत का सन्देश परिवारजनों को पढ़ाया गया और यह भी कहा गया कि परिजन पूरी तरह से संतुष्ट हैं और हमारे सारे कर्मचारी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अनेक इस सरकार के मंत्री परिवारजनों के साथ मिलकर फोटो-अप कर रहे थे। 7 जुलाई को दोबारा विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इन्टरलोक्यूटर्स के द्वारा हमारी नागरिकों के साथ बात हो रही है और वे सुरक्षित हैं। दोबारा 13 अगस्त को भी कहा गया कि वे सुरक्षित हैं और 8 सितंबर को सुषमा स्वाराज जी ने दोबारा हम लोगों को आश्वस्त कराया था कि हमारे सारे 40 के 40 नागरिक पूरी तरह से सुरक्षित हैं और उन्हें रिहा करने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो आज यह बड़ी दुखद सूचना हमें दी गयी है।

मैं समझता हूँ कि आज सरकार की जवाबदेही है। जहाँ एक तरफ 6 महीने इस मुद्दे को खींचा गया है और कहा गया कि उनके परिवारजनों को ईद का तोहफा को दिया जाएगा। आज हम यह स्पष्टीकरण चाहते हैं कि उनके परिवारजनों को, संसद को और देश को, अगर यह बात सत्य है तो पूरी तरह से गुमराह किया गया है। सरकार का सूचना तंत्र पूरी तरह से विफल है, सरकार पूरी तरह से विफल है। आज संसद

में बैठे सभी सांसद ही नहीं, देश की जनता भी सरकार से पूरा-पूरा स्पष्टीकरण, पारदर्शिता और जवाबदेही इस मुद्दे पर चाहती है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं सभी मेंबर्स से एक बात कहना चाहती हूँ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट, आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं यह क्लियर करना चाहती हूँ कि पहली बात तो यह है कि प्रमुख विपक्षी दल का नोटिस अभी आया, उसके पहले माननीय मंत्री जी ने कल मुझे कहा था, यहाँ इन्फॉर्म किया गया था कि मैं इस विषय पर स्पष्टीकरण सदन में देना चाहूंगी और मैंने उनको अलाऊ भी किया था। वह तो केवल उन्होंने अभी हाँ भरी, कहा कि ठीक है, प्रमुख विपक्षी दल कुछ कहना चाहता है, इसलिए मैंने उन्हें अलाऊ किया है। आप उनके साथ असोसिएट हो सकते हैं। आप अपने-अपने नाम असोसिएशन के लिए लिखकर भेज दीजिए। माननीय मंत्री जी ने पहले ही कहा था, मैं रिपोर्ट करना चाहूँगी।

अब मैं माननीय मंत्री जी से कहूँगी कि वे अपनी बात रखें।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Shri Rajesh Ranjan, Shrimati Kavitha Kalvakuntla, Shri Badruddin Ajmal, Shri Sankar Prasad Datta, Shri M.B. Rajesh, ADV. Joice George and Shri P. Karunakaran are permitted to associate with the issue raised by Shri Jyotiraditya Scindia.

विदेश मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): अध्यक्षा जी, मैं आपकी आभारी हूँ कि आपने स्थिति स्पष्ट कर दी। जितनी जोर-जोर से ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे थे कि जवाबदेही चाहिए, एक नोटिस भी उन्होंने आज स्थिति का स्पष्टीकरण देने के लिए नहीं दिया। जैसा आपने कहा, मैंने सुबह ही आपको लिखित में यह नोटिस दे दिया कि मैं स्वयं अपनी ओर से स्थिति को स्पष्ट करना चाहूँगी, क्योंकि, कल जब मैं नेपाल से लौटी, मैं रात में लौटी थी, उसी समय मैंने देखा कि एक टी.वी. चैनल पर बांग्लादेश के दो नागरिकों का इंटरव्यू दिखाकर यह कहा जा रहा था कि 39 भारतीय कहाँ हैं और ध्विन यह आ रही थी कि जैसे उनको मार दिया गया है। मुझे लगा कि यह जो भ्रम की स्थिति बनी है, इसका मैं अपनी ओर से निराकरण करूँ। इसलिए बिना विपक्ष के नोटिस का इन्तजार किये, मैंने स्वयं अपने आपको जवाब देने के लिए प्रस्तुत किया है। यहाँ भी जब ज्योतिरादित्य जी ने यह कहा कि वे बोलना चाहते हैं तो

मैंने कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, वे बोल लें। उन्होंने अपनी बात कह दी, उसके बाद मैं बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ।

सबसे पहले तो मैं सांसदों को यह बताना चाहूँगी कि यह खबर पहली बार नहीं आयी है। आपने कहा सूचना दी गयी है, किसने सूचना दी है? एक समाचार चैनल ने एक समाचार चलाया है और वह समाचार कोई पहली बार नहीं आया है।

महोदया, पिछले 5 महीने में दिसयों बार यह कहानी उभर-उभरकर आयी है और सोर्स एक ही है। वह व्यक्ति जो वहाँ से आ गया, हरजीत मसीह उसका सोर्स है।...(व्यवधान)

श्री भगवंत मान (संगरूर): वह कहाँ है?

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं बताऊँगी। ज़रा भी मत विचलित होइए। मैं बताऊँगी वह कहाँ है। ...(व्यवधान) सबसे पहले मैं बता देती हूँ अगर आप जानना चाहते हैं। वह गवर्नमैंट की प्रोटैक्टिव केयर में है, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा आज उसकी जान को है। वह वहाँ से निकलकर भागा, उनके चंगुल से निकलकर भागा, पहला निशाना वह है। इसीलिए सरकार ने उसको संरक्षण दिया है। आपको मोति हो गई, तो मैं आगे बोलती हूँ। ...(व्यवधान)

अध्यक्षा जी, यह कहानी बार-बार उभरी है। जिस समय यह घटना हुई, उसके बाद हरजीत मसीह जब वहाँ से बचकर आया तो उसने यह कहानी कही। उसने यह कहा कि - "हम और बंग्लादेशी एक कंपनी में काम करते थे। 15 जून की शाम को कुछ आतंकवादी संगठन के लोग आए और हम लोगों को वहाँ से निकालकर ले गए। वे हमें एयरबिल ले जा रहे थे। लेकिन रास्ते में उन्होंने बंग्लादेशियों से कहा कि तुम अलग हो जाओ। वे बंग्लादेशी अलग हो गए और भारतीय अलग कर दिए गए। भारतीयों को ले जाकर किसी एक जंगल में उन्होंने गोली से मार दिया और मैं बच गया और मैं आ गया।"

उसकी कहानी में इतनी डिसक्रीपैन्सीज़ थीं, इतने विरोधाभास थे कि पहली बार तो हमें इस पर विश्वास ही नहीं हुआ। फिर हमने यह सोचा कि अगर हम इस पर विश्वास करें तो इसका मतलब यह कि हम उनकी तलाश छोड़ दें और उनको मृत घोषित कर दें? उसके बाद यह विकल्प था। लेकिन एक दूसरा विकल्प भी था कि उसकी बात को अस्वीकार करते हुए हम उनकी तलाश करें। हमने दूसरा विकल्प चुना और हम उनकी तलाश में लग गए। मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई जब पहला सोर्स आया रैड क्रिसैन्ट का, क्योंकि संस्था है, मैं इसलिए नाम ले सकती हूँ, उन्होंने कहा कि वे मारे नहीं गए हैं, वे ज़िन्दा हैं। फिर हमने इतना प्रयास किया कि वे सारे देश, जो हमारी मदद कर सकते थे, जिसमें खाड़ी के भी देश थे, अन्य बहुत से देश थे, उन सबसे हमने संपर्क किया और बहुत हाइएस्ट लैवल पर संपर्क किया। उसके बाद हमने

उन संस्थाओं से संपर्क किया जो हमारी मदद कर सकती थीं। उन व्यक्तियों तक से संपर्क किया, जिनके बारे में यह कहा जाता था कि वे आपकी मदद कर सकते हैं। अध्यक्ष जी, मैं यहाँ खड़े होकर कह सकती हूँ कि एक के बाद एक छः सोर्सेज़ ने हमें यह कहा कि वे मारे नहीं गए हैं। इन सारे सोर्सेज़ के संदेश जो हमें आ रहे थे, मौखिक नहीं थे, लिखित थे, लिखित में मेरे पास आज भी मौजूद हैं। लेकिन चूँकि गोपनीय दस्तावेज़ हैं, इसलिए मैं शेयर नहीं कर सकती उन लोगों के अलावा, जिन्होंने गोपनीयता की शपथ ले रखी है। लेकिन गोपनीयता की शपथ जिन्होंने ले रखी थी, उनमें से अपने दो साथियों से मैंने वे शेयर किये हैं। एक, श्री अरुण जेटली जी, और दूसरा, स्वयं हरसिमरत कौर बादल, जो मंत्री हैं, पंजाब से हैं, क्योंकि इसमें पंजाब के ज्यादा लोग हैं, जैसा भगवंत मान जी ने कहा, उनके साथ शेयर किये। ऐसा नहीं कि ये संदेश एक दिन आ गए और दस दिन नहीं आए। हर रोज़ यह संदेश आता है। मैंने पहले भी यहाँ सदन में कहा था कि जिस दिन यह घटना घटी, हमने उसी दिन एक ऑफिसर वहाँ डेप्यूट कर दिया, केवल इस काम के लिए। वहाँ एम्बैसेडर है, लेकिन उसके अलावा एक व्यक्ति जो पूर्व में वहाँ एम्बैसेडर थे, हालांकि उनकी नियुक्ति आसियान के एम्बैसेंडर के तौर पर हो चूकी थी, मगर हमने उनको इराक जाने को कहा। उनको हमने केवल एक काम दिया टार्गैटेड - इनको ढूँढ़ने का, इनकी तलाश करने का। वे हमको वहाँ से, उनके जो जो संपर्क सूत्र थे, उनके माध्यम से संदेश भेजते थे। उन दोनों को भी मैंने संदेश पढवाए। और यह लेटेस्ट अपडेट आता है, हर रोज़ आता है। डेली रात को यह अपडेट लेकर मैं सोती हूँ कि क्या हुआ। आप मुझे बताइए कि एक व्यक्ति यह कह रहा है कि वे मार दिए गए और छः सोर्सेज़ यह कह रहे हैं कि वे मारे नहीं गए, वे ज़िन्दा हैं। मुझे क्या करना चाहिए - क्या यह स्वीकार करके, कि वे मार दिए गए, मैं हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाऊँ, उनकी तलाश छोड़ दूँ? यह आसान विकल्प है। लेकिन दूसरा विकल्प यह है कि जो छः सोर्सेज़ हमारे कह रहे हैं कि वे मारे नहीं गए हैं और ज़िन्दा हैं, उन पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ूँ और उनकी तलाश करूँ। मैंने बार-बार सदन में यह कहा कि मेरा डायरैक्ट संपर्क उनसे नहीं है। लेकिन सूत्रों के माध्यम से संपर्क है, जो कहते हैं कि वे मारे नहीं गए हैं। मेरे पास ठोस सबूत ज़िन्दा होने का नहीं है, लेकिन मेरे पास ठोस सबूत उनके मारे जाने का भी नहीं है। तो केवल बुद्धिमत्ता का तकाज़ा नहीं, ज़िम्मेदारी का तकाज़ा भी यह कहता है कि मैं दूसरे विकल्प को स्वीकार करूँ और आगे बढूँ। इसीलिए मैं आपसे भी यह कहना चाहती हैं।

जहाँ तक हरजीत का सवाल है, मैंने भाई भगवंत मान जी को बता दिया। भाई भगवंत मान जी का पत्र मेरे पास है, जिस तरह से हम इराक से लोगों को निकाल रहे हैं। जैसे ही उन्होंने मुझे बोला और उनके लोगों से हमने संपर्क किया, क्योंकि वे बंधक नहीं थे तो वे तुरंत निकल आए। हम किन कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, आप जानते हैं। मोसूल पर जिन लोगों का कंट्रोल है, उनकी सरकार नहीं है और

जिनकी सरकार है, उनका कंट्रोल नहीं है। इतनी विषम परिस्थितियों में हम काम कर रहे हैं। हम क्यों गुमराह करेंगे ज्योतिरादित्य जी? हमें उससे क्या लाभ मिलेगा?

अध्यक्षा जी, मैं कहना चाहूंगी कि हम गुमराह करने के लिए नहीं, हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : आपके ऊपर कोई एलीगेशन नहीं लगा रहा है।...(व्यवधान)

श्री एस.एस.अहलुवालिया (दार्जिलिंग): महोदया, मेरी एक गुजारिश है। यह विषय एक ऐसा संवेदनशील और सीरियस विषय है कि इस पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को आई.एस.आई.एस. भी देख रहा है। इन सारे तथ्यों को देख कर वह और बारगेन करेगा।...(व्यवधान) इस विषय को यहां समाप्त किया जाए।...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज: अहलुवालिया जी, आप बैठिए।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी भी जिम्मेदारी से ही बोलेंगी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: ठीक है, हर एक का अपना सजेशन हो सकता है, हर एक की अपनी बात हो सकती है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी इस पर बोलने के लिए सक्षम हैं।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्षा जी, मैं अहलुवालिया जी की बात को दूसरी तरह से कहना चाहूंगी।...(व्यवधान) इस तरह के ऑपरेशंस की सफलता का बुनियादी सिद्धांत होता है गोपनीयता। इसलिए गोपनीयता को भंग करने के लिए मुझे मजबूर न किया जाए। मैं आपको आश्वस्त कर रही हूं, बता रही हूं कि जिस दिन मुझे एक भी ठोस सबूत, हरजीत की बात का मिल गया, उस दिन आकर बताऊंगी। हम ईश्वर से दुआ कर रहे हैं कि जो छः सोर्सेज कह रहे हैं, वह सच हो और हम उन्हें सुरक्षित निकाल लाएं। लेकिन, सुरक्षित निकालने में, ऐसी स्थितियों में समय लगता है। जैसा मैंने कहा कि जो मोसुल में ऑपरेट कर रहे हैं, उनकी सरकार नहीं है और जिनकी सरकार है, वे मोसुल को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों में हम काम कर रहे हैं, ज़मीन-आसमान हम एक किए हुए हैं। हमने कांग्रेस के ई. अहमद जी की भी मदद मांगी है। उनसे भी मैंने कहा है कि आपके गल्फ़ में बहुत ज्यादा अच्छे संबंध हैं, आप वहां जाइए। हर संस्था से हमने सम्पर्क किया हुआ है। इसका मैं लैटेस्ट अपडेट ले रही हूं। इसलिए मैं यह नहीं कह सकती हूं कि वे मार दिए गए, क्योंकि एक हरजीत के अलावा यह कोई नहीं बोल रहा है।

अगर आप कल के भी बयान को देखें, जो दो बांग्लादेशी नागरिकों का इंटरव्यू आया है, वे केवल हरजीत को कोट कर रहे हैं। वे भी हरजीत को सपोर्ट नहीं कर रहे है, क्योंकि वे स्वयं तो कोई चश्मदीद गवाह हैं नहीं। वहीं तक यह कहानी इकट्ठी है कि बांग्लादेशी अलग कर दिए गए, भारतीय अलग कर दिए गए। जब भारतीय अलग कर दिए गए तो उनके साथ क्या घटा, यह तो किसी बांग्लादेशी ने देखा नहीं। जो हरजीत ने उन्हें आकर बताया, वे वह बोल रहे हैं। यह हीयरसे एवीडेंस है। वहां भी वे उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, केवल उसे कोट कर रहे हैं। इस पूरी स्टोरी में, चाहे वह इंडियन एक्सप्रेस में छपी हों, चाहे वह पंजाबी के अखबारों में छपी हों, या चाहे उनके परिवार के सदस्यों तक पहुंची हों, सबका एकमात्र सोर्स हरजीत है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हरजीत को भी संख्राण दिया हुआ है, वह गवर्नमेंट के प्रोटेक्टिव केयर में है। हम लोग पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं।

अध्यक्षा जी, मैं आपकी आज्ञा से इस सदन की अनुमित चाहूंगी कि अगर उन्हें लगता है कि मेरा रास्ता सही है, मुझे हरजीत के एक बयान पर विश्वास करके अपने प्रयास रोकने नहीं चाहिए, तो मैं निश्चित चाहूंगी कि मुझे इस सदन की मदद मिले और मैं अपने प्रयास में आगे बढ़ती रहूं। यह सदन यह भी प्रार्थना करे कि वे लोग ज़िंदा हों और वे सुरक्षित निकल कर आ जाएं।

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल) :अध्यक्षा जी, मैं आपके माध्यम से एक खिलाड़ी के विषय में कहना चाहती हूं, जिसे हमारे लिजेन्डरी प्लेयर सचिन साहब ने भी उठाया। हमारी एल. सरिता देवी के साथ एशियाड खेलों में मुक्केबाजी के सेमी फाइनल मैच में जो घटा, वह किसी भी प्लेयर के साथ नहीं घटना चाहिए। आज ए.आई.बी.ए., जो उस पर लाइफ बैन लगाने के बारे में सोच रही है, उसके बारे में में आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इंडिया में, क्रिकेट को छोड़ कर दूसरे खेलों को बहुत ज्यादा सम्मान नहीं मिलता है। यह कहा जा रहा है कि उस खिलाड़ी में स्पोट्स स्पिरिट होनी चाहिए थी। एक महिला बॉक्सर कई सालों तक परिश्रम करके अपनी मेहनत को सफल करने के लिए, इंडिया का झंडा लहराने के लिए एशियाड में गोल्ड मेडल लेने का सपना देखती है और वह उसे लेने ही जा रही थी। इसे हर व्यक्ति ने देखा, हम लोगों ने भी देखा। अगर उसके साथ चीटिंग होती है और उसे यह कहा जाता है कि उसे खेल की भावना रखनी चाहिए तो एसोसिएशन से जुड़े हुए जो लोग हैं, क्या उनमें खेल भावना नहीं होनी चाहिए? चाहे एशियाड गेम्स हों या ओलंपिक, यह कम्प्लेन बार-बार आती है कि हमारे प्लेयर्स को टू-स्टार होटलों में रखा जाता है और उनके साथ जाने वाले जो पदाधिकारी हैं, वे फोर या फाइव स्टार्स होटलों में रहते हैं तो और कितनी खेल भावना हमारे खिलाड़ियों को दिखानी पड़ेगी?

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहती हूं कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करे, उनको जो लाइफ बैन लगाने की बात कही जा रही है, उसका विरोध होना चाहिए। निश्चित तौर से उस प्लेयर को बचाना चाहिए, जो कड़ी मेहनत करके अपने देश के झंडे को ऊंचा करते हैं। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री एम.बी. राजेश और श्रीमती कविता कवलकुंतला को श्रीमती रंजीत रंजन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमित की जाती है।

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): मार्ननीय अध्यक्ष महोदया, उत्तराखंड शांति और अध्यात्म का केन्द्र रहा है। पूरी दुनिया के लोग इस बात से विज्ञ हैं कि उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश, क्षेत्र एवं स्थान है, जहां कानून-व्यवस्था रहती है और हर व्यक्ति सुरक्षित रहता है। लेकिन पिछले एक वर्ष में जिस तरीके से अंधाधुंध वहां हत्या, बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं, इसने निश्चित रूप में न केवल उत्तराखंड को, बल्कि पूरे देश का दिल दहला दिया है। अभी हल्दवानी में सात वर्षीय अबोध बालिका विवाह में गई थी, 20 नवम्बर से उसके लापता होने की सूचना थी। पांच दिन के बाद उसका शव बरामद हुआ। उसके साथ दुष्कर्म किया गया। उसके हाथ-पांव काट करके नदी के किनारे फेंक दिए गए।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इससे पूरा उत्तराखंड सड़कों पर है, क्योंकि इससे कुछ ही दिन पहले एक पर्यटक महिला शोभिता दास गुड़गांव में अंतरराष्ट्रीय विद्यालय में

अध्यापिका थी। वह लाखामंडल में घूमने के लिए गई थी। उसके साथ बलात्कार किया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई।...(व्यवधान) इतना ही नहीं, भगवानपुर में सोलनी नदी के पास 14 वर्षीय बालिका का बलात्कार हुआ।...(व्यवधान) उससे पहले फेरूपुर में घटना हुई।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं कि चाहे देहरादून की पॉश कालोनी में हत्या हो रही हो, श्रीमती सैनी की घर के अंदर हत्या की गई हो, दर्जनों हत्याएं महिलाओं के साथ बलात्कार करके उत्तराखंड की धरती पर हो रही हैं।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से यह मांग करना चाहता हूं कि पूरे विश्व और देश के लिए उत्तराखंड बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। वह अध्यात्म का केन्द्र है, भारत की संस्कृति का प्राण है। उसकी रक्षा, सुरक्षा भारत सरकार की भी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे विनम्र तरीके से अनुरोध करना चाहता हूं कि तत्काल प्रभाव से वहां की कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कड़े से कड़े कदम उठाए जाएं।

माननीय अध्यक्ष: श्री पी.पी. चौधरी को डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री विक्रम उसेंडी (कांकेर): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग, खासतौर से रायपुर से जगदलपुर बस्तर करीबन तीन सौ किलोमीटर का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, वह बहुत ही जर्जर है। वहां उन्नयन नहीं होने से लगातार एक्सीडेंट्स वगैरह और दुर्घटनाएं होती हैं। खासतौर से कांकेर जिला मुख्यालय में भी सड़क के बीचोंबीच राष्ट्रीय राजमार्ग जाने से वहां पर बाईपास सड़क का निर्माण भी किया जाना है, वह हो नहीं पाया। उसकी भी स्वीकृति होनी है। उसके आगे केशकाल घाटी है, उस घाटी में भी हमेशा गाड़ियों का काफिला जाम होता है, जिसके कारण से वहां चार-पांच घंटे तक जाम रहता है। उसका उन्नयन बहुत जरूरी है। रायपुर से जगदलपुर तक रेलवे लाईन भी नहीं है, इसलिए यह सड़क बहुत जरूरी है।...(व्यवधान) इस सड़क का निर्माण जनहित में बहुत जरूरी है।...(व्यवधान) इसलिए बजट में प्रावधान करके इस सड़क का निर्माण कराया जाए।

श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली (यवतमाल-वाशिम): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र यवतमाल के जो इनकम टैक्स पेयर हैं, मैं उनकी गंभीर समस्याएं यहां पर रखना चाहूंगी। जो इनकम टैक्स पे करते हैं, उन्हें वर्धा जाना पड़ता था, लेकिन मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि अब उन्हें 175 किलोमीटर चंद्रपुर जाना पड़ेगा। यह जो

अस्सिटेंट इनकम टैक्स ऑफिस वर्धा में है, वह वर्धा में ही रहे, क्योंकि यवतमाल के करीबन 46हजार लोग वहां पर अपने काम के लिए जाते हैं। अगर यह ऑफिस चंद्रपुर चला जाएगा तो उनका समय भी जाएगा और पैसे की भी बर्बादी होगी।

अध्यक्ष महोया, मेरा आपके माध्यम से सरकार से और मंत्री जी से अनुरोध है कि इस विषय में वे जल्द से जल्द ध्यान दें। यह जो ऑफिस है, वहीं पर रहे, जो वर्धा में है। अगर इसे शिफ्ट करना है तो नागपुर शिफ्ट करें।...(व्यवधान) मैं समझती हूं कि इस पर जल्द से जल्द सरकार की तरफ से कार्यवाही होगी, मै अपेक्षा करती हूं।

*SHRI P. R. SUNDARAM (NAMAKKAL): Avian flu has been detected in Kerala after 17,000 ducks died during last few days. The Members of Parliament from Kerala raised this issue in Parliament on 26 November 2014 demanding the Union Government to take necessary measures after the outbreak of bird flu. In order to take stock of the situation after outbreak of bird flu, as Tamil Nadu is a neighbouring State of Kerala, Tamil Nadu Government, functioning under the able guidance of Puratchithalaivi Amma, convened a high level meeting at the Secretariat, which was attended by ministers and senior Officials of various Departments. Pre-cautionary measures to be taken are discussed at this meeting. As many as 800 teams for preventive purposes and monitoring of bird flu were formed as a precautionary measure. A 24-hour control room has also been set up. Tamil Nadu Government, under the able guidance of Puratchithalaivi Amma has ordered for implementation of a 12 point programme. In my Namakkal constituency, 3 crore eggs are produced every day and out of which one crore eggs are transported to various States of the country and abroad. There is no bird flu in Tamil Nadu.

_

^{*} English translation of the Speech originally delivered in Tamil.

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Madam Speaker, I would like to invite the kind attention of this august House and the Government of India on the sad plight and deplorable condition of rubber cultivators of India, especially of Kerala.

The price of rubber has come down drastically and it is Rs. 117 on 22nd November, 2014. It was around Rs. 152 during the last year in the same period. It is at an all time low in the last seven years. This has forced the rubber cultivators to indescribable hardships and misery.

HON. SPEAKER: You have given notice on bird flu. How can you change the subject?

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Madam, now I am raising another issue pertaining to rubber farmers.

HON. SPEAKER: All right. You may speak now. But don't do like this in future. SHRI KODIKUNNIL SURESH: Okay Madam.

The international rubber prices are falling and this has resulted in a sharp rise in imports by Indian rubber industries such as the tyre industry. The supply and demand gap assessed by the Rubber Board is around 60,000 metric tonnes of rubber only for the year 2014-15, whereas so far 3.25 lakh metric tonnes of natural rubber has been imported by the industry. This has put the domestic production of rubber in a jeopardy. If the situation of price drop persists, then the farmers' suicide may happen in the plantation sector, especially among marginal farmers.

There are about 11 lakh small and marginal rubber cultivators in Kerala who require urgent attention from the Government of India. In order to solve the problem of rubber cultivators, rubber industry may be included under the Make in India Scheme.

The import duty of sheet rubber and rubber products is only 8 per cent at present. It has to be increased to 40 per cent. The import duty of block rubber may be increased by 40 per cent since the tyre industry imports block rubber on a large

scale. Safeguard duty is essential for retaining the cost of production of natural rubber.

So, I request the Government to consider the case on war footing and help the rubber cultivators, especially small and marginal farmers.

HON. SPEAKER: Shri M.B. Rajesh is permitted to associate with the issue raised by Shri Kodikunnil Suresh.

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Madam Speaker, I am sorry to say that my name was fourth in the list.

HON. SPEAKER: I know, but he has also given notice on bird flu issue. So I have allowed him. But he has changed the subject suddenly and that is why I said that it should not be done like that in future.

SHRI P. KARUNAKARAN: Madam, I would like to place before this House a very serious issue with regard to rubber cultivators in Kerala. The price of rubber last year was Rs. 235 to Rs. 250. Now it is reduced to Rs. 80 to Rs. 85. Kerala produces the highest quantity of rubber and also the best quality. The marginal farmers are the largest in number among the total number of rubber farmers. So, the decline in the price of rubber directly hits the ordinary people.

The reason as stated by my dear colleague is the uncontrolled import of rubber. When we have sufficient production in the domestic market, there should be a mechanism with regard to the need and demand of the imported rubber. It is not seen by this Government. There are two issues with regard to control of its price. One is imposition of import duty of rubber and also there should be a mechanism in place. Of course, I do not disagree that there should be import and export of rubber. But, at the same time, it should be in connection with the needs of the domestic market.

So I strongly request the Government to take some measures to give sufficient protection to the rubber farmers. Otherwise, as far as the rubber farmers are concerned, they are really on the brink of committing suicides.

HON. SPEAKER: Shri P.K. Biju is allowed to associate with the issue raised by Shri P. Karunakaran.

श्री प्रकाश व. हुक्केरी (चिक्कोडी): माननीय अध्यक्षा जी, अभी कर्नाटक के बेलगाम जिले में दो हफ्ते से लगभग 6000 एडवोकेट्स स्ट्राइक कर रहे हैं। उनकी मांग हैं कि बेलगाम में कर्नाटक ऐडिमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होना चाहिए। उनके द्वारा वहां दो हफ्ते से एडीशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट के सभी कोर्ट्स बंद किए गए हैं, इसलिए लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। लगभग 28000 केसेज पेंडिंग हैं। कर्नाटक में एक ऐडिमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, बेंगलुरू में है तो 28000 केसेज का फैसला कैसे होगा? इसके लिए मैं लॉ मिनिस्टर से निवेदन करता हूं कि एक और ट्रिब्यूनल, कर्नाटक एडिमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बेलगाम में मंजूर होना चाहिए। अगर लॉ मिनिस्टर हाउस में होते तो अच्छा होता। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सोमवार को इस पर रिप्लाई दिया जाए, क्योंकि वे लोग सोमवार से आमरण उपवास करने वाले हैं। अगर 6000 लोग आमरण उपवास पर बैठेंगे तो वहां लॉ-प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। लॉ मिनिस्टर को इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: गोपाल शेट्टी जी, यह इश्यू कल सदन में उठाया गया था, फिर भी आप इस इश्यू पर बोलिए।

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर) : अध्यक्ष महोदया जी, कल यह इश्यू सदन में उठाया गया था, उसके बाद भी आपने मुझे इस इश्यू पर बोलने का मौका दिया है, इसिलए मैं आपका विशेष आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि अरविन्द सावंत जी ने इस इश्यू को दो दिन पहले सदन में उठाया और डॉ. किरीट सोमैया जी ने कल हाउस में पिटिशन मूव किया, उसके बावजूद भी आपने मुझे इस इश्यू पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको विशेष धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदया, यह बहुत गंभीर विषय है। सालाना 3500 लोग रेलवे में प्रवास करते समय, गिरकर या कटकर मर जाते हैं, उसके बावजूद भी रेल प्रशासन जागरूक होता दिखाई नहीं देता है। मैं आपके माध्यम से इस बात की विशेष मांग करूंगा कि तुरंत रेलवे मिनिस्टर या एम.ओ.एस. मुम्बई शहर में जाकर विजिट करें और तुरंत इसका उपाय करना चाहिए। हमारे जो पुलिस के लोग हैं, चाहे वे स्टेट गवर्नमेंट के हों या सेन्द्रल गवर्नमेंट के हों, वे रेलवे क्रॉसिंग करने वाले लोगों को सिर्फ पकड़ कर, फाइन करते हैं और कोर्ट में ले जाते हैं, लेकिन लोग रेलवे क्रॉसिंग न करें, इसप्रकार की कोई व्यवस्था रेल प्रशासन करता दिखाई नहीं देता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से विशेष मांग करूंगा कि तुरंत रेल मिनिस्टर या एम.ओ.एस.

मुम्बई शहर के सबअर्बन एरिया में विजिट कर, इसके लिए तुरंत कोई उपाय ढूंढें, ताकि आने वाले समय में इसप्रकार की मौतें मुम्बई शहर में न हों। धन्यवाद।

12.57 hrs (Hon. Deputy-Speaker in the Chair)

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Members, after the 'Zero Hour', we are going to take up the Labour Laws Bill. Therefore, there will not be any lunch break now. This is for your information.

श्री छेदी पासवान (सासाराम): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र सासाराम (बिहार) के अन्तर्गत, कैमूर जिला के अधौरा प्रखण्ड में ग्राम झड़पा, घेरखनिया, बड़िडहां तथा लेवा में, खिनज संपदा, यथा बाक्साइट, चूना-पत्थर एवं अब्रकी एरेनाइट के पाये जाने की खबर है। खान मंत्रालय द्वारा जांच उपरान्त यह संज्ञान में आया है। परन्तु उक्त खिनज संपदा की भूमि वन क्षेत्र के अन्तर्गत होने के कारण, खिनज संपदा के खनन कार्य में रुकावट आ गई है, जिसे वन क्षेत्र से मुक्त कराने हेतु, मैंने खनन मंत्रालय तथा वन मंत्रालय से अनुरोध भी किया था, परन्तु अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। इस क्षेत्र में अति पिछड़े लोग बसे हुए हैं तथा यहां गरीबी भी चरम सीमा पर है।

अतः उपाध्यक्ष महोदय, हमारा आपके माध्यम से विशेष अनुरोध है कि उपर्युक्त खनिज संपदा के खनन हेतु, वन क्षेत्र से उन्हें मुक्त कराने के लिए, संबंधित मंत्रालय को निर्देशित करने की कृपा की जाए, जिससे सरकारी राजस्व के साथ-साथ इस क्षेत्र के लोगों को भी रोजगार मिल सके तथा यहां की गरीबी पर कुछ हद तक काबू पाया जा सके। धन्यवाद

13.00 hrs.

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब): महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि पंजाब के किसानों की धान की फसल का बकाया अभी नहीं मिल पाया है। आप जानते हैं कि पंजाब किसानों की फसल खरीदकर केन्द्रीय भंडार में देता है। उसके लिए करेंट क्रैडिट लिस्ट बनती है जो 21 हजार करोड़ रुपये की है। उसमें से 18 क्या करोड़ रुपये चले गए मगर 3 हजार करोड़ रुपये जो कम से कम 12 लाख टन धान की फसल के पड़े हैं, वह फाइल कभी फाइनैंस मिनिस्ट्री, कभी फूड मिनिस्ट्री में घूम रही है। आप जानते हैं कि गेहूं की फसल बोई जा रही है। किसानों को फर्टिलाइजर और पैस्टीसाइड्स के लिए पैसे की जरूरत है, लेकिन पैसे मिल नहीं रहे हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी वह पेमैंट रिलीज करवाई जाए क्योंकि पंजाब में जो धान की फसल पैदा होती है, उसका केवल 5 प्रतिशत ही पंजाब के लोग खाते हैं, 95 प्रतिशत देश को देते हैं। देश के लिए अनाज पैदा करने वाले किसान को अगर उसका पैसा नहीं मिलेगा तो वह भविष्य में डिसकरेज होगा।

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Santokh Singh Chaudhary is permitted to associate with the issue raised by Shri Prem Singh Chandumajra.

Shri Badruddin Ajmal- Not present.

श्री अश्विनी कुमार चौबे (बक्सर): महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। संयुक्त बिहार में उच्च न्यायालय की दो खंडपीठ क्रमश: पटना और रांची में थी। वर्तमान में बिहार की आबादी करीब साढ़े दस करोड़ है और वहां एक ही उच्च न्यायालय है। प्राचीन अंग क्षेत्र बंगाल और झारखंड से सटे रहने के कारण बिहार की व्यावसायिक राजधानी के रूप में रेशमी शहर भागलपुर सुप्रसिद्ध है। मैं भागलपुर का ही मूल निवासी हूं और वहां से पांच बार विधायक और 7-8 साल मंत्री भी रहा हूं। भागलपुर से सटे 12 जिले - बांका, मुंगेर, जमुई, लक्खीसराय, खगड़िया, बेगुसराय, पूर्णिया, सहरसा, किटहार, सुपौल, किशनगंज, मधेपुरा लगभग आधे घंटे से डेढ़-दो घंटे की दूरी पर स्थित हैं। साथ ही मिथलांचल के 4 जिले - समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी एवं सीतामढ़ी की दूरी भी ढाई से तीन घंटे की है। इन क्षेत्रों के लगभग पचास हजार से भी ज्यादा मुकदमे पटना उच्च न्यायालय में विगत कई वर्षों से लंबित हैं और लोगों को समय पर न्याय नहीं मिल रहा है, जो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। विलंब से न्याय मिलना न्याय नहीं मिलने के समान होता है। उक्त जिलों से लोगों को पटना जाने में चार से छ: घंटे लग जाते हैं जिससे उन्हें पटना में ही रात बितानी पड़ती है। इससे गरीब लोगों को काफी आर्थिक परेशानी उठानी पड़ती है। अत: मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि भागलपुर में उच्च न्यायालय की दूसरी खंड पीठ की स्थापना की मंजूरी देने की कृपा की जाए। इसके लिए वहां लगातार आंदोलन होते रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इस बारे में अगली तिथि में विधि मंत्री कुछ बताएं।

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Shailesh Kumar, Shri Rajesh Ranjan and Shrimati Ranjeet Ranjan are permitted to associate with the issue raised by Shri Ashwini Kumar Choubey.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमिरेयागंज): महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने एक अत्यंत अविलंबनीय लोक महत्व के प्रश्न पर मुझे बोलने की अनुमित दी है। इस सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि हम गंगा जैसी पिवत्र नदी को प्रदूषण से मुक्त करें और उसे अविरल और निर्मल धारा बनाने के लिए जो भी औद्योगिक इकाइयां हैं, चाहे इलाहाबाद के किनारे, कानपुर, बनारस के इलाक या गंगोत्री से गंगा सागर तक, उसके कचरों को वहां डालने पर प्रतिबंधित किया जाए। इसके बावजूद 26 नवम्बर को इलाहाबाद में गंगा का जल केवल कचरों को डालने के कारण लाल हो गया। उसके अंदर की मछिलयां मर गईं। जो श्रद्धालु स्नान करने गए, वे बिना स्नान किए वापिस आ गए जबिक एक तरफ केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री ने गंगा एक्शन प्लान में इस बात को सुनिश्चित किया, उन्होंने 21 सूत्री कार्यक्रम भी सबिमट

किया है। गंगा के किनारे 764 औद्योगिक इकाइयां हैं। चाहे वह कानपुर का टेन्नरी-चमड़े का कारखाना हो, फिरोजाबाद की चूड़ियों का कारखाना हो या तमाम अन्य कारखाने हों। उस चेतावनी के बावजूद यह प्रदूषण अभी भी उन इकाइयों से हो रहा है। इस नाते जो भी प्रयास होगा, चाहे पहले प्रयास हुआ या आगे होगा, मैं समझता हूं कि इस बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि गंगा की धारा को कैसे निर्मल और अविरल बना सकेंगे।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चार्टी हूं कि जब हम गंगा को, जो हमारी राष्ट्रीय नदी है, राष्ट्रीय नदी घोषित करने के बाद गंगा के जल को हम निर्मल और प्रदूषण से मुक्त करना चाहते हैं तो उसके लिए निश्चित तौर पर एक कानून बनाना होगा कि जो भी गंगा बेसिन के किनारे शहर हैं या उद्योग लगे हुए हैं, उनका जो भी कचरा है, वह उसमें न डाला जाये। ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: The hon. Minister of Water Resources is taking care of that.

श्री जगदम्बिका पाल: यदि ऐसा नहीं करेंगे तो निश्चित तौर से हम गंगा को प्रदूषण से मुक्त नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Arjun Ram Meghwal is permitted to associate with the issue raised by Shri Jagdambika Pal.

श्री ओम बिरला (कोटा): उपाध्यक्ष महोदय, चावल निर्यात करने में भारत दूसरे नम्बर पर आता है। चीन के बाद भारत ही एक ऐसा देश है, जो सबसे ज्यादा चावल निर्यात करता है, जबिक सबसे ज्यादा चावल खरीदने वाला देश ईरान है। जब हिन्दुस्तान में किसान धान की फसल बोता है और बाजार में बेचने जाता है, उस समय ईरान आयात पर प्रतिबंध लगा देता है क्योंकि उसी समय ईरान में भी फसल होती है। वह अपने देश के किसानों की फसल को सुरक्षित करने के लिए ईरान आयात पर प्रतिबंध लगा देता है। इस कारण हिन्दुस्तान के किसानों की धान का मूल्य लगातार गिरता जा रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वर्ष 2014 में चावल का मूल्य 2013 रुपये क्विंटल की अपेक्षा एक हजार रुपये क्विंटल हो गया, यानी 45 परसेंट भाव कम हो गया है, जिससे राजस्थान के कोटा, बूंदी और हरियाणा, पंजाब के किसानों को धान सस्ती दर पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इस संबंध में मंत्री महोदय ने ईरान से बात की है। मेरा निवेदन है कि

सरकार तुरंत प्रभाव से बात करे। ईरान आयात पर प्रतिबंध हटाये, ताकि हिन्दुस्तान के किसानों की फसल उचित मूल्य पर निर्यात करके उनके मूल्य को बढ़ाया जा सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीन महीने बाद जब ईरान आयात पर प्रतिबंध खोलेगा, तब तक किसान की धान तो बाजार में बिक चुकी होगी, लेकिन एक्सपोर्टर्स और निर्यात करने वाले ट्रेडर्स उन किसानों की फसल को सस्ता लेकर फिर महंगे दामों पर बेचेंगे। मेरी सरकार से मांग है कि किसानों को सुरक्षित करते हुए तुरंत प्रभाव से ईरान से बात करके आयात पर प्रतिबंध हटाये और किसान को सुरक्षित मूल्य मिले, इसका इंतजाम करे। धन्यवाद।

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri P.P. Chaudhary is permitted to associate with the issue raised by Shri Om Birla.

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पश्चिम रेलवे के बारे में एक महत्वपूर्ण विषय को उठाने की अनुमित दी है, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। पश्चिम रेलवे का 60 परसेंट नेटवर्क गुजरात में होता है। जहां तक आमदनी की बात है, गवर्नमैंट रेवन्यू की बात है, चाहे वह पैसेंजर रेवन्यू हो या फ्रेट रेवन्यू हो, गुजरात का इसमें बहुत अहम योगदान है। पश्चिम रेलवे का नेटवर्क गुजरात के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से गुजरता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पश्चिम रेलवे का हैडक्वार्टर जो मुम्बई में है, उसके लिए अगर अहमदाबाद का स्थान लिया जाये, तो अहमदाबाद पश्चिम रेलवे के सैंट्रली पड़ता है। इस बारे में गुजरात सरकार ने समय-समय पर केन्द्र सरकार और रेलवे डिपार्टमैंट का ध्यान आकर्षित किया है। उन्हें इस बारे में कई पत्र लिखे हैं। गुजरात सरकार ने भी अहमदाबाद में हैडक्वार्टर बनाने के लिए जमीन आबंटन की तत्परता दिखाई है।

अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि सरकार पश्चिम रेलवे के हैडक्वार्टर को अहमदाबाद में स्थापित करे। SHRI K. ASHOK KUMAR (KRISHNAGIRI): My Krishnagiri constituency in Tamil Nadu is adjoining to Vellore and Thiruvannamalai districts in the east, Karnataka State in the west, Andhra Pradesh State in the north and Dharmapuri district in the South. Here there are FM radio channel broadcast/relay stations but the people of Krishnagiri district do not have the facility of listening to the FM radio channels broadcast from none of the broadcasting/relaying stations.

The total population in the Krishnagiri district is 18,83,731. The people from this district are not able to listen to the FM radio channel programmes from

the FM radio stations of Chennai, Coimbatore, Madurai, Thiruchirappalli and even adjoining station of Bangalore.

Recently, the Information and Broadcasting Ministry is having a proposal to establish 839 FM radio channels in nearly 294 cities.

Therefore, I would request the House to consider the welfare of the people of my constituency to establish one FM radio channel and include my district out of the proposed 294 cities. Thanking you.

HON. DEPUTY SPEAKER: 'Zero Hour' will continue after six o' clock.

Now, we are taking up the Legislative Business—Item No.12.

13.11 hrs

LABOUR LAWS (EXEMPTION FROM FURNISHING RETURNS AND MAINTAINING REGISTERS BY CERTAIN ESTABLISHMENTS) AMENDMENT BILL, 2014 (As passed by Rajya Sabha)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI BANDARU DATTATREYA): I beg to move:

"That the Bill to amend the Labour Laws (Exemption from Furnishing Returns and Maintaining Registers by Certain Establishments) Act, 1988, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

HON. DEPUTY SPEAKER: Motion moved:

"That the Bill to amend the Labour Laws (Exemption from Furnishing Returns and Maintaining Registers by Certain Establishments) Act, 1988, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Hon. Deputy Speaker, Sir, the Bill to amend the Labour Laws (Exemption from Furnishing Returns and Maintaining Registers by Certain Establishments) Act, 1988 was introduced in the Rajya Sabha in 2005. It was referred to the Parliamentary Standing Committee. After detailed deliberations, the Bill was returned with comprehensive amendments. The Bill was to come up in 2011, and the present Bill is in front of us after it was passed by the Rajya Sabha on 26th November.

The UPA Government, which introduced the Bill first in Parliament, had given primary importance to the welfare of labour. It was labour friendly whereas the policy of the NDA Government is towards helping the businessmen, corporate houses and industrialists. They forgot the sentiments of the workers in the guise of creating more employment opportunities and promoting entrepreneurs. Do we

create more employment by rejecting the rights of the workers? Are we creating slavery in industry and service sector?

Sir, moving the amendment Bill, the hon. Minister of State for Labour and Employment assured in the Rajya Sabha that the Government wants not to compromise on the interest of workers and the legislation was not meant to give exemption to any establishment; the Bill is a social security measure; it simplifies procedures; and the main purpose of bringing the Bill is, transparency, accountability and proper enforcement.

Hon. Deputy Speaker, Sir, the hon. Minister may please apprise us as to how this Bill ensures the social security of the workers. If their rights are not protected by the labour laws, how can they protect themselves from the vagaries of the employers? They do not even keep the salary slips of the workers. The Bill, as amended, proposed to change the original Act of 1988 to increase the number of laws under which small establishments are exempt from furnishing returns and maintaining registers from 9 to 16. The amendment gives the definition of small establishment to cover unit employing between 10 and 40 workers as against the limit of 19 workers at present. The employer may maintain the returns filed and the registers on a computer, floppy disc, compact disc or other electronic media. The print-outs of these records shall have to be made available to the inspector on demand. The information may also be furnished to the inspector by electronic mail. It is true that such things will help the industries and establishments by reducing the paper work. They need not go to Labour Enforcement Officers for licence and it will reduce inspections also.

Hon. Deputy-Speaker, Sir, the seven Acts that are added in the list include The Motor Transport Workers Act, 1961; The Payment of Bonus Act, 1965; The Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979; and The Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996. It will allow firms to maintain returns or files on electronic media. All these Acts which have

been exempted are related to the very poor and down-trodden workers. Now they will be under the duress of the employers. We need not wonder if the bonded labour system is brought back in the construction sector because the Government is doing like that. This Government is giving all freedom to the employers and not protecting the interests of the poor workers. So, as I mentioned, seven Acts have been also included. It also includes The Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act. That is also very dangerous. This Bill will also allow them to maintain returns on electronic media. That is also very dangerous.

Hon. Deputy-Speaker, Sir, who will take care of the employees and workers in establishments and industries where the number of employees is less than 14 and where the violations of labour laws are occurring in the areas which have been exempted of Labour Laws? If the laws are exempted, why should we have the laws at all? We need to reduce red-tapism and delay. That is what we are also supporting. But at the present stage, this amendment is totally against the workers. That is why, we are opposing this Bill.

Sir, the labour unions have also announced a countrywide protest on 5th December against the amendments because a large number of units will no longer be regulated for maintaining registers of attendance and wage slips of workers. These amendments are against the interests of the labour and the workers will have difficulty in accessing the records. Therefore, all the trade unions have announced a nationwide protest against the labour law reforms. Even BMS, which is a pro-BJP union, has also joined the nationwide protest with other trade unions. What is the reason behind it? Hon. Minister must think as to why BMS has also joined this nationwide strike. It is because the Government is moving the Labour Laws Amendment Bill which is totally against the interests of the workers and also they are always protecting the corporates, the industrialists and other employers. Therefore, the workers in the entire country are very much unhappy with the movement of labour reforms.

During the UPA's tenure, under the leadership of Madam Soniaji and our former Prime Minister, we had moved many amendments in the labour laws which were all protecting the interests of the workers.

The then hon. Labour Minister, Shri Mallikarjun Kharge, is here. During his period also the attitude was that we must protect the interest of the workers, but this Government has changed that attitude and changed all the laws. This Government has changed all the original amendments moved by us, and they have brought their own amendment, which is in the interest of corporates / industrialists and interest of the BJP. Therefore, these labour aws are totally against the poor / downtrodden workers and they are not protecting the poor workers. So, I am opposing this amendment.

The hon. Minister should reconsider this amendment because all the trade unions -- including your Party's trade union -- are objecting to this. Therefore, you should withdraw this amendment; take all the trade unions into confidence; you have to discuss this with them; you have to interact with the trade union leaders; and their opinion is also to be taken into consideration; and then only the workers' interest will be protected.

We oppose this amendment in the interest of the poor workers.

श्री हुकुम सिंह (कैराना): अभी मैं माननीय सदस्य का लम्बा भाषण सुन रहा था, लगता है कि बहुत से लोग काल्पनिक दुनिया में रहने में विश्वास करते हैं। मैं इस बिल का केवल समर्थन ही नहीं करता, रवागत भी करता हूं। मैं इसका स्वागत क्यों करता हूं, उसके बारे में संक्षेप में बताना चाहूंगा। राष्ट्रिपता महात्मा गांधी ने सदैव यह कोशिश की कि गांवों में उद्योग आएं, छोटे उद्योग आएं, कुटीर उद्योग आएं और अगर गांवों में कुटीर उद्योग आते तो आज गांवों की यह हालत न होती, जैसी हालत अब है। लोग गांव छोड़कर भाग रहे हैं, वहां रोजगार नहीं है। बाहर जाकर रिक्शा चला लेंगे, लेकिन गांव में रहने का कोई साधन नहीं है। उसी कमी को दूर करने के लिए यह सोचा गया था कि गांवों में छोटे-छोटे उद्योग स्थापित हो जाएं। मैं अपने क्षेत्र की बात नहीं करता, पूरे उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, बिहार की बात करता हूं, हिरयाणा की बात करता हूं। हजारों उद्योग केवल इसलिए बंद हो गए कि इंसपेक्टर राज ने उनका चलना नामुमिकन कर दिया, असंभव कर दिया। क्रशर लगे थे, गन्नों की छोटी-छोटी इकाई थी, वहीं पर लोग चीनी बनाते थे, गांव में ही गन्ने की पेराई हो जाती थी। दस-बीस-तीस-चालीस-पचास वर्कर्स वहां लग जाते थे, उनको मजदूरी मिल जाती थी और किसान को भी सुविधा मिल जाती थी। जो अपने गन्ने को मिल तक नहीं ले जा पाता था, वह वहां ले जाता था। आज वे सब बंद हैं। क्यों बंद हैं?

यह जो इंसपेक्टर राज हैं, यह एक ऐसा शब्द हैं, आज यह इतना कुख्यात हो गया कि जहां जाएगा, वहीं पर उद्योग को समाप्त करके आएगा। हम यह जो कल्पना करते हैं कि इंसपेक्टर जाकर वहां श्रमिकों के हितों की रक्षा करेंगे, वह बहुत बड़ी भूल है। जो बड़े-बड़े उद्योग हैं, जहां उनकी रक्षा करने की आवश्यकता है, वहां बहुत विद्वान लोग बैठे होते हैं, वहां उनका अपना लेबर ऑफिसर भी बैठा हुआ है, पर्सनल ऑफिसर भी बैठा हुआ है, लीगल ऑफिसर भी बैठा हुआ है, वे कुछ न कुछ कमी निकालकर जिस श्रमिक को निकालना है, निकाल देंगे। वह तमाम उम्र सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ लेगा, लेकिन उसको दुबारा रोजगार नहीं मिलेगा, वेतन नहीं मिलेगा। यहां कोशिश इस बात की होनी चाहिए थी कि बजाय किसी इंसपेक्टर का पंजा लगाने के, एक रेगुलेटर होने की बजाय, फेसिलिटेटर होना चाहिए कि कैसे उस उद्योग को आगे बढ़ाया जाए, प्रोत्साहन दिया जाए, लेकिन वह मंशा आपकी नहीं रही है। हम इस बात की कल्पना करें कि जिस व्यक्ति ने गांव में एक छोटा सा उद्योग लगाया, करघा लगा लिया, क्रशर लगा लिया या कोई छोटा पीसने का उद्योग लगा लिया, क्या वह वहां पर अपना लॉ ऑफिसर रखेगा? इस कानून को समझने के लिए उसको एक टेक्नीकल आदमी की आवश्यकता पड़ेगी, इस कानून को समझने की आवश्यकता पड़ेगी। मैं कहता हूं कि आप यह जो अमेंडमेंट लाए हैं, इसमें आगे भी आवश्यकता है। आगे की आवश्यकता उसमें यह है कि जो भाषा आज हमारे कानून की हो गयी है, वह सामान्य भाषा नहीं है और न सामान्य

व्यक्ति के लिए रही। मेरा जैसा व्यक्ति जो थोड़े दिन कानून पढ़ा भी हो, उसे भी उस भाषा को समझने में दिक्कत आती है और कभी-कभी शब्दकोष से हमें सहायता लेनी पड़ती है। आवश्यकता इस बात की थी कि इतना सरलीकरण हो जाए कि छोटा उद्योग लगाने वाला व्यक्ति भी उस भाषा को समझ जाए और उसे कहीं अदालत में जाने की आवश्यकता न पड़े, किसी की कानूनी सहायता की उसे आवश्यकता न पड़े। एक के बाद एक कंट्रोल अगर उसके ऊपर होगा तो कौन अपना उद्योग चला लेगा? मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का इस बात के लिए अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस बारे में सोचा तो सही और यह केवल ऐसे ही नहीं आ गया। कितनी ही स्टेजेज पर इस पर विचार हुआ। राज्य सभा में विचार हुआ, स्टेंडिंग कमेटी में विचार हुआ और तमाम जगहों पर विचार होने के बाद यह यहां पर लाया गया। स्टेंडिंग कमेटी में तो सभी दलों के नेता रहते हैं, सभी दलों के प्रतिनिधि रहते हैं, विस्तार से वहां पर विचार हुआ। मैं तो इस बात पर बल देता हूं कि इस पर आगे भी विचार करने की आवश्यकता है। जितने भी प्रफोर्मा आपने यहां पर रखे हैं उनका सरलीकरण किया जाए। कोई उद्योग चलेगा तो वह पारस्परिक विश्वास पर ही चलेगा, तनाव की स्थिति में नहीं चलेगा। वहां हर समय कोई खड़ा रहे कि आपने यह फार्म भरा कि नहीं भरा, तुमने इसका रिटर्न दाखिल किया या नहीं किया? अगर रिटर्न ही दाखिल होते रहेंगे तो उद्योग तो चलने से रहा। हमें भी सरकार में रहने का थोड़ा अनुभव प्राप्त हुआ। मैं खाद्य मंत्री था तो मैंने देखा कि एक व्यक्ति को अपना रोजगार चलाने के लिए 25 फार्म्स की आवश्यकता पड़ती थी। मैंने जब उनसे पूछा और उसके नवीनीकरण के लिए जानकारी प्राप्त की तो हर दिन कोई न कोई उस दुकानदार का प्रतिनिधि या तो आरएफसी के यहां रहता था या कलैक्टर के यहां रहता था या डीएसओ के यहां रहता था। मैं सोचता रहा कि इसके इतने आदमी यहां पर लगे रहेंगे तो यह व्यापार कहां से चला लेगा और मैंने सरलीकरण करते हुए एक कम्पोजिट प्लेस हमेशा के लिए बना दिया और अब कोई परेशानी नहीं है। अगर किसी ने मजदूर रखा है तो मतलब यह नहीं कि वह मजदूर शोषण करने के लिए रखा गया है, बल्कि उसे रोजगार देने के लिए उसने रखा है। उसका गुजर-बसर उसी के ऊपर निर्भर करता है। उद्योगपित जो छोटा-मोटा काम करता है, उसके और श्रमिक के बीच में यदि सहयोग नहीं होगा, आपस का विश्वास नहीं होगा, तो उद्योग तो स्वतः ही चौपट हो जाएगा। आज हमें अपने दर्शन को बदलने की आवश्यकता है, अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है कि हम पारस्परिक विश्वास के आधार पर काम करें। जितने भी कानून आज हैं ये सारे के सारे अविश्वास के भाव के हैं। श्रमिक जाएगा, उसे वेतन नहीं मिलेगा या कम वेतन मिलेगा, उसके वर्किंग आवर्स ज्यादा होंगे। आखिर मैं कौन होता हूं इस बात को चैक करने वाला, अगर मेरे चैक करने से वहां पर सही बात हो जाती तो इतने उद्योग चौपट क्यों होते?

मान्यवर, अगर हमने गांधी जी के दर्शन को मान लिया होता, सरदार पटेल के दर्शन को मान लिया होता, चौधरी चरण सिंह के दर्शन को मान लिया होता तो आज गांव में आदिमयों को माइग्रेट करने की आवश्यकता न पड़ती, शहरों में आकर रिक्शा चलाने की आवश्यकता न पड़ती। उस उद्योग में वे उत्पादन करते, देश की पूंजी को बढ़ाते, गांव की सम्पन्नता को बढ़ाते और गांव की हालत वह होती, जिसकी कल्पना गांधी जी ने की थी। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि केवल यहीं तक अपने को सीमित न रखें, आगे भी इस पर विचार करें।

एक स्थिति ऐसी आनी चाहिए जब कोई इंस्पेक्टर दरवाजे पर आकर खड़ा न रहे। हमारे कानून की आड़ लेकर भ्रष्टाचार नहीं पनपना चाहिए। सारी स्थिति का इतना सरलीकरण कर दें कि उस स्थिति को उद्योग चलाने वाला भी समझे और श्रमिक भी समझे। श्रमिक भी तो सामान्य समझ का ही व्यक्ति है। जो आपने बात कहीं, मुझे आश्चर्य हो रहा था कि यह वह फैक्ट्री नहीं है जहां हजारों व्यक्ति काम करते हों। यह वह फैक्ट्री नहीं जो बैंगलौर में, मुम्बई में या दिल्ली में हो, जहां हजारों लोग काम करते हैं। मान लीजिए गांव में एक सरसों का तेल निकालने का कोल्हू लगा लिया। सरसों पैदा होती है तो अच्छा ही है कि उसका तेल भी निकल जाए। गांव में धान पैदा होता है तो उसे क्रश करने की मशीन लगा ली जाए। धान की मिल लगा ली जाए और उसमें मान लीजिए 15-20 या 25 आदमी काम करें तो वहां के रहने वाले लोगों को रोज़ग़ार मिलेगा। उनको आमदनी होगी। किसान को लाभ होगा। यदि वहां रोज़ाना इन्स्पेक्टर जांच करने के लिए खड़े रहेंगे कि रजिस्टर दिखाओ, फलां रिटर्न दिखाओ, फॉर्म जमा किया या नहीं किया उसकी स्लिप दिखाओ, तो कैसे वहां उद्योग चल पाएगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आपने जो एक क्रान्तिकारी क़दम उठाया है, उसके साथ-साथ सरकार इस पर भी विचार करे कि जितने भी प्रमानार्माज़ हैं, उनका इतना सरलीकरण हो जाए कि वे हर आदमी की समझ में आ जाएं और कोई इंटर पास व्यक्ति भी उन प्रोफोर्माज़ को भर सके। उनको भरने के लिए उसको अदालत में जाने की आवश्यकता न पड़े तभी हमें लगेगा कि गांधी जी के वही विचार सामने आ रहे हैं, जिनकी कल्पना उन्होंने कभी की थी।

में आपके संशोधन विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं और आपसे यह अपील करता हूं कि आगे भी इस पर विचार किया जाए और सरलीकरण करने के लिए जो सम्भव हो, उस दिशा में हम लगातार आगे बढ़ते रहें।

SHRI R. PARTHIPAN (THENI): Mr. Deputy-Speaker, Sir, let me commence my maiden speech in this august thanking our revered leader, our Party's General Secretary and the former Chief Minister, Amma for enabling me to be a peoples' representative here. I also thank the electorate of my Theni Lok Sabha Constituency for having heeded to the appeal made by our leader, Amma to get me elected.

Before I could continue, I seek the protection of the Chair to allow me to complete my speech in full for which I may use some notes as this happens to be my maiden speech.

I thank the Chair for giving me an opportunity to revise the definition of the expression "small establishment" and to provide for maintenance of returns in computer. We all know that it has always been the practice under every law pertaining to the labour that registers have to be maintained by the employers and to furnish such returns to enforcing authorities. Now, we find that the numbers of such registers have increased considerably. There have been demands to simplify the forms of various returns. That is understandable. It is also understandable to go in for filing such returns using computers and transmitting the returns electronically. It is quite relevant that in a computer era like that of ours, we go in for using the modern technologies. At the same time, when computers can cover so many entries in so short a span of time, we are leaving out many small establishments to move away from the ambit of the enforcing authorities who will be ensuring the employee welfare. If you go by the basic principle to be adopted by any labour law, it should be a balancing act to get the maximum benefit for the labour who create wealth both for the employer and the nation and to get matching benefit for the employer who gets several concessions from the State to create a domain of wealth in the form of an industrial establishment.

As one hailing from the Dravidian Movement which believes in bringing about an egalitarian society where the divide between the rich and the poor is sought to be minimized to a maximum level. At this juncture, I would like to bring to your notice the 'Vision Document Tamil Nadu 2023' which points at implementing physical and social infrastructure project that will aid economic development. It is needless to say that the labour constitutes the social infrastructure. Under the dynamic leadership of our leader, the former Chief Minister, Amma, the Government of Tamil Nadu, our Party, AIADMK, commits itself to pro-active policies pertaining to labour class. This has to be seen in the light of the increase in foreign direct investment in many sectors in Tamil Nadu which is one of the most industrialized States in the country under the AIADMK's rule in Tamil Nadu.

Sir, globalisation and liberalisation have thrown up new challenges to ensure labour welfare. The avowed policy of our Government is to create an atmosphere of industrial peace and harmonious relations between the employees and employers to achieve common growth. Hence, we have always taken care to protect the interests of the workers by way of effectively enforcing various labour legislations. Even when it comes to unorganised sector workers spread across various sectors of employment, our Government of Tamil Nadu has always taken pioneering efforts in providing various forms of assistance.

While pointing this out I would like to dwell on the Bill the House has taken up now. It looks simple that to reduce the burden on employers and to simplify the forms of various returns the Union Government goes for creating new divide within the small establishments sector. This Bill seeks to create 'small establishments' and 'very small establishments'. At a time when jobs are reduced due to mechanisation and computerisation, the Bill seeks to exempt establishments which have their number of workers up to 19. The Bill increases the number to 40. This may look innocuous but the result will be that more than 70 per cent of small establishments will not come under the purview of labour welfare authorities.

It is undertstandable to go in for online computer filing of returns when the volume of data is more. It is also true that computers can handle work much faster than the earlier manual way of handling things. When that is so, I fail to understand why some of the small establishments should be exempted from the ambit of this law.

This Bill not only exempts the furnishing of returns and maintaining of registers but also exempts quite a number of small establishments which I am afraid may affect the labour class who may not be able to get the legal cover to protect themselves from the onslaught of anti-labour moves of industrial establishments.

I would like to know from the Union Government whether State Governments have also been taken into confidence while framing this Bill. It is true that several rounds of talks have taken place with the trade unions. Is it not necessary to consult State Governments also who are ultimately the regional custodians to protect the interests of the labour class in their regions?

The First Schedule and the Second Schedule of the Principal Act are sought to be substituted. In the light of new enactments that have come about, the number of Acts in the list has increased from nine to sixteen. In this list we find mention of building and other construction workers, the child labour, the contract labour, the beedi and cigar workers who are in the unorganised sector. The labour welfare measures for these sections are being felt in very few States of which Tamil Nadu is a leading State. For instance, the Minimum Wages Act is being implemented effectively and even teachers have been brought within its purview.

I am afraid this Bill may help some of the contractors to circumvent their obligations under the Act. Hence, I urge upon the Union Government to bear in mind the welfare of the workers who create wealth for the country. Expressing my concerns which I hope this Government will attend to, I conclude my speech supporting the Bill.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Hon. Deputy Speaker, Sir, with the background of more than 40 years of trade union work behind me and representing an industrial Constituency, with all humility and with all the strength at my command, I oppose The Labour Laws (Exemption from Furnishing Returns and Maintaining Registers by Certain Establishments) Amendment Bill, 2014.

Before I go to the Bill proper, I want to mention that the working class in this country has not got anything without struggle. During British times, labour rights were not recognised. On becoming Independent, the first law that was brought was the Industrial Disputes Act, 1947, to sort out the problem of labour. Next the Factories Act, 1948, was introduced which specified working hours to 8 hours a day and not more than 48 hours a week, specified the condition of the factories, described the canteens, holidays, etc.

After Independence, as we gained experience, workers who worked outside factories were also brought in the ambit of legislation. For instance, the tea garden and other plantation labour were brought in. Then, the working journalists were brought in. The Motor Transport Act was there. Then the Payment of Bonus Act 1965 was done. Similarly, the contract labour and various other kinds of workers were brought within the ambit of legislation.

Now, all this was done because there was a demand from the working class and the Government of the time thought to ensure the working of the laws, certain enactments were necessary. I find that the present Government is trying to reduce the powers of the working class and take recourse to anti-labour legislations in homoeopathy doses. They are intelligent in the sense that they are not doing anything at one go. They first introduced some anti-labour legislation in Rajasthan against which there has been widespread agitation. Then they passed the Apprentice Act and now they have brought this Act.

Basically, this Act covers small establishments. If you take establishments employing say up to 40, though there is no total national census on this, 75 per cent establishments and 80 per cent of working class are covered in the small

establishment category and they are not in big cities alone. If you go to small cities like Ludhiana, you would find some industrial clusters have come up there. They are small establishments and in their case, labour laws are observed in violation.

The biggest problem is that today the employers are not giving permanent employment to workers. They all work through the new word 'outsourcing'. The Government of India itself is resorting to outsourcing. When I go to All India Institute of Medical Sciences, I find there the maximum number of contract workers. They constantly say that they are getting Rs.100 or Rs.150 per day. They request me to raise their issues. Now slowly these people are being weeded out. I have worked in the organised big industry and at least there the rights of workers are somewhat protected. But in the smaller industries, rights of workers are not protected. A thing like feudalistic approach is always there. They employ 10-15 people. They do not give them any wages according to laws. They do not give them social security in the form of EPF and ESI.

Now what the Government originally envisaged in 1947 and later when Minimum Wages Act was introduced, for instance, in 1948, that the Government would appoint Inspectors and they would inspect. It is true. But unfortunately, after Independence, in some cases, this Inspector Raj became a disliked word because the inspectors did not do any inspection. They went to a factory, collected some money and came back. It does not mean that the legislations were bad. Now, all these legislations entailed furnishing of returns so that the Government could keep a check on whether the company was observing a particular labour law or not. SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Now, in which Department are there no inspectors?

PROF. SAUGATA ROY: It is there in every Department. You have also done good work in this field and I will come to you shortly.

Some people started saying that for smaller establishments simplification of procedures were necessary because they have to fill up so many forms and so it

was difficult. Nobody can disagree that simplification of procedures were called for as a result of which originally there was a Bill brought in 2005 by the UPA–I Government. This amendment Bill reduced some of the procedural problems. This Bill was examined by the Parliamentary Standing Committee on Labour headed by Shri Hemanand Biswal, who is no longer a Member of this House. The Standing Committee gave a detailed report.

As far as the Bill is concerned, there are two aspects. One is, the Government in the present Bill had followed the recommendations in the sense it has called it a Bill for simplification of the procedures for furnishing returns and maintaining registers in relation to establishments employing a smaller number of persons under certain labour laws. My objection is not to that. The main thing that is being done now is that they are increasing the number of workers, in the simplification procedure, from 19 to 40. Let us now see what the Parliamentary Standing Committee on Labour had recommended. You may kindly see how this Government is violating the recommendation of a Standing Committee of Parliament. The Committee recommended that in the given circumstances, the Committee is apprehensive that further increasing the number of employees would entail most of the industries being exempted from furnishing the returns and maintaining the registers. Mindful of the stout opposition from the major trade unions, the Committee desires that *status quo* be maintained as regards the number of employees for inclusion in small establishment. So, the Standing Committee recommended that you simplify the procedure but do not increase the number of employees and keep it at 19. The Standing Committee recommended the number at 19 as prescribed in the principal Act, or at the most the number could be increased to 25 and results studied closely. That is why I have given an amendment saying that if you want to increase it, increase it utmost to 25 as per the recommendations of the Parliamentary Standing Committee on Labour. This Government has not looked at the recommendations of the Standing Committee. This is the problem. The problem is that, nowadays there are the IT companies and

quite a large number of them. Most IT companies have small number of employees, 10, 15, 20. Now, all these IT companies will be exempt. The Standing Committee on Labour dealt with this issue. The Committee felt that in the increasingly automated world, the number of employees is persistently reducing as manual interference is going down. The Committee felt that the turnover of a smaller hi-tech establishment with lesser number of employees may be many times higher than the turnover of many smaller units put together.

So, with a small company, you can have a high turnover in the automated world. You are increasing it. That means you are putting a large number of companies out of the ambit of the Act. What is the purpose of having inspectors or giving returns? The purpose is that there will be some control or some check as to whether labour laws are being observed or not. But you are taking it out of the purview of the labour and it will be a Government inspection which will make it very bad for the workers.

I have no objection if the returns are submitted electronically or online. Let them simplify this.

Sir, how many institutions is he touching? The Central Statistical Organisation say that there are 418.27 lakh such small establishments. Their workers all be put in difficulty.

Then the second defect in the Bill is this. Earlier also, it was there when the Bill was brought in 2000. There was no penal provision. Now, any Bill without a penal provision is a Bill without teeth. If there will be no penalty, then people may feel that they need not submit any return. It is a strange Bill where there is no penal provision. This is what the Standing Committee on Labour also mentioned. They say: "The proposed amendment if enacted would be highly detrimental to the labourers as there is no deterrent penal provision of keeping a check on the defaultee establishment." There cannot be a law without a deterrent penal provision. Unfortunately, Shri Dattatreya is new to this Ministry. He has not addressed this problem.

Thirdly, you are now bringing 16 laws under the ambit of this Bill. The main problem of the Government everywhere is that enforcement machinery is not strong enough. Enforcement will become difficult if there are 1000 establishments and if you have only ten inspectors. So, the main thing is, it is not just enough to have a law. It is also necessary to have a strong enforcement machinery.

The Standing Committee on Labour also mentioned that the Committee are of a considered view that strengthening of enforcement machinery is an imperative need of the hour and therefore, the field staff needs to be augmented urgently and adequately so as to facilitate regular inspection of the establishments and strict enforcement of labour laws.

Sir, actually the Standing Committee recommended that the Government should not go ahead with this amendment. The Committee therefore recommended that the Government reconsider the serious implications of the proposed amendment.

I do not know whether you will be able to do it or not but keep this simplification intact. Take out the numbers part because you do not know whether you will be able to handle this as return under 16 laws has to be given together. Establishments are not able to do it and your inspectors will not be able to inspect them.

I strongly feel that the Government should not press for this law as in the present stage. Trade unions have all opposed this law. Now, Mr. Bandaru Dattatreya from Secunderabad has become the new Minister in the recent shuffle of the Cabinet. He will need time to acquaint himself with the different labour legislation and working of the Ministry. So, why cannot he take back the law instead of standing on prestige? Passing this law will satisfy only a few people in the Chambers of Commerce but not passing this law would make happy a large number of working class who are suffering like the contract labourers, the plantation labourers of these are working in the small factories. You have to

decide on whether you want the working class to be with you or you want the industralist class to be with you. The choice is yours.

I again oppose the Bill. While keeping the simplification, you should do away with this numbers game.



SHRI RABINDRA KUMAR JENA (BALASORE): Hon. Deputy-Speaker, Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on the Labour Laws (Amendment) Bill, 2011.

I will speak from my own experience and not from any other consideration. I say so because I had the advantage of working in an industry for about twenty years. Having joined the industry at the bottom most rung of the ladder as a Trainee, I left the industry after twenty years as the Managing Director of the company. Hence, I had the advantage of getting myself associated with various labour issues in course of my association with the industry in those twenty years.

Having said that, let me go back to the Bill in detail. The Bill was first brought in the year 2005. But the Bill was returned with primarily two observations. One is, extensive discussion must be held with all the stakeholders, more precisely with the employers and the employees. The Bill was again reintroduced in the year 2011. After this, discussions were held with the employers but no consensus was arrived at with the trade unions and with the employees.

One of the basic things which I would like to point out is that the whole Bill is based on a certain study conducted by the CSO, Central Statistical Organisation. The CSO, in its Report, has very clearly opined that about 418 lakh of such establishments are there in the country. But it was silent on the number of people working in those industries. This is a very important point that I would like to make. So, the number of workers have not been ascertained or determined. But the amendment has been brought forward basically on the basis of the numbers, which several Members who spoke before me have also pointed out. The study was never conducted on the number itself. It is a very important point I would like to bring to your notice.

I will come to some of the critical observations about the Bill. We had a lot of discussions on the Standing Committee's Report. The Member who spoke before me has said that the Standing Committee has given its consent to the Bill.

The Standing Committee has made several recommendations. But several of those recommendations have not become part and parcel of the Bill.

I will point out a few of them. For example, the Standing Committee has said that there is no penal provision in the Bill. I would just like to read out the Standing Committee's recommendation. It said:

"In the given scenario when there is no provision of punishment in the Act itself, it is open for the establishment not to furnish the return which could reveal the status of micro, small and medium enterprises. The Committee are of the considered view that a law without penal provision is toothless and cannot be enforced."

Any law without a legal provision is basically a law which is defunct and has no existence. I would sincerely urge upon the hon. Minister to take cognizance of this serious and important point. Otherwise, we would digress from the main objective of the Bill.

Now, I will come to point no. 2. It is basically a number game. One of our senior Members said that it should be increased from 19 to 25. You need to understand that on the face of it the Bill may look very simple, that this Bill is nothing but the number is getting increased from 19 to 40. But it has got a very serious consequence on the number of people who will go out of the ambit of the labour laws or the legal framework. The moment you increase it from 19 to 40, more than 70 per cent of the workforce in the country from this sector will go out of the ambit of the legal framework.

14.00 hrs.

To whom are we addressing? It means that the fate of all the labour class is slowly and silently getting transferred into the hands of a chosen few who are, by and large, driven by profit motive. Are we doing justice? Are we supposed to pass this kind of a law with this type of a provision in it? It is very serious that while the return is submitted in the electronic format, there is no provision that the names and other details of the employees need to be filled up. This will put to non-

transparency in the system. People will take advantage of this. So, I would very seriously and honestly urge upon the hon. Minister to take cognisance of the three points which I made just now. We, *per se,* do not oppose this Bill but while supporting the Bill, we very strongly urge upon the hon. Minister to consider the three critical points while passing the Bill.

With these words, I conclude. .

SHRI B. VINOD KUMAR (KARIMNAGAR): Sir, on my own behalf and on behalf of my Party, the TRS, I support this Bill, of course, not *in toto*.

I would like the hon. Minister to take into consideration the views expressed by a few Members who spoke just now. This Bill was introduced 8-10 years back in the Rajya Sabha. Later, a Standing Committee was constituted. The Standing Committee had expressed that the Government ought to have had discussions with the trade unions in the country as also the employers. After a few deliberations with the trade unions and with the employers, I learnt that the Standing Committee had also visited many places in the country and had discussions. Ultimately, they have given some suggestions to the Government before introducing this Bill in this House.

The very title says Labour Laws (Exemption from Furnishing Returns and Maintaining Registers by Certain Establishments) Act. The Standing Committee has suggested that the word "exemption" is not giving a good opinion because the word is giving an impression that we are doing something wrong to the working class. So, they have suggested the expression "simplification of procedures". As suggested in the amendment to Section (1), we are amending that today.

At the same time, they have further stated that the number should not be 40; let it be 25. I too feel that let the number not be 19 or 40 but let it be 25. That would be better because if we increase it up to 40, as told by the senior Member, there are lacks of establishments which will be let out of the purview of this Act in future.

Coming to section (4) which this Bill proposes to amend, I would say that this is a good proviso wherein we are coming with a provision that the details may be furnished electronically, that means, through computer, e-mail and they can send it to the officers concerned electronically. It is good. It is not good that a small establishment need to fill up all the registers, forms running into hundreds each day. So, this provision which we are amending today, is a good one because nowadays every establishment is having a computer.

Prof. Roy suggested that the Standing Committee had expressed 5-6 years back that there were a few establishments without computers. But after a span of a decade, I hope that every small establishment will have it. Every small establishment or even a *kirana* shop will have to have a desktop in future. This is a good amendment. What I would like to say is that in the guise of labour reforms, employer should not take advantage. There are few establishments, particularly beedi employers, though they are employing hundreds of employees, they are not reporting that they are employing so many people. In the main Act, there is no penal provision. For not furnishing the details, there should be some proviso of imposing huge penalty which can be fixed by the authorities against the employers who misuse the Act.

Yesterday, the Chief Minister of Telangana, Shri Chandrashekar Rao Garu declared a new industrial policy for Telangana. Our Government is coming forward to also tackle all the labour laws. We are for reforms. So, let us first give employment to the young generation of the country. Particularly in my State, our Chief Minister has taken a decision by enacting a law yesterday in Telangana Legislative Assembly wherein we have come forward with very good suggestion. I hope that this Bill will also help us in the coming days not only Telangana but also the whole country.

In clause 4, probably authorities might have missed. They are still mentioning the word, 'exemption'. In paragraph 5, in clause 4(1), line 2, where the word 'exemption' is still there. Whereas in para 3, 'exemption' is replaced with the words 'simplification of procedure for'.

With these words, I support this Bill.

SHRI SANKAR PRASAD DATTA (TRIPURA WEST): Hon. Deputy-Speaker, Sir, here I stand to oppose the Bill. All of I know that in 2005, this Bill was placed in the House of the People. At that time, all the Members agreed upon that that Bill should go to the Standing Committee. After a thorough discussion in the Standing Committee, the Standing Committee opined that the Committee, therefore, desire – I quote – that the Bill should be returned to the Government with the request to hold discussions with the employer and the employee groups before reaching any consensus on reforming the labour laws. This was the opinion of the Standing Committee but at that time, during the tenure of earlier Government, we saw that up to 2011 that Bill was lying in Parliament. In 2011, this Bill was withdrawn. Why? Earlier Government was not interested to talk with the employers and employees. They could not arrive at a consensus among the employees, those who will get maximum benefit. They are the main stakeholders of the industry. So, at the time of the UPA Government while this Bill was withdrawn, again, we are seeing in today's Bill that the clause which will have the interest of the workers is exempted.

Here, the clause remains which will protect the interest of the employers and that is why I am opposing this Bill. In this Bill, on page 2, in line 8 it is stated that in Section 2 (e) of the principal Act, for the word "nineteen" the word "forty" shall be substituted. Why has it been done like this? It has been done so because the BJP-led NDA Government is for the corporate, of the corporate and by the corporate. For the sake of corporate nouses, this Bill has been introduced here. If this Bill is passed, then 71 per cent of our factories and more than 80 per cent of our workers will go out of the ambit of labour laws. So, where will the workers of our country get justice from? The workers who are getting only Rs. 3,000 to Rs. 5,000 per month will not get justice. The employers who want to make more and more money will not protect the interest of workers. Why is this Government interested to bring this type of amendment? The Government wants to protect the

interest of corporate houses of our country and not the interest of the workers of our country.

Sir, I would like to quote here what the Standing Committee on Labour has stated in their Report in the year 2005. The Report says:

"The Committee are apprehensive that further increasing the number of employees would entail most of the industries being exempted from furnishing the returns and maintaining the registers. Mindful of the stout opposition from the majority of the trade unions, the Committee desire that *status quo* be maintained as regards the number of employees for inclusion in small establishments, that is, 19 as prescribed in the principal Act or, at most, the number could be increased to 25 and the result studied closely."

In the Standing Committee, various opinions are represented and they unanimously opined that this Bill should not be passed in the present form. But why is the BJP-led Government interested to pass this Bill now? The BJP-led Government is interested to bring in major amendments to labour laws which are prevailing in this country. We are hearing that the Factories Act and other labour related Acts which protect the interest of the workers are being taken up for amendment in Parliament by the BJP-led NDA Government. This is the first step of this Government. They are thinking that they have the majority and this is the proper time to save the interest of the corporates. They are in a hurry to pass this type of Bills. The persons who have voted for them do not matter to them now. The 31 per cent people have voted for BJP; they are not interested about the voters. BJP-led Government is only interested about the persons who have given notes to them. BJP-led Government is not interested about the voters. BJP-led Government is interested about those who have given thousands of crores of rupees to them. For their sake, this Government is bringing this type of Bill in this. Parliament, in this august House. It is the duty of this House. The maximum number of voters of our country have elected the Members of this House. The people who participated in the last Lok Sabha election hoped that this Government

will look after matter what the UPA Government could not do. But, all went in vein. From the very beginning, this BJP-led Government is trying to keep the interests of the capitalists, the corporate houses and others and not the interests of the poor people, the peasants, the agricultural workers, the workers, the students, the unemployed youths of our country. That is why, today, I have also given an amendment in this Bill. Later on it will come. I hope this august House will look after the matter sincerely. This august House will look after the matter to keep the interests of the people who are serving the people of our country.

With these words, I conclude. Thank you Sir.

SHRI VARAPRASAD RAO VELAGAPALLI (TIRUPATI): Thank you, Mr. Deputy Speaker, Sir, for giving me this opportunity. At the outset, let me say that I do not want to politicize this Bill. In view of my past experience as the Labour Commissioner, Government of Tamil Nadu, I thought I should give some inputs here. Incidentally the hon. Minister is also very well experienced and I thought you could also get some points from here and ponder over them. So we are neither against the Bill nor for the Bill.

The simplification of the procedure is very encouraging. But if you get into the details, rather than simplification, it is only complicating the matter. Only one simplification that we could see here is that the registers and the returns could be sent electronically. In the present day, we admire that. There is not much of transparency in all that. It is as good as hard copy submission. But coming to the number, increasing it from 19 persons to 40 persons, as earlier speakers have very loudly and clearly conveyed, it takes away almost 70 to 80 per cent of the workers out of the gambit of the Labour Laws. Particularly in the present day of computerization the number of the employees in each of the office is coming down because earlier whatever work five people who could do, they are getting it done with one person. So more number of work force will go out of its gambit. Therefore I submit before the Government to re-look at this issue also.

Secondly, the most important point is that there is no penal action. Obviously any legislation without a proper penal action is toothless. It does not serve any big purpose. That is one of the reasons why the Parliamentary Standing Committee after having 10 to 12 sittings, referred it back to the Government saying not to reintroduce the Bill. It is in the same form after so much discussion in the Parliamentary Standing Committee, without even changing one line of it. In 2005 it was introduced. The Committee sat for almost ten times. It came again in 2011 and accepted that some more amendments could be removed. But now it is coming again in 2014 in the same letter and spirit. Therefore, the number has to be reconsidered. Instead of straightaway increasing it to 40, it could be considered,



as the Committee has clearly stated, to 25. Penal action has to be there because employers are misusing it. You have added new Acts. Earlier there are only nine Acts and now they made it to 16 which come under the purview of this Principal Act. One of the most important Acts is the Minimum Wages Act, which all of us crave for. In villages women are paid very paltry sums of Rs. 50 per day. So the very purpose of the Government putting that the minimum wages is getting defeated if you bring all these acts into this principal Act. There are other Acts like the Bonus Act, the Beedi Workers Act. That is another important thing where the piecemeal work is done. So unless the returns and registers are maintained in this, there is no justice and these workers could be benefited out of this.

So as against the nine original Acts which are coming under the purview of this Act, they have also added another seven Acts and made it to 16. There is no consensus also. The Parliamentary Standing Committee has repeatedly mentioned that consensus has to be obtained between employees, employers and the Government. But it was not done as the notes very clear say that.

Therefore, taking into consideration what the Parliamentary Standing Committee has pointed out, I request once against the Government to consider the number and penal action has to be provided in this Act. The number of laws which have come under the purview also should be re-examined. With these few points, I once again thank the Chair for giving me this opportunity. Thank you

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I rise to dwell on the Bill under the nomenclature the Labour Laws (Exemption from Furnishing Returns and Maintaining Registers by Certain Establishments) Amendment Bill, 2011.

Sir, as you know, labour is the lubricant of our developmental engine. Since Independence, in view of the social security and in view of the safety, a number of regulations have been made for the welfare of workers. If the labourers are deprived or famished, then consequently the country has to suffer for it. So the welfare of the labour should be the primary objective of any democratic nation including India. India always promotes the welfare of labourers, farmers and vulnerable sections of the poor society.

Sir, we have to think over the stark reality of the present world. We are living in the age of information and technology. We are living in the age of digital world. Naturally, if any laws, regulations or acts are seemed to be antiquated in nature that also needs to be reviewed, re-examined and reconsidered but never at the cost of welfare of the labour class.

Sir, my esteemed Members have already spelt out a number of issues on this Bill. Yes, it is true that during the UPA regime it was introduced. But, here in the name of fresh legislation, the Government took a backdoor step by inserting seven new Acts in the list which are supposed to be exempted. They are: the Motor Transport Workers Act, 1961; the Payment of Bonus Act, 1965; the Beedi and Cigar Workers (Conditions of Employment) Act, 1966; the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979; the Dock Workers (Safety, Health and Welfare) Act, 1986; the Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986; and the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996.

Sir, there lies the reason as to why we are opposing this Bill. The Government has diverted from the contents of the original Bill and has inserted seven new Acts in the list which, we think, will affect crores of labourers in our

country. Take, for example, beedi and cigar workers. I am hailing from a district where eight to ten lakhs of workers are engaged simply in beedi manufacturing. They are subjected to extreme exploitation. So, naturally, if these Acts are included in the list of exemption, then, I think, it will be a great injustice to those hapless labourers.

Sir, it was rightly pointed that the definition of small establishment was amended from 19 to 40; industrial representatives proposed the number to be raised to 100; trade union proposed to reduce the number below 19; and the Standing Committee proposed the number to be 25. However, the Government has arrived to the number of 40.

The main objective of the original Bill was to simplify the procedures to extend the scope of this Act to establishments employing a large number of workers and extending the list of Acts covered by it.

Sir, the law is enacted. The employees of small establishment and very small establishment need not furnish the returns to maintain the registers to be furnished or maintained under various scheduled Acts provided they furnish in lieu of such returns, annual returns and comply with other formalities as was laid down in Clause 3 of the present amendment.

Another important part of the amendment is sub-clause 2 of clause 3, which says:

"The Annual Return in Form-1 and the Register in Form-2 and 3 and wage slips, wage books and other records as provided in sub-section 1 may be maintained by an employer on a computer, computer floppy, diskette or other electronic media, provided that a print out of such returns, registers, books and records or a portion thereof made available to the inspector on demand."

We need to encourage small entrepreneurs also because this is the need of the hour. If India wants to progress, we ought to promote the small entrepreneurs so that more employment could be generated. So, naturally, those entrepreneurs are to be provided with a little incentive. But we ought to be very rational. We

ought to be pragmatic. We ought to be realistic in all our approach so that a balance could be maintained between the interest of the employer and the interest of the employees. There should not be any conflict of interest of all the stakeholders. I think this is the hallmark of any developmental model.

Sir, labour laws is a subject that comes under the Concurrent List which means both the Centre and the States have to play their respective roles. Here we do not have any distinct idea of how many small establishments exist in our country and how many employees are engaged in all those small establishments, that is, the workforce deployed in those establishments. That is why, the Standing Committee has suggested to the Government to conduct a survey to ascertain the actual number of small establishments that exist in our country and the workforce deployed by them.

Secondly, there is an acute shortage of manpower in the office of the Labour Commissioners. I do not know how the huge workforce in our country could be supervised and inspected with the inadequate and inefficient human resources. Therefore, the enforcement machinery should be strengthened with adequate human resource. Otherwise, how will the inspection be conducted? I do not know in our country how many offices, which are performing the job of enforcement, are equipped with computer and other modern gadgets.

If your intention is to do away with even the minimum inspection, then how are you going to secure the rights of the workers? There is also a mismatch between the number of workers actually employed and the number of workers who are shown to be employed in the register. This is the most salient point. In order to deny them the benefits of social security and minimum wages, where will the workers go for getting justice done? How will the workers know whether they are on the rolls of the employer or not, if the details are going to be provided on a computer or computer disk or other electronic media? Is our entire workforce well equipped for computer learning? Otherwise, how will they come to get the

knowledge that they are being enrolled or they are being de-enrolled or they are being de-listed from the employer's record?

Sir, like many other Members, I also propose that the penal provision should be inserted again. Without the penal provision, no justice could be given to those hapless workers.

Last but not least, I would quote former President of America, Andrew Johnson:

"Legislation can neither be wise nor yust which seeks the welfare of a single interest at the expense and to the injury of many and varied interests."

We should do away with all the provisions that may implicitly or explicitly cause the grievances in the labour class.

HON. DEPUTY SPEAKER: I request for order in the House. There should be no discussion among the Members here. Only one Member has to speak, not all.

Shri Rattan Lal Kataria.

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) : उपाध्यक्ष महोदय, में माननीय मंत्री द्वारा लाये गये श्रम विधि (संशोधन) विधेयक, 2011 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। जिस प्रकार से दुनिया बदल रही है, वर्तमान समय ग्लोबलाइजेशन एवं लिब्रलाइजेशन का युग है। आज भारत को एक महान राष्ट्र बनाने के लिए श्रमिक और प्रबंधक के रिश्तों में सुधार बहुत जरूरी है। इस बात की आवश्यकता भारत के संविधान निर्माताओं ने भी की थी और संविधान की जो प्रिएम्बल है उसके अंदर भी इस बात का प्रावधान किया गया था कि हमारे देश के जो लेबर क्लास के लोग हैं, हम उनके हितों की रक्षा करेंगे। उसी बात को आगे रखते हुए संविधान निर्माता बाबा साहब डाक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की धारा में यह राइट टू लाईफ और राइट अगेन्स्ट एक्सप्लोइटेशन की व्यवस्था की और समय-समय पर लेबर रिफार्म्स के बहुत-से कानून बनाये गये। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वर्ष 1919 से यह सिलसिला शुरू हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इस विषय में बहुत से कानून बनाये। आज जो मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी है, उसका विज़न बिल्कुल क्लियर है। हम चाहते हैं कि जो नियोक्ता है, जो इम्प्लायर है और जो कर्मचारी हैं, वे एक-दूसरे को, एक-दूसरे के खिलाफ न समझते हुए, भारत के निर्माण में अपनी जिम्मेवारी को समझें और इस प्रकार के रिश्ते आपस में खेवलप करे, जिससे राष्ट्र उन्नित की ओर जाए। उन्हीं बातों को रखते हुए ये परिवर्तन आएंगे। हमारी सरकार इस बात के बिल्कुल खिलाफ है कि कोई एक पक्ष एक्सप्लाइटेशन करते रहे और दूसरा पक्ष उसको सहता रहे। इन सबके खिलाफ भी एक पारदर्शी योजना बनाने के अंतर्गत ही यह बिल लाया गया है।

अभी मेरे कांग्रेस के मित्रों ने बोलते हुए बहुत-सी बातें कही। उन्होंने कहा कि हमने यह बिल लाया है। मैं अपने इन मित्रों से पूछना चाहता हूं कि क्या वर्ष 2005 में इस बिल का प्रारूप नहीं बना? क्या यह बिल स्थायी समिति में बार-बार नहीं गया? देश में जितने भी मजदूर संगठन हैं, क्या उन्होंने यूपीए सरकार की श्रम विरोधी नीतियों के कारण 20 और 21 फरवरी, 2011 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान नहीं किया? क्या उस हड़ताल को समाप्त करने के लिए उस समय के प्रधान मंत्री जी ने राष्ट्र के नाम एक अपील जारी नहीं की? क्या वर्ष 2011 में इस बिल को दुबारा से पार्लियामेंट में नहीं लाया गया? आज विश्व परिक्या को देखते हुए, इस प्रकार का एक बिल आया है, जिसमें कोई बड़ी चेंजेज नहीं हैं, केवल सरलीकरण का प्रयास किया गया है, इससे हमारी लेबर क्लास को लाभ होगा। हमारे देश में हम जिस प्रकार का वातावरण बनाना चाहते हैं, हमारे प्रधान मंत्री जी दिन-रात प्रयास कर रहे हैं और सारी दुनिया में एक ग्रोथ स्टोरी लेकर जा रहे हैं। विश्व की सभी सरकारों और नेताओं का आह्वान कर रहे हैं कि आप भारत में आइए, आपको हर तरह की सहूलियतें यहां मिलेंगी, आप अपनी पूंजी का निवेश यहां कीजिए, हम आपको एक ऐसा ढांचा खड़ा करके देंगे, जिसमें कार्य करने में आपको कोई भी कठिनाई होगी। उसी दृष्टि

से यह बिल लाया गया है। एक पुरानी कहावत है कि अगर किसी व्यक्ति ने चाहे कितना भी महंगा जूता खरीदा हो, अगर वह जूता उस व्यक्ति के पांव को काटता है, तो वह व्यक्ति कोशिश करता है कि किसी तरह से पैसे खराब न हो। उसको पहनने के लिए उसमें पैताबा लगावाता है, एडियों को कटने से बचाने के लिए उसमें कुछ लगाता है, लेकिन बार-बार प्रयत्न करने के बाद भी अगर वह जूता उसके पांव को काटता है तो फिर वह जूता कितना भी महंगा क्यों न हो, वह फेंक दिया जाता है। इसी तरह से देश और समाज की प्रगति के लिए समय-समय पर पार्लियामेंट विचार करती है। अगर कोई कानून राष्ट्र के विकास में बाधा बनता है और अगर कोई कानून राष्ट्र के समक्ष उपस्थित वर्तमान परिस्थितियों से मेल नहीं खाता है तो उस पर पार्लियामेंट विचार करती है। जब ये कानून बने थे, तब इंटरनेट कहां था, फेसबुक कहां था, डिजिटल क्रांति कहां थी, आईटी सेक्टर कहां थी। उस समय भारत की छवि दुनिया में ऐसी थी कि जब भी हमारा कोई नेता, राष्ट्रपति या प्रधान मंत्री दूसरे देश में जाते थे, तो कार्टून छपते थे - "दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो, इंटरनेशनल फकीर आए हैं, कुछ मांगने के लिए आए होंगे। अनाज मांगने के लिए आए होंगे।

मैं अपने कांग्रेसी मित्रों से कहना चाहूंगा कि देखिए, भारत माता के लाल नरेंद्र मोदी ने आज किस तरह से सारे विश्व में भारत की छिव बदली है और किस तरह से आज सारी दुनिया भारत की ओर खिंची आ रही है। जापान कह रहा है कि मैं भारत में निवेश करुंगा, चीन कह रहा है मैं निवेश करुंगा। अमरीका कह रहा है मैं निवेश करुंगा और आपने कल-परसों सार्क का नजारा तो देखा होगा, जब पाकिस्तान के प्रधान मंत्री नवाज शरीफ ने थोड़ा सा अडियल रुख अपनाना चाहा और जो समझौते हो रहे थे, उनके अंदर अड़ंगा अड़ाना चाहा, तो सार्क के देश माननीय नरेन्द्र मोदी जी के साथ चट्टान की तरह खड़े हो गये और सबने कहा कि हम आपके साथ चलेंगे तथा नवाज शरीफ को भी मजबूर होकर एनर्जी क्लॉज के ऊपर हस्ताक्षर करने पड़े। ये जो परिवर्तनकारी बिल आ रहे हैं ये सब चीजों को महेनजर रखकर आ हो हैं। हम भारत के श्रमिकों का हित चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वे इस देश के अंदर भागीदार बनें। वे सम्मान का जीवन भारत के अंदर जीयें। हमारी सरकार इस प्रकार का कोई काम नहीं करेगी कि हिंदुस्तान में रहने वाला श्रमिक अपने वेतन के लिए तड़पे और उसका शोषण होता रहे। हम तो इस प्रकार की नीतियां अपनाएंगे कि देश के विकास की रोशनी उसके घर के अंदर भी आये तािक भारत एक महान राष्ट्र बने। हम अपने देश की उस छिव से छुटकारा चाहते हैं जिसमें हमें भिखारी के रूप में देखा जाता था, सपेरों के देश

के रूप में देखा जाता था और चाहते हैं कि वे इस बात को स्वीकार करें कि यह सरकार जो परिवर्तन ला रही है, लोक सभा के अंदर जो कानून ला रही है, चाहे श्रमिकों से संबंधित हों या अन्य कानून हों, उनसे हम अपने देश को एक महान देश बनाना चाहते हैं। उसी दृष्टि से यह एक बहुत अच्छा कदम सरकार ने उठाया है और मैं तो चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी 10 साल में तो कोई सबक सीख नहीं सकी, अब कम से कम जो नजारा हिंदुस्तान का दुनिया में बन रहा है, उससे तो कुछ सीख लो, अब तो आंखें खोल लो।

श्री धर्म वीर गांधी (पटियाला): मान्यवर, हमारे बीजेपी मित्र का बड़ा लच्छेदार भाषण सुनने के बाद मैं बिल पर आता हूं। यह जो नया लेबर बिल है, सभी मैम्बरों से उसे साझा करना चाहता हूं। हमारे देश में 90 प्रतिशत जनता असंगठित क्षेत्र में है। हमारे पंजाब में 98 प्रतिशत लोग उन फैक्ट्रियों में काम करते हैं जहां श्रमिकों की संख्या 40 से कम है। उनकी हालत से हम भलीभांति परिचित हैं। मैं एक डाक्टर और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते उनके बीच में रहा हूं। केवल 10 प्रतिशत लोग ही संगठित क्षेत्रों में काम करते हैं जहां काम की हालत अच्छी है, उनका जीवन-स्तर अच्छा है, उनके बच्चों को अस्पताल की सुविधाएं हैं और उनकी जिंदगी ठीक ढंग से चलती है। इस नये लॉ में जो अमेंडमेंट की जा रही है यह अगर लागू होता है तो देश के असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों का 70 प्रतिशत भाग और इंडस्ट्री बाहर हो जाएगी और जो मजदूरों का ईएसआई, पेंशन का अधिकार है, वे उससे वंचित हो जाएंगे। उनकी हालत जो पहले से ही बुरी है और बदतर हो जाएगी।

आप यह बताइए कि कौन सा कारख़ानेदार अपने मज़दूर को, चाहे वे 20 हों या 25 हों, उनको क्या वह न्यूनतम वेतन देता है? आप इस बारे में पूरे देश में एक सर्वे करवाइए और देखिए कि कितनी मज़दूरी उनको मिलती है। छोटे और मध्यम कारखानेदारों के उलट बड़े कारखानेदारों के यहां अभी कुछ व्यवस्था है और वहां मजदूरी अभी ठीक मिलती है, हालांकि यूरोपीयन देशों के बराबर नहीं मिलती है, फिर भी वह सम्मानजनक मजदूरी होती है। इस्के अलावा उनको ईएसआई, पेंशन और उनके बच्चों के लिए सुविधाएं इत्यादि कुछ अधिकार मिले हुए हैं। असंगठित क्षेत्र के 90 परसेंट मजदूरों का हाल इस बिल से बद से बदतर होने वाला है।

आपने इन्स्पेक्टर राज को हटाने की बात इसमें कही है। लेकिन आपके इनकम टैक्स में और एक्साइज़ में क्या इन्स्पेक्टर राज नहीं है। यदि इन्स्पेक्टर राज में कुछ खामियां हैं तो उनको ठीक कीजिए न कि उसके सहारा लेकर आप छोटे कारखानेदारों को ये छूट दे दें कि आपको रजिस्टर रखने की जरूरत नहीं है। मजदूरों का जितना मर्जी शोषण कीजिए, ठेकेदारी प्रथा को लागू कीजिए, मजदूरों को न्यूनतम वेतन दीजिए या न दीजिए। उनके लिए कोई शिकायत केन्द्र नहीं है, वे कहीं नहीं जा सकते हैं। उनके लिए कोई कानून नहीं होगा, कोई लेबर लॉ नहीं होगा, जिसके सहारे वह अपना दुख दूर कर सकेंगे, इससे आप ऐसी व्यवस्था खड़ी करने जा रहे हैं।

में सभी से कहना चाहता हूं, it is not the capital which boosts the fields of our economy; it is not the buildings; it is not the machinery; but it is the working people who turn capital into products and products into profit and then, keeps the

country moving. अगर आप असंगठित क्षेत्र से सरलता और नये कानून के नाम पर इस तरह का व्यवहार करने जा रहे हैं, तो वह हमें बिलकुल मान्य नहीं है। मैं आपसे विनती करता हूं कि दण्ड की बात मत कीजिए, यह कानून ही स्क्रैप होना चाहिए। इस कानून में जो पहले से ही प्रावधान है कि मजदूरों की जो भी न्यूनतम संख्या, जो कि 19 या 20 है, वह बरक़रार रहनी चाहिए ताकि देश के 90 प्रतिशत मजदूरों के हित सुरक्षित हो सकें। यदि कोई इस पर अमल नहीं करता है तो उसके लिए सख्त पेनल्टी लगायी जानी चाहिए।

महोदय, मजदूरों ने जो Right to collective bargaining का अधिकार लिया है, वह बहुत लड़ाई के बाद लिया है। वह हक़ आप उनसे छीनने वाले हैं। यह उनकी जिंदगी को सुधारने का राइट है। यह आप उनकी संख्या घटा कर और मालिकों को खुली छूट देकर करने वाले हैं कि वे जो मर्जी करें, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। कोई इन्स्पेक्टर आने वाला नहीं है और ये मजदूर कहीं नहीं जा सकेंगे। यह सरासर अन्याय है और मुझे दुख है कि आप प्रगति के नाम पर, सुधार के नाम पर, देश के विकास के नाम पर आपने जो वोट लिया है, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। हमारा मजदूर वर्ग है, जो कि पहले से ही बहुत बुरी हालत में जिंदगी गुज़ार रहा है, जो भूखा मर रहा है, जिसके बच्चे के लिए शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, रहने का अच्छा साधन नहीं है। इससे आप उसके साथ और ज्यादा अन्याय करने वाले हैं। यह आपको बहुत महंगा पड़ेगा। आप इससे देश को तबाही के कगार पर ले जाएंगे।

महोदय, मैं विनती करता हूं कि इस कानून को रद्द किया जाए और इसे स्क्रैप करने की मांग करता हूं। धन्यवाद।

SHRI Y.S. AVINASH REDDY (KADAPA): Sir, I thank you on behalf of our party and its President Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy garu for giving me this opportunity. As we all know, this Bill was first introduced during UPAs regime by providing relaxation to employers on furnishing returns and maintaining employment registers for certain kind of establishments. At that time, the Parliamentary Standing Committee raised severe objections on this Bill and submitted its recommendations as well. The same Bill is introduced now with new content. This present Bill proposed to increase the threshold level of employment from existing 19 to 40 for small scale establishments and on the other side of it, the present Bill do not have any provision for increase in penalty on employers if they violate labour laws. While trying to increase the number from 19 to 40, the Government of India must also remember that with the advance technology and machinery in place, there are many establishments with large capital investment, high levels of turn-over and profit, but who are employing less than 20 workers. This morning I read in one article that an estimate of nearly 72 per cent of factories in the country will find it much easier to violate all the labour laws with impunity subjecting the workers to more severe exploitation. In this regard, it would be more ideal to consider the recommendations given by the Parliamentary Standing Committee on Labour.

This Bill looks like as though it aims to give reasonable advantage for employers of small scale establishments. It is like simplifying procedures and encouraging employers to abide by law. So far, many small scale establishments have not been maintaining registers properly. They are not filing returns properly. This Amendment will certainly encourage employers to maintain Forms 1, 2 and 3 in place of maintaining registers and filing of returns. While making more employment-friendly laws, the Government of India must also remember the workers' class. There are many laws in favour of workers. But they are often violated than implemented. About more than sixty per cent of country's work force in the organised sector is refused even the basic statutory benefits like

minimum wages, PF and ESI. Other labour laws pertaining to working hours, over-time work and safety at work place are also being violated. The 12 hours work without over-time wages has become like a norm in many establishments. Therefore, my request to the Government of India would be to make serious efforts in implementing the labour laws. The laws empowering the workers are already there. All that the Government has to focus is on implementation of these laws for the good and for the benefit of workers at large, by using its enforcement machinery efficiently.

As we all know, 90 per cent of the disputes that arise today between the employers and the workers pertain to only implementation of labour laws and nothing else. So, while we bring new laws to force, the Government must also ensure that old labour laws empowering the workers class should not be weakened. No doubt, through this Bill, the Government of India is trying to benefit several lakhs of employers. It is also encouraging several lakhs of new entrepreneurs to set up small scale establishments. But the Government of India must also protect and implement the labour laws pertaining to the betterment of several crores of workers. Before proceeding further on this Bill, it would be appropriate on the part of the hon. Minister of Labour to tell this House what measures will be taken by the Government to protect and implement the labour laws more effectively in order to empower the workers class. It would be very ideal if the hon. Minister calls the representatives from all the trade unions, address all their fears and then proceed further, once majority of the representatives are convinced. On behalf of our Party, we request the hon. Minister to consider our hesitations and to hear our suggestions.

SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER (PONNANI): Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on this Bill. I myself was an industrial employee. I have worked on the trade union side near about 25 years.

As far as this Bill is concerned, *prima facie* it looks very simple. To simplify certain process of submitting the returns, some employers are exempted from that. Certain very important laws such as the Payment of Wages Act, the Minimum Wages Act, the Factories Act, the Contract Labour Regulations Act and things like that, will come under this.

Prima facie, even if we feel that this is an innocent kind of legislation, I wish to state that it is like a sample fire works.

15.00 hrs.

Why should we give exemption to employers in submitting returns in time? Employers have to be made duty bound to submit adequate information and submit returns. If they can run a company, is it a big burden for them to submit returns on payment of minimum wages and such things?

There is just a figure change in this Bill from 19 to 40. If the number of employees is below 40, then the employers need submit returns. They can even keep the information in a floppy disk or using some ICT methods. I wish to say that from this Bill which the Government has introduced, there is every reason to believe that the Government has a hidden agenda. Why am I saying this? Now the Government has exempted the employers from submitting the returns. What is the next agenda? That agenda also has been proclaimed by the hon. Prime Minister.

The Prime Minister has already said that hereafter inspectors need not go to the companies, employer will just make self certification. What is going to happen, Sir? On this side and that side of the House there are trade union leaders. If employer himself does self certification in respect of payment of wages act or under Plantation Act or Factories Act, what will happen? Why all these Acts were made? In the Factories Act there are provisions for health and all kinds of things. Here you are saying that inspectors need not go to the companies. Hon. Prime

Minister says we will put an end to inspector raj. Inspectors are supposed to go and do on-the-spot studies. They are supposed to make reports to the authorities. If they find that an irregularity has taken place or a law is not followed, employer can be prosecuted. Instead of that you are saying that it is a disturbance for the employer, and so inspectors need not go.

You just take an example of the Factories Act. Even though there are provisions for safety, health and all kinds of things, the data from National Crime Records Bureau shows that in 2013 boiler explosion related accidents alone led to 359 deaths in the country, another 955 persons died in the factory machine related accidents. Data also shows an upward trend in both industrial mishaps and fatal accidents involving the workers. This is the situation. If you take your second step under this, what will happen? The employer will do things according to his will and pleasure.

As a trade union worker, as a person who worked in factory, I appeal to the Government not to go to that extent. We must have industries. Industries must come. But we should not construct the industries on the graveyards of the poor workers. They have got certain rights. These registers were established after a lot of fight, after a lot of struggle by the workmen. Now you are diluting the whole thing.

What is your second move? The Prime Minister has already declared that a company which is employing below 300 workers need not take permission for retrenchment. Is it not a cruel thing you are trying to introduce? Job protection is a great thing for workers. You are giving open general licence to employers to retrench the workmen. The working class in the country irrespective of party lines will fight against this and they will defeat your ill-motivated ideas. I say this as a worker.

Similarly, on some other legislation also, they are going to make some basic reforms. The labour law will have to be amended, we are not against that. But why can't you not discuss it with the trade unions and the State Governments?



Only after making such discussions comprehensively, you should go ahead with it. We will not be against this. But if you do this sort of things, that you will be encroaching on the rights of the workmen, which they have gained after a lot of struggle. I appeal to the Government to desist from this kind of ill-motivated action. With these few words, I conclude. Thank you

खाँ. अरुण कुमार (जहानाबाद): महोदय, आपने इस अहम बिल पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। इस पर काफी विस्तार से चर्चा हुई है। अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि इसमें इल-मोटिवेशन है। इस श्रम बिल में जो संशोधन लाया गया है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। इसमें कोई लंबा-चौड़ा परिवर्तन नहीं किया गया है। एक बात का मैं हृदय से स्वागत करना चाहता हूँ कि निश्चित तौर से जो कानून अभी तक था, इसके तहत एक इंस्पैक्टर राज़ था, इस इंस्पैक्टर राज़ की समाप्ति में यह बिल बड़ा सहयोगी होगा। आज तक जिस तरीके से छोटे-छोटे इंटरप्रेन्योर्स की यूनिट्स को इंस्पैक्ट कर के इंस्पैक्टर कभी भी एंप्लाइज़ के इंट्रेस्ट को नहीं देखते थे, बिल्क उस कमी को ध्यान में खित हुए एंप्लायर से ही एक्स्ट्रॉट करते थे। अब निश्चित तौर से कोई तय शुदा इंस्पैक्टर नहीं होगा, कोई तयशुदा टाइम नहीं होगा। इंस्पैक्शन की प्रक्रिया बंद नहीं की जा रही है। इस कानून के तहत इंस्पैक्शन होगा, लेकिन जो इंस्पैक्टर राज़ था, उसकी समाप्ति निश्चित होगी। इंडस्ट्रीज़ के अंदर एंप्लायर और एंप्लाइज़ के बीच जिस तरह का वातावरण निर्मित हुआ है, लगता है कि वह एक जंग का मैदान है। जिसके चलते ग्रेवयार्ड इंडस्ट्री ही बनता गया। अंतिम जो प्रक्रिया हुई है, उस प्रक्रिया के तहत इंडस्ट्रीज़ बंद पड़ी रहीं। अभी एक माननीय सदस्य बोल रहे थे, उस राज्य में इंडस्ट्रीज़ का जाल था, लेकिन जितना एंप्लाइज़ के इंट्रैस्ट में इन लोगों ने वकालत की, इंडस्ट्रीज़ मरती गई और आज वे माइग्रेट कर रहे हैं, उनको एंप्लायमेंट नहीं मिल रहा है।

माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार, इसमें जो किमयां हैं, उनको दूर करने जा रही है, जिससे एक फ्रेंडली वातावरण बन सके और एक सकारात्मक वातावरण में इंडस्ट्रीज़ का विकास हो। जिसमे एंप्लाइज़ के इंट्रैस्ट को भी प्रोटेक्ट किया जाए न कि एक बिचौलिया इंस्पैक्टर राज़ के तहत इंट्रैस्ट के कॉस्ट पर एंप्लायर को एक्सप्लाइट करे। इस तरह की व्यवस्था को समाप्त करने की योजना है। इसलिए हम इस बिल का समर्थन करते हैं।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमिरेयागंज): महोदय, मैं आपका अभारी हूँ कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया। हमारे माननीय मंत्री जी के द्वारा Labour Laws (Exemption from Furnishing Returns and Maintaining Registers by certain Establishments) Amendment Bill, 2014 प्रस्तुत किया गया है, उसके समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। काफी विस्तार से माननीय सदस्यों की बातें आ गई हैं। मैं उन बातों की पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता हूँ, जो माननीय सदस्यों ने इसके पूर्व में कही हैं। श्रमिकों के हक-हकूक की हिफ़ाजत के लिए उनके हितों पर कोई कुठाराघात न हो, उसके संबंध में यह एक्ट लाया गयो है। मैं समझता हूँ जो एक मौजूदा प्रक्रिया है, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए फर्स्ट शिड्युल को किया गया है। जो एक संख्या थी, जिसके बारे में माननीय सदस्यों ने भी कहा कि उसको बढ़ाया जाए।

महोदय, मैं आपके माध्यम से केवल कुछ बातें कहना चाहता हूँ। इसका ओरिजिनल एक्ट वर्ष 1988 का था। उसके फर्स्ट शेड्यूल में अभी तक केवल 9 लेबर लॉज उसके अन्तर्गत कवर होते थे। The Payment of Wages Act; The Weekly Holidays Act; The Minimum Wages Act; The Factories Act; The Plantations Labour Act; The Working Journalists and other Newspaper Employees (Conditions of Service and Miscellaneous Provisions Act; The Contract Labour (Regulation and Abolition) Act; The Equal Remuneration Act: etc. अब इस अमेंडमेंट में उन 9 लेबर लॉज की जगह पर हमने 16 लेबर लॉज कर दिया है। इससे स्वाभाविक है कि जो अभी तक इसमें कवर नहीं था, जैसे The Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986, The Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996; The Dock Workers (Safety, Health and Welfare) Act; The Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, etc. इस तरह से हमने 9 की जगह पर 16 लेबर लॉज को इसमें कवर किया है। हमने यह अवसर दिया है कि इन सारे कानूनों को उस परिधि में लायें। अभी तक 15 से 19 तक का न्यूनतम था, उसकी संख्या बढ़ाकर के अब 40 कर दिया है तो स्वाभाविक है कि काफी सुविधायें दी गयी हैं। चाहे डिजिटल के सम्बन्ध में हो कि अब सी.डी. से भी इन्फर्मेशन दे सकते हैं, फ्लॉपी से इन्फर्मेशन दे सकते हैं।

मैं एक बात माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि रिटर्न फाइल करने के लिए इस एक्ट को सिम्प्लीफाई किया है, निश्चित तौर से वह स्वागतयोग्य है। पूरी दुनिया के बदलते हुए परिवेश में आज कागजों की कमी हो रही है और हम रिटर्न फाइल का काम सी.डी. या फ्लॉपी के माध्यम से कर रहे हैं। मैं

एक बात कहना चाहूँगा कि आज यह देखने की आवश्यकता होगी कि हम जो रिटर्न फाइल करते हैं, हमारा प्रबन्ध तंत्र रिटर्न फाइल करता है, स्मॉल इस्टैब्लिश्मेंट के अन्तर्गत, क्या वे उसमें एक्चुअल फिगर दे रहे हैं, क्या एक्चुअल फिगर की रिटर्न फाइल हो रही है या जो लेबर को एक्चुअल बेनीफिट मिलना चाहिए, वह उसे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जो वे संख्या दिखाते हैं, जैसे हमारे कई माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है कि संख्या अगर अधिक भी है और वे उसे कम दिखाते हैं तो स्वाभाविक है कि उन लोगों के हक-हुकूक की सुरक्षा के लिए हमने इसे और विस्तारित किया है। हमने इसे विस्तारित कर दिया है, इसमें प्रोसिजर को काफी सिम्प्लीफाई किया है, तो स्वाभाविक है कि हमने अब एक तरफ इस्टैब्लिश्मेंट को भी आराम दिया है।

वर्तमान समय में जो मौजूदा श्रमिकों के हितों की बात है, आज ईएसआईसी हॉस्पिटल्स बहुत बड़े-बड़े बने हुए हैं, लेकिन उनकी जो वास्तविक स्थिति है, मैं माननीय मंत्री जी से चाहूँगा कि वे इस बात को देख लें कि वहाँ डॉक्टर्स की कमी है, वहाँ दवाओं की कमी है, वहाँ बिजली की कमी है। यदि हमने इसे श्रमिकों की हेल्थ के लिए बनाया है, उनके हक, अधिकारों के लिए हमने इसे विस्तारित किया है तो निश्चित तौर पर हमें इन चीजों पर गौर करना चाहिए। इसी के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Sir, the Government has made a change in the number, *i.e.*, 19 to 14. I do not know what the use of it is and who would be benefited? I strongly oppose this amendment because a large number of workers would be adversely affected. A large number of factories that come under small scale sector would also be affected which means it would be beneficial to the employers. Maybe, it would be true to say that there is electronic filing and all that but we have to bear in mind that in the labour laws itself, there is a clause that each and every thing should be written in the local language and that should be placed in the factory itself so that ordinary workers could understand that. The workers may not be able to go to the computers and they may not be able to do all these other things.

So, I am sure that this change will not benefit the workers and at the same time it would benefit the employer. So, I strongly oppose this amendment. Not only that, the Standing Committee itself made it clear that we should not go for such a hasty amendment. So, I do not know as to why the Government has taken this decision? Therefore, I oppose this Bill.

PROF. SADHU SINGH (FARIDKOT): Sir, thank you very much for giving me this opportunity to speak on this Bill. With your kind permission I would like to submit that there have been many such Bills in previous times and there are working people in restaurants, hotels, in agricultural field and in industry also but their lot has never been improved upon. Further, I would like to submit that if this Bill, which is being passed with certain amendments, if it can bring about a change in the living conditions of those working people, who are, as my colleague Shri Tarunveer said, are the real producers of wealth in this country, then only such a Bill should have some meaning.

में एक कपलैट से अपनी स्पीच खत्म करना चाहूँगा।

"बिल आते रहे और जाते रहे, हम गलियों को दुखड़े सुनाते रहे।"

SHRI BANDARU DATTATREYA: Mr. Deputy-Sir, I am extremely thankful to all the hon. Members those who have participated in this debate and have given very meaningful suggestions. I have noted down all the suggestions related to implementation and I will definitely see that whatever suggestions that have been made will be taken as an input and can be taken into consideration.

I am happy that a large number of Members have spoken with a positive intent and have felt that the need of the hour is more employability. The vision of our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, is Skilled India and Digital India. In order to have skilled India, our main focus will be on skill development. We are very much concerned about that. Skill development alone can provide more employability in the country. The main purpose is to have simplification, transparency, accountability and enforcement. The law is being framed keeping in view these things.

I will reply in short about the apprehensions that have been expressed regarding the provisions of this Bill. But our main purpose is to ensure decent working conditions and better and effective implementation of the labour laws and also facilitating increased productivity as well as development of entrepreneurship and improving the employability in the country. The focus and emphasis of my Ministry will be mainly on the unorganized sector which constitutes a 93 per cent of the total workforce. They include, as has been mentioned by some of the hon. Members, the *bidi* workers, the building construction workers and also plantation workers and agricultural labourers. There are a large number of workers who are in the unorganized sector. My focus area will be the employees of the unorganized sector and also on providing social security. Many Members have talked about providing social security and welfare of workers. We propose to take much care with regard to these two aspects of providing social security and welfare of workers.

I am happy to say that our hon. Prime Minister, on 16th October, has inaugurated the *Shramev Jayate* programme. For this *Shramev Jayate* Programme, we have taken major initiatives in the Shram Suvidha portal through which initially 16 labour laws can be combined with our four enforcement agencies. They are EPFO, ESIC, DGMS and CLC. So, I have to make the features of the portal clear because a large number of establishments are there and a large number of workers are there in the unorganised sector.

Sir, Unique Labour Identity Numbers (LIN) are allotted and will be given to all the employers. Secondly, there is the filling up of the simplified single online return under 16 labour laws. Thirdly, there is the computer-generated random inspection scheme. Most of the hon. Members were telling that inspections will not be done and inspectors will go away. There will definitely be inspections. Nobody should feel so. All the existing laws will be applicable. Nothing will be left out.

I only feel that you may please go through the Bill once again. Kindly note that we have already issued universal account numbers to more than four crore members of the Employees Provident Fund Organisations which assure portability, transparency, accountability and efficient service.

I want to mention another important factor. Some Members have expressed an apprehension. We have held consultations in tripartite meetings. Many tripartite meetings were held. A large number of suggestions were given. Ten national major trade unions have given positive suggestions.

Members also mentioned about the Standing Committee on Labour. We have taken care of all the recommendations of that Committee. The Government is committed for reforms but at the same time, it is our duty to look after the interests of the workers and see that their rights are protected.

I would like to say about our policy and our commitment. हमारी नीति और हमारी नीयत में कोई फर्क़ नहीं है।

Lastly, I would like to make one clarification. The section of six main Acts roads as follows. Among them, one is penalty. Any employer who fails to comply with the provisions of this Act shall, on conviction, be punishable. In the case of the first conviction, it shall be a fine of Rs. 5000. In the case of second or subsequent convictions, it will be imprisonment for a period which shall not be less than one month but which may extend to six months.

That is why, I appeal to all the hon. Members to please cooperate in passing the Bill.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill to amend the Labour Laws (Exemption from Furnishing Returns and Maintaining Registers by Certain Establishments) Act, 1988, as particle depth of the Labour Laws (Exemption from Furnishing Returns and Maintaining Registers by Certain Establishments) Act, 1988, as particle depth of the Labour Laws (Exemption from Furnishing Returns and Maintaining Registers by Certain Establishments) Act, 1988, as particle depth of the Labour Laws (Exemption from Furnishing Returns and Maintaining Registers by Certain Establishments) Act, 1988, as particle depth of the Labour Laws (Exemption from Furnishing Returns and Maintaining Registers by Certain Establishments) Act, 1988, as particle depth of the Labour Laws (Exemption from Establishments) Act, 1988, as particle depth of the Labour Laws (Exemption from Establishments) Act, 1988, as particle depth of the Labour Laws (Exemption from Establishments) Act, 1988, as particle depth of the Labour Laws (Exemption from Establishments) Act, 1988, as particle depth of the Labour Laws (Exemption from Establishments) Act, 1988, as particle depth of the Labour Laws (Exemption from Establishments) Act, 1988, as particle depth of the Labour Laws (Exemption from Establishments) Act, 1988, as particle depth of the Labour Laws (Exemption from Establishments) Act, 1988, as particle depth of the Labour Laws (Exemption from Establishments) Act, 1988, as particle depth of the Labour Laws (Exemption from Establishments) Act, 1988, as particle depth of the Labour Laws (Exemption from Establishments) Act, 1988, as particle depth of the Labour Laws (Exemption from Establishments) Act, 1988, as particle depth of the Labour Laws (Exemption from Establishments) Act, 1988, as particle depth of the Labour Laws (Exemption from Establishments) Act, 1988, as particle depth of the Labour Laws (Exemption from Establishments) Act, 1988, as particle depth of the Labour Laws (Exemption from Establishments) Act, 1988, as particle depth of the Establishments (Exemption from Establishments) Act, 1988,

The motion was adopted.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up clause by clause consideration of the Bill.

The question is:

"That clauses 2 and 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.
Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

Clause 4

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Sankar Prasad Datta, are you moving your amendment?

SHRI SANKAR PRASAD DATTA (TRIPURA WEST): Yes. I beg to move:

"Page 2, line 8,-
for "forty"

substitute "fourteen"." (1)

HON. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put amendment No. 1 moved by Shri Sankar Prasad Datta to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Prof. Saugata Roy, are you moving your amendment?

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Yes. I beg to move:

```
"Page 2, line 8,--

for "forty"

substitute "twenty-five"." (2)
```

HON. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put amendment no. 2 moved by Prof. Saugata Roy to the vote of the House.

PROF. SAUGATA ROY: I want Division.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Let the lobbies be cleared. Now, the Lobbies have been cleared.

The Secretary-General will read out the instructions.

SECRETARY-GENERAL: Hon. Members, I would request you to kindly wear the head phone because interpretation is going on.

Kind attention of the hon. Members is invited to the following points in the operation of the Automatic Vote Recording System:-

- 1. Before a Division starts, every hon. Member should occupy his or her own seat and operate the system from that seat only. Kindly occupy your own seat.
- 2. When the hon. Speaker says "Now Division", the Secretary-General will activate the voting button whereupon "RED BULBS" above display boards on both sides of hon. Speaker's Chair will glow and a GONG sound will be heard simultaneously.
- 3. For voting, hon. Members may please press the following two buttons simultaneously "ONLY" after the sound of the GONG and I repeat only after the sound of the GONG.

Red "VOTE" button in front of every hon. Member on the Head Phone plate and, second, any one of the following buttons fixed on the top of desk of seat:

For AYES : Green Colour

For Noes : Red Colour

For Abstain: Yellow Colour

4. I may emphasise that it is essential to keep both the buttons pressed till another GONG is heard and the Red BULBS above plasma display are "OFF".

- 5. Hon. Members may please note that their votes will not be registered:
 - (i) If buttons are kept pressed before the first GONG or
 - (ii) Both buttons are not kept simultaneously pressed till second GONG.
- 6. Hon. Members can actually "SEE" their vote on display boards installed on either side of hon. Speaker's Chair.
- 7. In case vote is not registered, they may call for voting through slips.

 Thank you

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"Page 2, line 8,--

for "forty"

substitute "twenty-five". " (2)

HON. DEPUTY-SPEAKER: The amendment is negatived.

PROF. SAUGATA ROY: Division. ... (Interruptions)

HON. DEPUTY-SPEAKER: You have not asked for it.

... (Interruptions)

PROF. SAUGATA ROY: I said it.

HON. DEPUTY-SPEAKER: You have not asked for it.

SHRI SANKAR PRASAD DATTA (TRIPURA WEST): He has asked for it. He said it.

PROF. SAUGATA ROY: I asked for Division.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Please take your seat. Please go through the record.

When I put the question, you have not asked for it. Can you prove it?

... (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY: Sir, I said it. Please listen to me. I asked for Division. You should say "Let the Lobbies be cleared." Then, Division should take place.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Please take your seat. Please listen to what I am saying.

PROF. SAUGATA ROY: This is not correct.

HON. DEPUTY-SPEAKER: First, you take your seat. I am on my legs. I am telling you that when I called, at that time, you have not raised your voice.

PROF. SAUGATA ROY: I said "yes".

HON. DEPUTY-SPEAKER: If you want it now, I will read it once again. I have no objection to that.

PROF. SAUGATA ROY: I have said it.

HON. DEPUTY-SPEAKER: I am ready to read that once again. There is no problem. But I am telling you that when I read, at that time, you have not raised your voice. Afterwards only, you raised your voice. The record is there. You can go through it. Anyway, for your satisfaction, as a special case, once again I am allowing Division. Do not say that you have raised it. That is wrong. You have not raised it at that time.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): Sir, some Members are still in the learning stage. You must have that much of heart to give an opportunity.... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: I am telling you this. I am reading it once again. I am allowing it. But, at that time, you have not raised it. That is what I am telling.

... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Once again, I am reading. Lobbies have already been cleared.

The question is:

```
"Page 2, line 8,--

for "forty"

substitute "twenty-five"." (2)

The Lok Sabha Divided:
```



<u>DIVISION</u> <u>AYES</u> <u>15.32 hrs.</u>

Banerjee, Shri Abhishek

Basheer, Shri E. T. Mohammad

Chaudhury, Shri Jitendra

*Datta, Shri Sankar Prasad

*Jayadevan, Shri C. N.

*Kalvakuntla, Shrimati kavitha

Karunakaran, Shri P.

Kumar, Shri Santosh

*Mondal, Shrimati Pratima

Patil, Shri Bheemrao B.

*Poddar, Shrimati Aparupa

Reddy, Shri Konda Vishweshwar

Roy, Prof. Saugata

*Salim, Shri Mohammad

^{*} Voted through slip.

NOES

Agrawal, Shri Rajendra

*Ahlawat, Shrimati Santosh

*Ahluwalia, Shri S.S.

Amarappa, Shri Karadi Sanganna

Ananthkumar, Shri

Azad, Shri Kirti

Badal, Shrimati Harsimrat Kaur

Baheria, Shri Subhash Chandra

Bais, Shri Ramesh

Bala, Shrimati Anju

Balyan, Dr. Sanjeev

Bhamre, Dr. Subhash Ramrao

*Bharti, Sushri Uma

Bhatt, Shrimati Ranjanben

Bhole, Shri Devendra Singh

Bhuria, Shri Dileep Singh

Bidhuri, Shri Ramesh

Birla, Shri Om

Chandel, Kunwar Pushpendra Singh

Chaudhary, Shri C. R.

Chaudhary, Shri Haribhai

*Chaudhary, Shri P.P.

Chaudhary, Shri Pankaj

Chauhan, Shri Devusinh

- *Chavda, Shri Vinod Lakhmashi
- *Choudhary, Shri Birendra Kumar

^{*} Voted through slip.

Chouhan, Shri Nandkumar Singh

Danve, Shri Raosaheb Patil

Dattatreya, Shri Bandaru

Devi, Shrimati Rama

Dhotre, Shri Sanjay

Diwakar, Shri Rajesh Kumar

Dubey, Shri Nishikant

Gaddigoudar, Shri P.C.

Gadkari, Shri Nitin

Gaikwad, Dr. Sunil Baliram

Gandhi, Shri Feroze Varun

Gavit, Dr. Heena Vijaykumar

Gowda, Shri D.V. Sadananda

*Gupta, Shri Shyama Charan

Hikaka, Shri Jhina

Jaiswal, Dr. Sanjay

*Jat, Prof. Sanwar Lal

Jigajinagi, Shri Ramesh

Joshi, Shri Chandra Prakash

Karandlaje, Kumari Shobha

Kashyap, Shri Dinesh

*Kataria, Shri Rattan Lal

Kateel, Shri Nalin Kumar

Kaushik, Shri Ramesh Chander

*Khadse, Shrimati Rakshatai

Khaire, Shri Chandrakant

Khanduri AVSM, Maj. Gen. (Retd.) B.C.

Khanna, Shri Vinod

^{*} Voted through slip.

Kher, Shrimati Kirron

Kinjarapu, Shri Ram Mohan Naidu

*Kishore, Shri Kaushal

Kulaste, Shri Faggan Singh

*Kumar, Dr. Arun

Kumar, Kunwar Sarvesh

Kumar, Shri Dharmendra

*Kundariya, Shri Mohanbhai Kalyanjibhai

Kushawaha, Shri Ravinder

*Lakhanpal, Shri Raghav

Lekhi, Shrimati Meenakashi

Mahajan, Shrimati Poonam

Maharaj, Dr. Swami Sakshiji

*Mahato, Dr. Banshilal

Mahtab, Shri Bhartruhari

Malviya, Prof. Chintamani

Manjhi, Shri Hari

Maurya, Shri Keshav Prasad

*Meena, Shri Arjun Lal

Meghwal, Shri Arjun Ram

Mishra, Shri Bhairon Prasad

*Mishra, Shri Daddan

Mohan, Shri P.C.

Munde, Dr. Pritam Gopinath

*Nath, Shri Chand

Nishad, Shri Ajay

Nishad, Shri Ram Charitra

*Nishank, Dr. Ramesh Pokhriyal

^{*} Voted through slip.

Paatle, Shrimati Kamla

*Pal, Shri Jagdambika

Panda, Shri Baijayant Jay

Pandey, Dr. Mahendra Nath

Pandey, Shri Hari Om

Pandey, Shri Rajesh

*Paswan, Shri Chhedi

Patel, Dr. K. C.

Patel, Shrimati Anupriya

Patel, Shrimati Jayshreeben

Pathak, Shrimati Riti

Patil, Shri A.T. Nana

Patole, Shri Nana

Phule, Sadhvi Savitri Bai

*Prasad, Dr. Bhagirath

Radhakrishnan, Shri Pon

**Radhakrishnan, Shri R.

*Rai, Shri Nityanand

Raj, Shrimati Krishna

Rajbhar, Shri Harinarayan

Rajoria, Dr. Manoj

Rajput, Shri Mukesh

Raju, Shri Ashok Gajapathi

Ram, Shri Janak

Rathod, Shri D.S.

*Ray, Shri Bishnu Pada

Rudy, Shri Rajiv Pratap

^{*} Voted through slip.

^{**} Corrected through slip for Noes.

Sahu, Shri Chandulal

Sahu, Shri Lakhan Lal

*Saini, Shri Rajkumar

Sanjar, Shri Alok

**Sarswati, Shri Sumedhanand

Satpathy, Shri Tathagata

Sawaikar, Adv. Narendra Keshav

Shah, Shrimati Mala Rajyalakshmi

**Sharma, Dr. Mahesh

Sharma, Shri Ram Swaroop

Shetty, Shri Gopal

Shyal, Dr. Bhartiben D.

**Siddeshwara, Shri G. M.

Sigriwal, Shri Janardan Singh

Singh, Dr. Bhola

Singh, Dr. Nepal

**Singh, Dr. Satya Pal

Singh, Dr. Yashwant

**Singh, Shri Giriraj

**Singh, Shri Kirti Vardhan

Singh, Shri Lallu

Singh, Shri Nagendra

**Singh(Raju Bhaiya), Shri Rajveer

Singh, Shri Rakesh

Singh, Shri Virendra

Sinha, Shri Manoj

Solanki, Dr. Kirit P.

^{*} Corrected through slip for Noes.

^{**} Voted through slip.

Sonkar, Shri Vinod Kumar

Sonker, Shrimati Neelam

Swain, Shri Ladu Kishore

Tripathi, Shri Sharad

Tumane, Shri Krupal Balaji

Udasi, Shri Shivkumar

*Usendi, Shri Vikram

Vardhan, Dr. Harsh

Verma, Shri Bhanu Pratap Singh

Verma, Shri Rajesh

Verma, Shrimati Rekha

Yadav, Shri Hukmdeo Narayan

Yadav, Shri Om Prakash

Yadav, Shri Ram Kripal

Yediyurappa, Shri B.S.

^{*} Voted through slip.

ABSTAIN

Baite, Shri Thangso Chowdhury, Shri Adhir Ranjan Ering, Shri Ninong Hooda, Shri Deepender Singh Meinya, Dr. Thokchom Suresh, Shri D.K.

Suresh, Shri Kodikunnil

HON. DEPUTY-SPEAKER: Subject to correction*, the result of the Division is:

Ayes - 10

Noes - 116

The motion was negatived.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That clause 4 stand part of the Bill."

The motion was adopted.
Clause 4 was added to the Bill.
Clauses 5 and 6 were added to the Bill.
Clause 1 was added to the Bill.
The Enacting Formula, the Long Title were added to the Bill.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The Minister may now move that the Bill be passed. THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI BANDARU DATTATREYA): I beg to move:

"That the Bill be passed."

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Now, the Lobbies may be opened.

Ayes: 010 + Shrimati Kavitha Kalvakuntla, Shrimati Aparupa Poddar, Shrimati Pratima Mondal, S/Shri Mohammad Salim, Sankar Prasad Datta and C.N. Jayadevan -(minus) S/Shri Rajkumar Saini and R. Radhakrishnan = 14.

Noes: 116 + Dr. Mahesh Sharma, Shri G.M. Siddeshwara, Prof. Sanwar Lal Jat, S/Shri Mohanbhai Kalyanjibhai Kundariya, Giriraj Singh, Rattan Lal Kataria, Rajveer Singh (Raju Bhaiya), Vinod Lakhmashi Chavda, Raj Kumar Saini, Daddan Mishra, Sushree Uma Bharti, Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank, S/Shri S.S. Ahluwalia, Kirti Vardhan Singh, Jagdambika Pal, Chhedi Paswan, Bhishnu Pada Ray, Dr. Banshilal Mahato, S/Shri Vikram Usendi, Chand Nath, Sumedhanand Saraswati, Kaushal Kishore, Raghav Lakhanpal, Shrimati Rakshatai Khadse, Shrimati Santosh Ahlawat, Dr. K.C. Patel, Dr. Bhagirath Prasad S/Shri Arjun Lal Meena, Shyama Charan Gupta, P.P. Chaudhary, Dr. Satya Pal Singh, S/Shri Birendra Kumar Choudhary, Dr. Arun Kumar, Shri Nityanand Rai and Shri R. Radhakrishnan =151.

^{*} The following Members also recorded/corrected their votes through slips.

15.37 hrs

MOTION RE: FIRST REPORT OF COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

HON. DEPUTY-SPEAKER: Now, we shall take up Item No.13. SHRI THANGSO BAITE (OUTER MANIPUR): With your permission, I beg to move:

"That this House do agree with the First Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 16th November, 2014."

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That this House do agree with the First Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 16th November, 2014."

The motion was adopted.

15.39 hrs

PRIVATE MEMBERS' BILLS-Introduced

(i) COMPULSORY VOTING BILL, 2014*

HON. DEPUTY-SPEAKER: Now, we shall take up Item No.14.

SHRI FEROZE VARUN GANDHI (SULTANPUR): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for compulsory voting by the electorate in the country and for matters connected therewith.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for compulsory voting by the electorate in the country and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

SHRI FEROZE VARUN GANDHI: I introduce** the Bill.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section –2, dated 28.11.2014.

^{**} Introduced with the recommendation of the President.

15.40 hrs.

(ii) INDIAN PENAL CODE (AMENDMENT) BILL, 2014* (Substitution of new section for section 124A)

SHRI BAIJAYANT JAY PANDA (KENDRAPARA): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, 1860.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, 1860."

The motion was adopted.

SHRI BAIJAYANT JAY PANDA: Sir, I introduce the Bill.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section –2, dated 28.11.2014.

15.40 ½ hrs.

(iii) CIGARETTES AND OTHER TOBACCO PRODUCTS (PROHIBITION OF ADVERTISEMENT AND REGULATION OF TRADE AND COMMERCE, PRODUCTION, SUPPLY AND DISTRIBUTION) AMENDMENT BILL, 2014 *

SHRI BAIJAYANT JAY PANDA (KENDRAPARA): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Cigarettes and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Cigarettes and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003."

The motion was adopted.

SHRI BAIJAYANT JAY PANDA: Sir, I introduce the Bill.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section –2, dated 28.11.2014.

15.40 ¾ hrs.

(iv) FAST TRACK COURTS FOR ELECTED REPRESENTATIVES BILL, 2014*

SHRI BAIJAYANT JAY PANDA (KENDRAPARA): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to establish fast track courts for trial of cases involving criminal charges against elected representatives.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to establish fast track courts for trial of cases involving criminal charges against elected representatives."

The motion was adopted.

SHRI BAIJAYANT JAY PANDA: Sir, I introduce** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section –2, dated 28.11.2014.

_

^{**} Introduced with the recommendations of the President.

15.41 hrs.

(v) CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL, 2014* (Substitution of new section 24, etc.)

SHRI BAIJAYANT JAY PANDA (KENDRAPARA): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Code of Criminal Procedure, 1973.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Code of Criminal Procedure, 1973."

The motion was adopted.

SHRI BAIJAYANT JAY PANDA: Sir, I introduce** the Bill.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section –2, dated 28.11.2014.

^{**} Introduced with the recommendations of the President.

15.41 ½ hrs.

(vi) SPECIAL FINANCIAL ASSISTANCE TO THE STATE OF WEST BENGAL BILL, 2014 *

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for special financial assistance to the State of West Bengal for the purpose of promoting the welfare of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and Other Backward Sections of people; for the development, exploitation and proper utilization of its resources and to relieve its debt burden.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for special financial assistance to the State of West Bengal for the purpose of promoting the welfare of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and Other Backward Sections of people; for the development, exploitation and proper utilization of its resources and to relieve its debt burden"

The motion was adopted.

PROF. SAUGATA ROY: Sir, I introduce** the Bill.

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Vincent H. Pala - Not present

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section –2, dated 28.11.2014.

^{**}Introduced with the recommendation of the President.

15.42 hrs.

(vii) SPECIAL FINANCIAL ASSISTANCE TO THE STATE OF WEST BENGAL BILL, 2014*

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for special financial assistance to the State of West Bengal for the purpose of promoting the welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Sections of people and for the development, exploitation and proper utilization of its resources.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for special financial assistance to the State of West Bengal for the purpose of promoting the welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Sections of people and for the development, exploitation and proper utilization of its resources."

The motion was adopted.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Sir, I introduce** the Bill.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section –2, dated 28.11.2014.

^{**} Introduced with the recommendations of the President.

15.42 ½ hrs.

(viii)OLD AGE PENSION AND REHABILITATION BILL, 2014 *

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for payment of pension and provision of rehabilitation facilities to old persons.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for payment of pension and provision of rehabilitation facilities to old persons."

The motion was adopted.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Sir, I introduce** the Bill.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section –2, dated 28.11.2014.

^{**} Introduced with the recommendations of the President.

15.43 hrs.

(ix)PREVENTION OF FEMALE INFANTICIDE BILL, 2014*

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to prevent female infanticide.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to prevent female infanticide."

The motion was adopted.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Sir, I introduce the Bill.

15.44 hrs.

(x) AGRICULTURAL WORKERS (EMPLOYMENT, CONDITIONS OF SERVICE AND WELFARE) BILL, 2014*

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to protect the interests of agricultural workers and for matters connected therewith.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to protect the interests of agricultural workers and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Sir, I introduce** the Bill.

Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section –2, dated 28.11.2014

^{**} Introduced with the recommendation of the President.

15.45 hrs.

(xi) PROHIBITION OF RAGGING AND UNFAIR PRACTICES IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND UNIVERSITIES BILL, 2014*

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं कि शिक्षा संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में रैगिंग और अऋजु व्यवहार का प्रतिषेध करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमित दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for prohibition of ragging and unfair practices in educational institutions and universities and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

श्री राकेश सिंह : मैं विधेयक पुरःस्थापित**करता हूं।

15.45 ½ hrs.

(xii) COMPULSORY VOTING BILL, 2014*

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में मतदाताओं द्वारा अनिवार्य मतदान करने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमित दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for compulsory voting by the electorate in the country and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल: मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section –2, dated 28.11.2014.

_

^{**}Introduced with the recommendation of the President.

15.46 hrs.

(xiii) HEALTH INSURANCE (FOR PERSONS LIVING BELOW POVERTY LINE) BILL, 2014*

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज): मैं प्रस्ताव करता हूं कि गरीबी रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य बीमा तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for health insurance to persons living below poverty line and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल : मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section –2, dated 28.11.2014.

^{**}Introduced with the recommendation of the President.

15.46 ½ hrs.

(xiv) STREET CHILDREN (REHABILITATION AND WELFARE) BILL, 2014*

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं कि उन निस्सहाय बालकों, जो कूड़ा बीनकर, भिक्षावृत्ति

से, जूते पालिश करके, पॉटर के रूप में काम करके या सड़क की क्रासिंग या सार्वजनिक स्थानों पर करतब

दिखाकर जीवन-यापन करते हैं, के लिए संघ और राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले पुनर्वास और

कल्याणकारी उपायों और उन्हें अभिरक्षा में लेकर उनका पुनर्वास करने और उन्हें उचित देख-देख, संरक्षण,

शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने

वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the rehabilitation and welfare measures to be undertaken by the Union and the State Governments for the street children who subsist on rag picking, begging, shoe polishing, working as potters or performing acrobatics at road crossings or public places and for their rehabilitation by taking their custody and providing them due care, protection, education, vocational training and for matters connected

therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

श्री राकेश सिंह: मैं विधेयक को पुरःस्थापित ** करता हं।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section –2, dated 28.11.2014.

-

^{**} Introduced with the recommendations of the President.

15.47 hrs.

(xv)PROVISION OF COMMUNICATION FACILITIES IN EVERY VILLAGE BILL, 2014*

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश के सभी गांवों में टेलीफोन और डाक तथा तार घर की सुविधाओं तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the facilities of telephone and post and telegraph office in all the villages of the country and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

श्री राकेश सिंह: मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूं।

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section –2, dated 28.11.2014.

^{**} Introduced with the recommendations of the President.

15.47 ½ hrs.

(xvi) ACID CONTROL, PREVENTION OF ACID ATTACKS AND REHABILITATION OF ACID ATTACK VICTIMS BILL, 2014 *

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for regulation of trade and business of acid, prevention of acid attacks and rehabilitation of the victims of acid attacks and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for regulation of trade and business of acid, prevention of acid attacks and rehabilitation of the victims of acid attacks and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: I introduce** the Bill.

15.48 hrs.

(xvii) SURROGACY (REGULATION) BILL, 2014*

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for regulation of the practice of surrogacy and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for regulation of the practice of surrogacy and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: I introduce the Bill.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section –2, dated 28.11.2014.

^{**} Introduced with the recommendation of the President.

15.48 ½ hrs.

(xviii)CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2014* (Insertion of new article 371K)

श्री कीर्ति आज़ाद (दरभंगा): मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत का संविधान का और मिथिलांचल से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक, 2014 में नए अनुच्छेद 371ट का विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमित दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

श्री कीर्ति आज़ाद: मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

-

15.49 hrs.

(xix) COW (PROTECTION) BILL, 2014*

SHRI CHANDRAKANT KHAIRE (AURANGABAD): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for protection of cow and its progeny.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for protection of cow and its progeny."

The motion was adopted.

SHRI CHANDRAKANT KHAIRE: I introduce** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section –2, dated 28.11.2014.

^{**} Introduced with the recommendation of the President.

15.50 hrs.

(xx) PROVISION OF COMPENSATION TO FARMERS AFFECTED BY NATURAL CALAMITIES BILL, 2014 *

SHRI CHANDRAKANT KHAIRE (AURANGABAD): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for payment of compensation to farmers affected by natural calamities and for matters connected therewith.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for payment of compensation to farmers affected by natural calamities and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

SHRI CHANDRAKANT KHAIRE: I introduce** the Bill.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section –2, dated 28.11.2014.

^{**} Introduced with the recommendation of the President.

15.51 hrs.

CENTRAL HIMALAYAN STATES DEVELOPMENT COUNCIL BILL, 2014 – Contd.

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, we will take further consideration on Central Himalayan States Development Council Bill, 2014.

Item No. 37 – Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank.

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): उपाध्यक्ष महोदय, हम पिछली बार हिमालय राज्यों के समग्र विकास की दृष्टि से पृथक मंत्रालय बनाने के लिए संकल्प लाये थे। मैं इस सदन का आभारी हूं, जिसमें लगभग 15 राज्यों के 18 सासंदगण ने उस प्रस्ताव पर अपनी भावना व्यक्त की थी और हिमालय चूंकि देश और दुनिया के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इन राज्यों के लिए अलग से मंत्रालय के गठन पर अपनी सहमति दी थी।

श्रीमन् जब तक मंत्रालय गठित होता है तब तक एक अलग से हिल काउंसिल पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए, हिमालय राज्यों के विकास के लिए हो, इस दृष्टि से यह विधेयक इस सदन में हमने प्रस्तुत किया है। इस सभा ने यह महसूस किया है कि हिमालय का अपना अलग भूगोल, पारिस्थितिकी और पर्यावरण तंत्र है। इसकी पृथक सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलू है और इस सबको हमें शिद्दत से, पूरी गंभीरता से लेना होगा।

श्रीमन्, इसी सभा में यह भी जरूरत महसूस हुई थी कि समुचित नियोजन और रणनीति के विकास के अभाव में पूरा हिमालय क्षेत्र निराशा और असंतोष की स्थिति से गुजर रहा है, जो राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं है। 22 सालों के बाद भी कासिम आयोग की सिफारिशें ज्यों की त्यों पड़ी हुई हैं। हिमालय में पारिस्थितिकी और जलवायु परिवर्तन का निश्चित ही मारक असर है। पर्वतवासियों के जीवित रहने के लिए हिमालय का संरक्षण बहुत जरूरी है। वस्तुतः ऐसे मध्यमान की आवश्यकता है, जो भौतिक उन्नित और अल्पकालिक सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रों को तिलांजिस देकर प्रकृति और मनुष्य हित में दीर्घकालिक फायदों पर ध्यान केन्द्रित कर सके। इसका माध्यम विज्ञान, प्रोद्योगिकी के साथ-साथ अनुशासन, मानवीय समर्पण और स्थानीय संसाधनों के व्यवस्थित उपयोग पर दीर्घ इच्छा शक्ति ही हो सकती है।

श्रीमन्, यह तभी संभव हो सकता है जब इसके लिए अलग से नीति निर्धारण के लिए एक काउंसिल बने। यदि मैं हिमालय के बारे में मोटी-मोटी चर्चा करूं तो हिमालय ही अफवाह, हिमालय जो एशिया का वाटर टावर है, यदि इसे मोटे तरीके से देखा जाये तो स्वीडन विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक श्री

मालिक फालकन मारक ने जल संसाधनों पर दबाव के सांकेतिक विकास को करते समय बताया था कि प्रति व्यक्ति वार्षिक जल उपलब्धतता 1 हजार 700 मीटर क्यूबिक से नीचे जाती है, तो क्षेत्र में जल आपूर्ति की समस्या होगी और अगर यह उपलब्धतता 1 हजार मीटर क्यूबिक से कम होती है, तो न केवल क्षेत्र और देश, बल्कि इसकी गंभीर समस्या पूरे विश्व में होगी। यदि मैं देखूं तो वर्ष 1951 में यह क्यूबिक मीटर प्रति व्यक्ति वर्ष का 5177 था, जो वर्ष 2001 में 1869 और वर्ष 2005 में 1341 हो गया, जिसकी संभावना वर्ष 2050 में 1140 की स्थिति है।

श्रीमन्, यदि यह देखा जाये तो निकट भविष्य में सारे विश्व में जल पर युद्ध होने वाला है। यदि अगला विश्व युद्ध होगा, तो वह जल की स्थितियों पर होने वाला है। राजस्थान, गुजरात के कुछ क्षेत्रों में यह सांकेतिक 200 से 800 मीटर क्यूबिक तक है और विश्व में 1.3 मिलियन जनसंख्या है, यानी विश्व की 20 प्रतिशत जनसंख्या हिमालय पर आधारित है। हिमालय की श्रृंखला में 19 से भी अधिक प्रमुख नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र और सिंधु सबसे बड़ी है। दोनों में से प्रत्येक का पर्वतों में 2 लाख 59 हजार वर्ग किलोमीटर विस्तृत जल संग्राहक बेसिन है। आप अन्य नदियों में भी देखेंगे तो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और सिंधु उसी तंत्र की हैं, जिनका 2 लाख, 17 हजार 560 वर्ग किलोमीटर है। यदि देखेंगे तो तिस्ता, रैदक और मानसूना ब्रह्मपुत्र तंत्र की 1 लाख 83 हजार 890 वर्ग किलोमीटर को आवाहित करती हैं।

गंगा में 6694, ब्रह्मपुत्र में 4366, इंडस में 5097 यानी 16617 ऐसे हिमखंड हैं जो लगातार पीछे जा रहे हैं। इससे बहुत बड़ी समस्या देश को होने वाली है और इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। हिमालय 8 करोड़ 60 लाख क्यूबिक मीटर जल की आपूर्ति करता है। इस तरह कुल मिलाकर 67 प्रतिशत हिमनद पीछे खिसक रहे हैं। उत्तराखंड में ही गंगा, यमुना, भारगीरथी बेसिन में 900 ग्लेशियर हैं। मैं समझता हूं कि 73 प्रतिशत हिमालय का क्षेत्र भारत भू पर है इसलिए हिमालय की चिंता करना बहुत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री था तब हमने हिमनद विकास प्राधिकरण बनाया था। हमने नदियों और इनमें आने वाली जलधाराओं के संरक्षण और संवर्द्धन के लिए स्पर्श गंगा बोर्ड भी बनाया था।

मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि यह किसी राज्य या किसी पर्वतीय हिमालय के राज्यों का विषय नहीं है, यह देश का विषय है, दुनिया का विषय है। इस क्षेत्र में बहुत जरूरी है कि यहां शिक्षा और कौशल का विकास किया जाए। हिमालय की आवश्यतानुसार यहां पाठ्यक्रम बनाए जाएं। यहां इंजीनियर, प्रशासक, वैज्ञानिकों को एक विशेष किस्म का प्रशिक्षण देने की जरूरत है। यह काम मानव संसाधन विकास के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, हालांकि मैं सरकार का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि सरकार ने हिमालय अध्ययन संस्थान की स्थापना की घोषणा की है। मुझे भरोसा है कि यहां बागवानी, जल विद्युती यांत्रिकी, भू-गर्भ विज्ञान, पारिस्थितिकी, शिक्षा, शोध पर बहुत काम होगा और यह विश्व के मार्गदर्शन के काम आएगा।

दुनिया भर में मौसम परिवर्तन के बारे चर्चा हो रही है लेकिन इसके कारणों की तरफ कोई गौर नहीं कर रहा है। वर्ष 2000 से 2010 के बीच विश्व ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सात प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है। मैं समझता हूं कि भारत ने यदि वचनबद्धता की है कि प्रति व्यक्ति उत्सर्जन को किसी कीमत पर बढ़ने नहीं देगा तो इसके लिए वैकल्पिक विचार भी करना होगा। जलवायु परिवर्तन का खतरा गंभीर चुनौती है। वैज्ञानिक इस बात पर एकमत हैं कि जलवायु परिवर्तन में असंदिग्धता है। मैं कहना चाहता हूं कि हिमालय इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। जलवायु परिवर्तन का दुष्प्रभाव करने के लिए आपदा प्रबंधन, कृषकों को बीमा सहायता, कृषि भूमि का उपयोग, प्रबंधन, संसाधन संरक्षण, प्रौद्योगिकी, वन संबंधी योजनाओं और कार्यक्रमों का विकास करना होगा। जल उपयोग और मापन, जल उपयोग प्रबंधन की नीति में सुधार की जरूरत है। यह तभी संभव हो सकता है जब हिमालय के लिए अलग से काउंसिल बनाने की अनुमित दी जाएगी।

आज दुनिया का हर आदमी अंदर से खोखला हो गया है। आदमी के अंदर की क्षमता कम होती जा रही है। ऐसी स्थिति में प्राकृतिक तरीके से उत्पादित उत्पादों की जरूरत है। एक अध्ययन के तहत इस बैल्ट में 6240 अरब रुपए की मार्किट है। यह मार्किट केवल प्राकृतिक तरीके से उत्पन्न आर्गेनिक फूड की है। वर्ष 2010 से 2015 तक आर्गेनिक कृषि का 22.3 प्रतिशत का माप बढ़ा है। पुष्प उत्पादन वर्ष 2015 तक 30 प्रतिशत की गति से बढ़ रहा है, इसकी मार्किट 8000 करोड़ रुपए की है। यदि हिमालय की इस बैल्ट का ठीक से नियोजन हो, व्यवस्थित दोहन हो और प्रकृति के संरक्षण में काम हो तो बहुत कुछ हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जड़ी-बूटियों का 6.2 बिलियन डॉलर अर्थात् 360 अरब रुपए का व्यवसाय हो सकता है। भारत में आयुष उत्पादन बढ़ सकता है और वर्तमान में यह उत्पादन 900 करोड़ रुपए का है। भारतीय वनों से कुल राजस्व की प्राप्ति 65 बिलियन डॉलर है यानी 390 अरब रुपए है। 65 प्रतिशत वन क्षेत्र सिर्फ हिमालय में है जो देश का 24 प्रतिशत है। हिमालय के आठ राज्य हैं, इनमें और क्षेत्र भी हैं लेकिन 65 से 70 प्रतिशत वन क्षेत्र है।

16.00 hrs.

इसलिए मेरा अनुरोध है कि हिमालय का जो 70 प्रतिशत क्षेत्र है, वह कृषि पर आधारित है और हिमालय के क्षेत्र में जो कृषि है, इसे कुछ विशेष रूप में किया जाए कि कम उत्पादन, न्यूनतम लागत, अपर्याप्त सिंचाई, पारंपरिक खेती, अलाभकारी अनाज आधारित छोटे-बड़े खेत, ये बागवानी की दिशा में भी निश्चित रूप से करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे पुष्पों का उत्पादन होता है, जो छः महीने तक नहीं मुर्झाते हैं। ऐसे पुष्पों का उत्पादन हो सकता है, जिसमें सुगंधे है। बेमौसम की सब्जियों का वहाँ बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन हो सकता है। इसलिए इनसे संबंधित कोई नीति बने। यह भी तभी संभव है, जब अलग से नीति हो। इसका

एक उदाहरण है। भारत सरकार ने पूर्वोत्तर में नागालैंड में सब्जी ग्रामों की स्थापना की। आज उनकी स्थिति यह है कि 25 से 50 लाख रुपया प्रति किसान प्रति वर्ष उत्पादन कर रहा है और यह एक मॉडल है। इसलिए यह पूरे हिमालय क्षेत्र के लिए इस दिशा में बढ़ता, इसका एक नीति निर्धारक होता, तो इससे पूरे न केवल हिमालयी राज्यों का भला होगा, बल्कि देश-दुनिया का भला होगा।

पर्यटन के क्षेत्र में भी यदि जम्मू-कश्मीर, हिमाचल तथा उत्तराखण्ड की धरती को देखा जाए, तो ये धरती के स्वर्ग हैं। तमाम स्विट्जरलैंड हमारी इस धरती में समाये हुए हैं। लेकिन उसका व्यवस्थित रूप से कभी नहीं उपयोग हो सका। पर्यटन देश के 3.9 करोड़ नौकरियों का प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सर्जन करता है। यदि पर्यटन को ही व्यवस्थित किया जाए, इसे बढावा दिया जाए, तो करोड़ों नौजवानों को नौकरी भी दी जा सकती है और इससे अर्थ भी पैदा किया जा सकता है। भारतीय जी.डी.पी. का 6.6 प्रतिशत आज भी केवल पर्यटन से आता है। मेडिकल टूरिज्म से दो हजार करोड़ डॉलर यानी 12 हजार हजार करोड़ रुपए केवल मेडिकल ट्रिंग्न से आता है, यदि इसे बढ़ाया जाए तो कितना गुणा बढ़ सकता है। अभी लगभग 70 लाख विदेशी लोग भारत में इस प्रकार के आते हैं। विश्व पर्यटन उद्योग में हमारी प्राप्ति 1.59 प्रतिशत है, जो विश्व में 42वें स्थान पर आता है, जिसे विश्व में पहले स्थान पर होना चाहिए। मैं उत्तराखण्ड से संबंध रखता हूँ। उत्तराखण्ड को धरती का स्वर्ग कहते हैं। वहाँ पूरी प्रकृति ने बेसुमार सौन्दर्य बिखेरा है। आदमी जिधर देखता है, उसका मन उधर ही मोहित हो जाता है। मैंने कहा कि पूरी घाटी को देख लिया जाए। हम आज 42वें स्थान पर हैं, केवल और केवल हिमालय संबंधी ठीक नीति न बनने के कारण आज हम 42वें स्थान पर हैं। ऐसे ही स्थिति उद्योग-धंधों के विकास और संवर्धन में है। जब हमारे पास जीवनदायिनी जड़ी-बुटियाँ हैं, संजीवनी है, तो हम क्यों भटक रहे हैं। चीन से हम अरबों-खरबों रुपए की दवाइयाँ देश में ला रहे हैं। हम दोहरी मार खा रहे हैं। यहाँ से हमारे नौजवान, महिलाएं और गांव का व्यक्ति पलायन कर रहा है। उन्हें जड़ी-बूटियों के आधार पर उनको वहाँ रोकना चाहिए था। ऐसी दुर्लभ जड़ी-बूटियाँ आज भी हमारे पास हैं। इसलिए में यह कहना चाहता हूं कि यह तभी संभव है, ऐसा नहीं है, परिस्थितयाँ अनुकूल हैं, संभावनाएँ असीम हैं, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन की है और वह परिवर्तन यह है कि उसका नियोजन कैसे किया जाए, नीतियाँ कैसी बनायी जाए, इस पर विचार करने की ज्यादा जरूरत है।

16.04 hrs.

(Shri Hukum Singh in the Chair)

श्रीमन्, आपदा प्रबंधन के संबंध में, यदि केदारनाथ की आपदा को देखा जाए, तो 24-25 हजार से ज्यादा लोग हताहत हुए हैं। देश के 24 राज्यों के और दुनिया के तमाम देशों के लोग हताहत हुए हैं। ऐसी स्थिति में आप कल्पना कर सकते हैं कि चाहे वह उत्तराखण्ड की दैवीय आपदा हो या जम्मू-कश्मीर की

आपदा हो, इसमें हजारों लोग हताहत होते हैं। नीति के अभाव में यह सब कुछ हो रहा है। जल संवर्धन की ठीक नीति न होना और डॉप्लर रडार जैसे यंत्र इस क्षेत्र में न मिलना जैसे कुछ कारण हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि यह बहुत जरूरी है कि हम आपदा का प्रबंधन करें। बाढ़, भूस्खलन, वनाग्नि, भूकम्प, भूसंरक्षण और 90 प्रतिशत आग मानव-निर्मित कारणों से लगते हैं। उसमें में भी लोगों को जागरुक कर सकते हैं। हिमनदों का गंगोत्री में 17.5 मीटर, मीलम 13.3 मीटर प्रति वर्ष, पिंडर 13.5 मीटर प्रति वर्ष, डोकरियानी 17.0 तथा वार्सिगी 43.3 प्रतिशत भाग है। यदि देखा जाए तो ग्लेशियर जिस गति से पीछे जा रहे हैं, यह केवल हिमालय बेल्ट के लोगों के लिए चिन्ता का विषय नहीं होना चाहिए, बल्कि यह पूरी देश-दुनिया के लिए चिन्ता का विषय होना चाहिए।

जिस दिन हिमालय अंगड़ाई लेगा, पूरा विश्व संकट में खड़ा होगा। इसलिए डॉप्लर रडार हों और आपदा प्रबंधन की नीति अलग से राष्ट्रीय स्तर पर बनाई जाए। आपदा प्रबंधन फोर्स को हर स्थान पर भेजा जाए। कई देशों की सीमाओं से लगे हुए ये जो क्षेत्र हैं, ये देश की सामरिक एकता एवं अखण्डता के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। चाहे जल मार्ग हो या रज्जू मार्ग हो, सामरिक मार्गों के निर्माण और रखरखाव पर कभी चिन्ता नहीं रही है। सम्पूर्ण देश में मात्र तिन जालमार्गों में से एक हिमालयी अपवाह में 891 किलोमीटर जलमार्ग है। हिमालय क्षेत्र में 891 किलोमीटर का जलमार्ग सिर्फ धुबरी और ब्रह्मपुत्र में है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, जम्मू-कश्मीर एवं पूर्वोत्तर राज्यों में रोप-वे विकसित करने की जरूरत है। मुझे अच्छा लगा कि जब आदरणीय श्री नितिन गडकरी जब उत्तराखण्ड के प्रवास पर आए थे, उन्होंने इस बात की चिंता की थी कि पर्वतीय क्षेत्रों को खोदने और बड़ी-बड़ी चट्टानों को तोड़ने की बजाय, वहां रज्जु मार्गों का निर्माण हो। उससे हमारा पर्यावरण भी संरक्षित होगा और आवागमन भी ठीक होगा, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पर्यावरण की दृष्टि से हिमालय की पारिस्थितिकीय संवेदनशीलता एवं वन्य जीवन का संरक्षण जलमार्गो एवं रोप-वे विकसित करने से निश्चित रूप में हो सकता है। इससे वन्य जन्तुओं का संरक्षण होगा, लोगों की आर्थिकी भी सुधरेगी, समय भी कम लगेगा और पर्यावरण का भी संरक्षण होगा। यदि जैव विविधता को देखें, तो चौंकाने वाली स्थिति है। पूरे विश्व में जैव विविधता की दिशा में हिमालय सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र है। पूरे विश्व में जो भूभाग है - दो करोड़ 38 लाख सात हजार पांच सौ नब्बे वर्ग किलोमीटर के इस पूरे भूभाग में चार ही स्थान जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध हैं, जिनमें हिमालय नम्बर-एक पर है। लेकिन आज तक भारत सरकार ने कभी उसका उपयोग ही नहीं किया, कभी जानने की कोशिश ही नहीं कि आखिर सारे विश्व में हमारे पास एक बहुत बड़ी सम्पदा जैव विविधता के रूप में है, हम इसका उपयोग कैसे करें। चूंकि कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया गया, गंभीरता से कभी विचार नहीं हुआ, मैं कहना चाहता हूं कि इस समय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वह हिमालय के प्रति समर्पित है। उन्हें अब गंगा पुत्र के नाम से जाना

जा रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि अब हिमालय का व्यवस्थित और अच्छे तरीके से विकास होगा। जैव विविधता के लिए भी सम्पूर्ण विश्व के 130 करोड़ लोग हिमालय के संसाधनों और अपवाह पर निर्भर हैं। विश्व के यदि 130 करोड़ लोग केवल इस पर निर्भर हैं तो यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पूर्वी हिमालय के क्षेत्र में वहां 7000 से अधिक पौधों की प्रजातियां, 175 स्तनधारी एवं 500 पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इससे बड़ी जैव विविधता दुनिया में कहीं हो नहीं सकती है।

इसलिए मेरी जो चिंता है, जिस चिंता को लेकर मैं एक संकल्प लाया था कि अलग मंत्रालय का गठन होना चाहिए, जब तक उस मंत्रालय का गठन होता है, तब तक निश्चित रूप से एक काउंसिल होनी चाहिए जो नीति बनाए और नीति का नियोजन करे। यदि वन क्षेत्र देखें - हिमाचल प्रदेश में 14683 वर्ग किलोमीटर, जम्मू-कश्मीर में 22538 वर्ग किलोमीटर और उत्तराखण्ड में 24508 वर्ग किलोमीटर है। हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में 65 प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित हैं। इसका भी व्यवस्थित उपयोग नहीं हुआ है। में कहना चाहता हूं कि भारत को पर्यावरण से होने वाला नुकसान आठ अरब डॉलर है जो जीडीपी का 5.7 प्रतिशत है। यह चौंकाने वाला तथ्य है। इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। वनों और पैड़ों का फैलाव वातावरण से कार्बन डाई आक्साइड का अवशोषण करके जलवायु परिवर्तन का काम करेगा, धरती की कुष्णता को कम करेगा, जिसको लेकर पूरी दुनिया में एयर कंडीशन्ड बंगलों में बड़े-बड़े सेमिनार हो रहे हैं और उनका रिजल्ट जीरो होता है। इसकी चिंता इसी धरती पर खड़े होकर की जा सकती है। अपशिष्ट के बारे में मेरा कहना है कि हिमालय क्षेत्र का अपशिष्ट प्रबंधन एक चुनौती भरा काम है। अपशिष्ट प्रबंधन के साथ-साथ स्वच्छता सुनिश्चित करने के नए प्रावधान लाने होंगे। कूड़ा-करकट को अलग-अलग ढंग से वर्गीकृत करने की प्रक्रिया हमें उस स्थान पर भी अपनानी होगी क्योंकि हिमालय को प्रदूषण और इस तरह के अपशिष्ट से हर कीमत पर मृक्त करना होगा।

श्रीमन्, आज सवेरे स्वास्थ्य मंत्री जी जब चर्चा कर रहे थे तो एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि चीन से दवाइयां आती हैं वे करीब 700 करोड़ रुपये की होती हैं और जो जड़ी-बूटियां आती हैं उनको भी जोड़ा जाए तो अरबों रुपया हम चीन को दे रहे हैं। हमें चीन को दवाइयां देनी चाहिए, लेकिन हो उल्टा रहा है। उसका कारण यह है कि इस देश में इस दिशा में कभी सोचा ही नहीं गया है। हमारी जड़ी-बूटियों को चीन पेटेंट करा रहा है, हमारी चीजों को जम्बी पेटेंट करा रहा है और हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं। यह एक चिंता का विषय है।

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार बहु-आयामी तरीके से काम कर रही है, लेकिन इस दिशा में विचार करने की जरुरत है और यह आज देश की आवश्यकता भी है। केवल इतना न देखा जाए कि यह हिमालय राज्यों की जरुरत है बल्कि यह पूरे देश और दुनिया की जरुरत है। आयुर्वेद ने

तो पूरी दुनिया का तन ठीक किया है, हमारे पास संजीवनी बूटियां हैं। आज 25 साल नौजवान अपने हृदय को पकड़े बैठा है, वहीं 16 साल का युवा तमाम बीमारियों का शिकार हो गया है, मधुमेह जैसी बीमारी उसे लग गयी है। जब हमारे पास पूरी दुनिया को ठीक करने का तंत्र है तो आखिर क्यों न उसे विकसित किया जाए, क्यों न ऐसी नीतियां बनाई जाएं, जिससे आयुर्वेदिक दवाइयों के लिए उन जड़ी-बूटियों का उत्पादन भी हो, उनका दोहन भी हो।

श्रीमन्, अकेला आयुर्वेद चाहे टाइफाइड है, कैंसर है, अस्थमा है, घुटनों का दर्द है, बुखार है, खांसी है, मधुमेह है, डिप्रेशन है, मलेरिया है और लीवर की दवाई लिव-52 तो पूरी दुनिया में हर डॉक्टर लिखता है। मैं उत्तर प्रदेश में मंत्री था तो देहरादून में लिव-52 बनाने वाली कंपनी प्रदेश में सबसे ज्यादा इन्कम-टैक्स देती थी। इस अकेली दवा ने विश्व में अपना मुकाम स्थापित किया है। भारत में 45 हजार से ज्यादा जड़ी-बूटियां पाई जाती हैं लेकिन उनका व्यवस्थित रूप से दोहन करने की जरुरत है।

भारत की कुल जल विद्युत उत्पादन क्षमता एक लाख मेगावाट से भी अधिक है, जबिक उत्पादन केवल 39,788.40 मेगावाट ही हो रहा है। मुख्यतः सतलुज जल विद्युत परियोजना, टीएचटीसी, एनटीपीसी, एनएचपीसी आदि परियोजनाएं हिमालय क्षेत्र की हैं। दुनिया में जल विद्युत उत्पादन की संभावनाओं को देखते हुए भारत विश्व में 5वें स्थान पर है लेकिन विश्व के मात्र 35 प्रतिशत जल विद्युत का उत्पादन कर पा रहा है। अभी भारत 35वें स्थान पर है लेकिन वह 5वें स्थान पर आ सकता है अगर इस हिमालयन बैल्ट को सुरक्षित, संरक्षित और व्यवस्थित किया जाए और उसकी नीति बनाई जाए तथा उसका नियोजन ठीक तरह से किया जाए।

अभी हिमाचल के बिलासपुर में जो गोविंद सागर डैम है और भाखड़ा परियोजना है उसने हरित क्रांति की है। इसलिए अकेले उत्तराखंड में जल विद्युत संभावना 25,000 मेगावाट से अधिक है जबिक हिमाचल की 23,000, जम्मू-कश्मीर की 25,000 मेगावाट से अधिक है और अगर इन तीनों राज्यों को मिलाकर देखा जाए तो करीब 80,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता इन तीनों राज्यों में है। फिर ऐसी स्थिति में सरकार चुप क्यों बैठी है? क्यों न एक कौंसिल बनाकर, इसकी नीति बनाकर, देश के विकास में इसे लगाया जाए।

मैं उत्तराखंड से आता हूं और यह स्थान वेद, पुराण, उपनिषदों का जन्मदाता है। वह संस्कृत का भी जन्मदाता है, आयुर्वेद का भी जन्मदाता है। गंगा भी उसी धरती पर उतरकर सारे विश्व के कल्याण के लिए आती है और गंगा का कितना महत्व है यह सभी जानते हैं। डा. साहब अभी यहां नहीं हैं, जब मैंने गंगा की चर्चा की तो उन्होंने कुछ आपित की थी। मैंने कहा था कि गंगा का जल अमृत जल है और गंगा का जल

कभी सड़ता नहीं है। आप उस परिप्रेक्ष्य में गंगा को देखें। मुझे आपके आशीर्वाद से वर्ष 2010 में कुम्भ का आयोजन करने का मौका मिला था। यह मेरा सौभाग्य था। मैं उस समय मुख्यमंत्री था। डेढ़ सौ से भी अधिक देशों से साढ़े आठ करोड़ लोगों ने गंगा का स्पर्श किया। इंडोनेशिया, जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है, वहां से भी सर्वाधिक लोग आए। उनके राजदूत भी आए। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि वह हमारी सम्पत्ति है। स्वच्छता के रूप में उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है और गंगा का एक बूंद पानी भी हजारों व्याम्मिं से लड़ने की ताकत रखता है। इसलिए पूरी दुनिया में लोग बच्चा पैदा होने के समय एक बूंद गंगा जल डालते थे और जब भी वह इस संसार से विदा होता था, चाहे राजा हो या महाराजा हो, तो भी एक बूंद गंगा जल उसके मुंह में डाला जाता है। यह आज से नहीं, हजारो-लाखों वर्षों से परम्परा रही है।

महोदय, यह शांति और आध्यात्म का विश्व का केन्द्र है। यह देश की संस्कृति का प्राण है। हिमालय में बौद्ध धर्म के मठ हैं। चार धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमनोत्री और गंगोत्री यहां हैं। उधर की तरफ हेमकुंड साहिब और इधर पीरान किलयर है। श्रीनगर में स्थित हजरतबल भी हिमालय के राज्यों में ही है। अलकनंदा और भागीरथी जैसी तमाम पवित्र निदयां यहां हैं। पीरान किलयर का मैंने जिक्र किया है। 6338 मीटर पर कैलाश पर्वत स्थिति है। यहां बौद्धों का सबसे बड़ा स्थान है। केदारनाथ में 12 ज्योर्तिलिंग भी इसी स्थान पर हैं। लाहोल स्फीति जिला स्थित गोंपा 13 हजार 668 फीट पर स्थित है, जो इसी क्षेत्र में है। लद्दाख स्थित हैमीस और थिप्से बौद्धों के प्रमुख मट्ठ भी हैं। हमारे हिमाचल के मित्र ने भी पिछली बार इसकी बहुत चिंता की थी।

महोदय, मैं बहुत विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि आर्थिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में विकास के लिए यह बहुत जरूरी है कि हिमालय का एक अलग से मंत्रालय हो। जब तक मंत्रालय नहीं बनता है, तब तक काउंसिल बने, तािक वहां के लिए नीितयां बनें और उन नीितयों का कार्यान्वयन हो सके।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज): महोदय, मैं सबसे पहले पोखरियाल जी को धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने यह प्रस्ताव लेकर आए हैं।

महोदय, यहां हिमालय क्षेत्र के ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक पहलुओं को तथ्यों के रखा गया है। यह केवल हमारे लिए प्रांतों के लिए ही नहीं पूरे देश और पूरे दक्षिण एशिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वह भविष्य की ऊर्जा के लिए हो, पीने के पानी के लिए हो, खाद्य सुरक्षा हमारे हिमालय के भविष्य पर निर्भर है। मैं समझता हूं कि इन सब पर हिमालय को बहुत अनदेखा किया गया है। आज समय है कि हम आज की चुनौतियों को देखते हुए, किस तरह से उन सब का मुकाबला करना है, उसके लिए इस विधेयक में मांग रखी गयी है कि उसके लिए एक सैन्ट्रल काउंसिल या मंत्रालय बने। इस विषय में उपयुक्त लोग मंत्री बनने के लिए तो हैं, लेकिन मंत्रालय नहीं है। मैं समझता हूं कि एक मंत्रालय होने से कोऑर्डिनेटिव मूव के द्वारा सभी चुनौतियों को इंटीग्रेटिड तरीके से देखा जा सकता है।

इस विधेयक में सैन्ट्रल हिमालय स्टेट के बारे में कहा गया है, लेकिन शिवालिक से लेकर उत्तर पूर्व तक और भाषण देते समय भी पूर्वोत्तर भारत की भी बात की गयी और मैं हिमालय की गोद में उत्तर बंगाल के हिस्से से आता हूं। हिमालयन क्षेत्र में छोटे-छोटे प्रांत हैं और कई जगह तो अलग राज्य बनाने की मांग की जा रही है। यदि उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए तो अलग राज्य बनाने की जरूरत नहीं है। आज यह समझा जा रहा है कि हम छोटे-छोटे राज्य बना कर भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं। अगर हम समस्याओं को इंटीग्रेटेड होल की तरह नहीं देखेंगे तो हम समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। इसलिए सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह जम्मू-कश्मीर से लेकर त्रिपुरा तक की सारी भौगोलिक और सब तरह की स्थिति को देखे। इसलिए हमें उसकी संवेदनशीलता को ध्यान में रखना चाहिए। हम विकास करना चाहते हैं और हम अकसर प्लेन एरिया में भी देखते हैं और हिमालय क्षेत्र के प्रांतों में भी जाते हैं तो वहां देखते हैं कि हम विश्व के कुछ अन्य हिस्सों में जो देखकर आए हैं, उसको वहां कॉपी कर दें। लेकिन उस विकास का दृष्टिकोण क्या होगा? हमें भौगोलिक स्थितियों को भी ध्यान में रखना होगा। जो हमारा वहां का फ्लोरा एंड फॉना है, हमारे जो पशु-पक्षी, कीड़े-मकौड़े हैं, जो वहां की क्रॉप वैरायटीज हैं, उनको भी संरक्षण की जरुरत है। जो वहां अलग अलग जातियां रहती हैं, वे भी एक लिविंग म्यूजियम की तरह है। हिमालय के एकदम पश्चिम से लेकर पूर्व हिमालय तक अगर आप जाएंगे तो ये सारी विविधताएं हैं। जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, बहुत बड़े पैमाने पर हमें उसका संरक्षण करना चाहिए। अभी सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब का हवाला देकर कोई यह कहे कि बड़े बड़े पत्थर और चट्टान तोड़कर

सड़क बनाने से अच्छा है कि रज्जो मार्ग बनाया जाए। मैं जानता हूं कि आज की चुनौती के लिए हमें आधुनिक यातायात के साधन जुटाने की जरूरत है और हम फिर से उसी पुराने तौर तरीकों पर वापस नहीं जा सकते। लेकिन हमें जहां पर पारम्परिक रूप से जो यातायात के साधनों की जरूरत है और यही हमारी विशड़म है, तो हमें वहां पर उसका इस्तेमाल करना चाहिए।

जब ऊर्जा का सवाल आता है, मैं कहना चाहूंगा कि जो बड़े बड़े डैम्स और हाईड्रल पॉवर प्रोजेक्ट्स बनाये जा रहे हैं, मैं नहीं समझता कि वे हमारे हिमालय क्षेत्र के लिए ठीक हैं। हमारे मुख्य मंत्री भी हैं और वहां के सांसद भी हैं और वे जानते हैं कि जिस तरह से वहां प्रकृति के साथ अन्याय किया जा रहा है, यह ठीक नहीं है। हम जानते हैं कि वहां बिजली की जरूरत है, पानी की भी जरूरत है, डैम्स की भी जरूरत है और बहुत से साइंटिफिक रिसर्च भी हुए हैं। लेकिन हमें नये शोध की भी जरूरत है, इसलिए हमें और ज्यादा काउंसिल की भी जरूरत है कि किस तरह से हम इस सुविधा को रद्द करके वहां के संसाधनों का विकास करें और प्रकृति की देन का इस्तेमाल करें।

इसके लिए वहां छोटे डैम्स की जरूरत थी। वहां पर हाईडूल प्रोजेक्टस छोटे और हर स्तर पर बनाये जा सकते हैं। हो सकता है कि इकोनॉमिक स्केल में बहुत ज्यादा नहीं हैं, इसलिए यह कोई आलोचना की बात नहीं है। हमें एक डर है कि जिस तरह से स्किल के साथ साथ स्केल को अप करने की बात हर जगह की जा रही है, हम सब जगह स्केल की बात नहीं कर सकते। जो हमारे हिमालय में स्थित राज्य हैं, हम समानता के साथ उस स्केल में नहीं ले जा सकते लेकिन हमें विकास को उस स्केल में ले जाना पड़ेगा। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि वहां के जो लोग हैं, वे सबसे मेहनती लोग हैं लेकिन आर्थिक और प्राकृतिक आपदाओं के कारण सबसे ज्यादा पिछड़े हुए भी लोग हैं। वहां पर शैक्षणिक संस्थानों की भी कमी है तथा स्वास्थ्य संबंधी स्विधाओं का जो स्तर वहां होना चाहिए, वह न होने के कारण परेशान भी हैं। मानव विकास के लिए जो भी आवश्यक सुविधाएं चाहे वह शिक्षा से संबंधित हों, स्वास्थ्य से संबंधित हों, वह हमें वहां देनी चाहिए जिससे हम मानव शक्ति को निखार सकें। मैं समझता हूं कि बंगाल का जो उत्तरी हिस्सा है, अलग सा प्रांत न होने से हिमालय का क्षेत्र उसमें शामिल होना चाहिए। इस विधेयक को ऐसा किया जाए कि सेन्ट्रल हिमालय न कहकर पूरे हिमालय रीजन के लिए काउंसिल बनाया जाए तो वह बेहतर होगा। कुछ लोग उत्तर बंगाल में या दार्जिलिंग के बारे में अलग से प्रांत बनाने की भी मांग करते हैं। लेकिन में समझता हूं कि उसका कारण भी पिछड़ापन ही है। काउंसिल बनाकर एज ए होल इंटीग्रेटेड पर्सपैक्टिव में अगर हम देखते हैं, विकास करते हैं तो हम देखते हैं कि झूठे वादे बहुत किये जाते हैं। हमारे वहां जो बंगाल में सरकार बनी, उन्होंने कहा कि हम दार्जिलिंग को, उत्तर बंगाल को स्विटजरलैंड बना देंगे। ऐसे तो अलग

से स्विटजरलैंड बन नहीं सकता। वह तो कोई म्यूजियम पीस नहीं है कि अलग से खरीदकर लाकर पेस्ट कर दिया जाए।

इसिलए में समझता हूं कि वहां के विकास के लिए सबसे पहले जरूरी चीज यह है कि जो आज के उद्योग हैं, उन उद्योगों को हम वहां किस तरह से ले जाएं। चाहे वे पूर्वोत्तर राज्य में हों, चाहे वे हिमाचल में हो, चाहे उत्तराखंड में हों, चाहे उत्तर प्रदेश, बिहार के उत्तरी हिस्से में हों, चाहे जम्मू-कश्मीर में हो, ऐसा करने के लिए हमें वहां की भौगोलिक परिस्थिति और मौसम की जो दुविधाएं हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए, वहां के क्यों की दक्षता को ध्यान में रखते हुए हमें वहां पर उद्योग की स्थापना के लिए विशेष क्षेत्र के रूप में भारत सरकार को काम करना चाहिए। हिमालयन स्टेट्स की तरह वहां भी कई तरह की स्टेट्स हैं, जैसे नार्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, लेकिन नार्थ बंगाल का हिस्सा चाहे वह दार्जिलिंग हो, जलपाईगुड़ी हो या कूच बिहार हो, वह उत्तमें नहीं आता हैं, चूंकि वह पश्चिम बंगाल का हिस्सा है। इन्हें हम इनडायरेक्टली धकेलते हैं कि अलग प्रांत बनाओगे तो तुम्हारा हो जायेगा। जो चीज सिक्किम में उपलब्ध है, वह दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार में भी उपलब्ध होनी चाहिए, जो आसाम में उपलब्ध है, वह उत्तरी दिनाजपुर में भी उपलब्ध होनी चाहिए, उत्तर बंगाल के पूरे हिस्से को उपलब्ध होनी चाहिए। इसलिए नार्थ बंगाल को भी हिमालयन या सब-हिमालयन टैरेन की तरह, रीजन की तरह उसमें काउंट किया जाए। उससे यह होगा कि औद्योगिक विकास वहां तक पहुंच सकता है।

दूसरी समस्या वहां यातायात की है। आज अगर आप हिमालय को देखें तो उसे देखकर हम गर्वित होते हैं, वह हमारा माथे का मुकुट है। लेकिन आप चाहे सिक्किम प्रांत में जाएं, चाहे अरुणाचल प्रांत में जाएं, चाहे उत्तराखंड में जाएं या जम्मू-कश्मीर में जाएं, यदि एक तरफ हम शेष भारत के हिस्से देखेंगे और दूसरी तरफ चीन और तिब्बत का हिस्सा देखेंगे तो हम देखेंगे कि विकास का अंतर कितना है। भारत और चीन की जब शुरुआत हुई थी, 1947 और 1939 में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बल्कि हम बहुत आगे बढ़े हुए थे। लेकिन आज विकास में चाइना के लेटेस्ट डैवलपमैन्ट को देखिये तो वह अपने हिंटरलैंड्स में डैवलपमैन्ट को धकेल रहे हैं। कोस्टल एरियाज से वह हिंटरलैंड्स में ज्यादा भेज रहे हैं और उससे उसके सड़क यातायात, रेल यातायात और वायुमार्ग के जो साधन हैं, वे बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। हम उनकी तरफ सिर्फ डिफैंस की नजर से नहीं देख रहे हैं, हमें उसकी जरूरत है ही, लेकिन उसके साथ-साथ अगर आप विकास की दृष्टि से देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश की तवांग वैली के उस पार यदि हम देखते हैं तो वहां सड़क पहुंच गई और हम आज की आधुनिक सड़क को वहां नहीं ले जा पाये तो वह हमारे ऊपर लानत है। अगर तिब्बत में रेल पहुंच सकती है और हम इस क्षेत्र के लोगों को अभी तक रेल के सफर के साथ नहीं जोड़ पाये हैं, जबिक विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई वाला स्टेशन घूम, दार्जिलिंग में था। हमारे पास वह तकनीक है, हम

मंगल ग्रह पर यान भेज सकते हैं, लेकिन हम हिमालय प्रांत के लोगों को यातायात के साधन नहीं दे सकते, यह नहीं हो सकता। इसलिए इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। इसके लिए मैंने खुद कहा कि एक अलग एक जिला, एक अलग प्रांत की वह मांग कर सकता है, लेकिन वह मांग पूरी नहीं हो सकती। अगर हम पूरे देश के पैमाने पर उसे नहीं देखते हैं, पूर्व से पश्चिम की तरफ नहीं देखते हैं।

तीसरी बात कृषि की है। कृषि की एक बहुत बड़ी उपज हमारे क्षेत्र से आती हैं, वह सबसे फर्टाइल लैंड है, चूंकि वहां पानी है, पूरे देश के लिए वहां पानी उपलब्ध है। मैं पर्यावरण की दृष्टि से उसे नजरअंदाज नहीं कर रहा हूं, चूंकि वह विस्तार से कहा गया है। लेकिन जिस तरह से ग्लेशियर्स खिसक रहे हैं, जिस तरह से हमारी निदयां पॉल्युटेड हो रही हैं, जिस तरह से हमने आधुनिक तौर-तरीके अपनाए हैं, लेकिन हम उन्हें सही ढंग पूरी तरह नहीं लेने के कारण जो हमारे जंगल हैं, जमीन हैं, जो हमारे जल संसाधन हैं, उन्हें हम नष्ट कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमें उनकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। कृषि में हमारा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है, ऐसे हजारों, सैंकड़ों बीज हैं, जो खत्म हो रहे हैं, उन्हें प्रिजर्व करने की जरूरत है। जो वहां की भौगोलिक स्थिति के अनुसार हमें धरोहर के रूप में मिले, हम पूरे विश्व को वे दे सकते हैं।

इसी तरह से जो हमारी वनों की उपज है, उसे हम एक्सट्रैक्ट करे, उसका दोहन करें। लेकिन उससे वनांचल नष्ट नहीं होना चाहिए। आप देखिये कि अब हरियाली कम होती जा रही है। जब मैं शिमला जाता हूं, मैं साल में एक बार अपनी आक्सीजन और बैटरी को रीचार्ज करने के लिए शिमला जाने की जरूरत महसूस करता हूं। लेकिन देखते हैं कि क्या हम उसे भी दिल्ली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हम उसे पुरानी दिल्ली का सीलमपुर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स बनते जा रहे हैं। केवल शिमला, हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रांत नहीं है, दार्जिलिंग में भी यहीं देखने को मिलता है, जम्मू-कश्मीर में भी यहीं सब देखने को मिलता है। माडर्नाइजेशन का मतलब यह नहीं है कि हमें कंक्रीट लानी पड़ेगी, हमें सीमेंट लाना पड़ेगा, हमें आरसीसी स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेगे, लेकिन मैं समझता हूं कि वह सब गलत है। हमें वहां के पर्यावरण, वहां की भौगोलिक परिस्थिति और इकोलोजिकल बैलेंस को ध्यान में रखते हए विकास करना पड़ेगा।

हमने पूरे विश्व को जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन से सिखाया है कि किस तरह से नेचर के साथ, पशु-पक्षी के साथ ईक्वलिब्रियम हमें मेंटेन करना चाहिए। हम उस नाते को तोड़ नहीं सकते हैं लेकिन वह नाता टूट रहा है। मैं समझता हूँ कि जब अलग से यह काउंसिल बनेगी, तब उसके बारे में ध्यान दिया जाएगा। पूरे विश्व में लोग घूम रहे हैं, आधुनिक होने के बाद, अत्याधुनिक होने के बाद वे कुदरत की गोद में जाना चाहते हैं। मैं समझ्या हूँ कि उसके लिए हिमालयन रीजन एक बहुत बड़ी जगह है, जो वे पेश कर सकते हैं। पूरे विश्व की सबसे अच्छी चाय हिमालय की गोद में है, दार्जिलिंग में है, जलपाईगुड़ी में है। आज

वहां चाय बागान के मज़दूर खुदखुशी करने पर मज़बूर हो रहे हैं, राज्य सरकार उस तरफ देख नहीं रही है। में जानता हूँ पिछले सत्र में भी सवाल के जवाब में कहा गया था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को मिल कर करना चाहिए। चाय बगीचा का दोहन हुआ है। हम विदेशी मुद्रा कमाएं, लेकिन वे वहां पर प्लॉबैक नहीं कर पाए। हम दार्जिलिंग टी दूसरी किसी जगह पर बना नहीं पाएंगे। अगर हम आसाम में देखें तो दार्जिलिंग छोड़ दीजिए, जो सीटीसी चाय है, रूपये किलो चाय की जो ग्रीन पत्ती है, जो छोटे-छोटे किसान हैं, जो बागवानी करते हैं, वे आज बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं, उनको बड़ी परेशानी हो रही है। जब कि यह कोशिश होनी चाहिए थी कि उत्तरखण्ड तक किस तरह से चाय बागान को विकसित किया जाए। कुछ एक्सपैरिमेट हुए भी, लेकिन वे ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए, लेकिन अभी कुछ हो रहे हैं। किस तरह से हम लोगों को रोज़गार के साधन जुटाने के लिए क्रॉप डायवर्सिफाइ कर सकें। वहां के जो मौसम है, उसके हिसाब से यह करें। उसके लिए इन्होंने बहुत अच्छे से जड़ी-बूटी की बात कही। जो हर्ब्स की बात कही, जो मैडिसिनल प्लांट्स की बात कही, तो यह जैसे लोगों के रहन-सहन के बारे में हो रहा है, लाइफस्टाइल बदल रहे हैं, उस तरह से बीमारियां भी बदल रही हैं। उससे हमें फिर से हमारे जो मैडिसिनल प्लांटस हैं, हमारे जो हब्स हैं, हमारी जो जड़ी-बृटियां हैं, उसको किस तरह से वहां पर हम और ज्यादा आज की साइंटिफिक स्टैण्डर्डाइज़ेशन के तहत मॉडर्नाइज़ेशन भी करें ओर उसे एक्सट्रैक्ट कर सकें, मैडिसिनल प्लांट्स के साथ-साथ किस तरह हम वहां पर फार्मासूटिकल्स कंपनीज़ बनाएं। अभी-भी ज्यादातर मैडिसिंस हम जो लेते हैं, वे कृत्रिम स्त्रोत से लेते हैं, कैमिकल्स से ले रहे हैं। उसे हम किस तरह से नैचुरल रिसोर्सेज़ से ले सकें और उसके लिए हिमालय बहुत बड़ा फील्ड है, खेत है, जिससे हम उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि मैं इस विधेयक का समर्थन कर रहा हूँ। बोलने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन ज्यादातर बात रमेश जी बोल चुके हैं, मैं उसका पूरा समर्थन करता हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि इसे सैंट्रल हिमालयन तक सीमित न रख कर के आप पूरे हिमालय को गोद में लें और पश्चिम से ले कर पूर्वोत्तर तक, ईस्टर्न हिमालय से लेकर वैस्टर्न तक, शिवालिक से ले कर आराकांट तक आप इसको शामिल कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा और मैं समझता हूँ कि मांग भी बहुत ज्यादा मज़बूत हो जाएगी और सरकार भी यह कार्य करने के लिए बाध्य होगी।

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा): सभापित जी, उत्तराखण्ड के पूर्व मुख्य मंत्री ने जो बहुत ही गंभीर और संवेदनशील, मानवीय जीवन से जुड़ा जो इन मुद्दों को इनके द्वारा लाया गया है, उनके समर्थन में खड़ा हूँ। लेकिन मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा, शायद उस वक्त उत्तराखण्ड में इन्हीं की सरकार थी, जब भूख हड़ताल से एक बाबा की मौत हो गई थी। ...(व्यवधान)

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): किसकी मौत हुई थी। ...(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन: एक बाबा की मौत हुई थी, ..* एक ऐसे बाबा की मौत हुई थी, जो माफिया के खिलाफ प्रकृति को नष्ट करने वाले माफिया ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : राजेश जी, वह नाम आपको नहीं लेना चाहिए।

यह नाम रिकार्ड से निकाल दिया जाए।

राजीव प्रताप रूडी: सर, इस नाम को रिकार्ड से बाहर कर दिया जाए।

माननीय सभापति : रूडी जी, नाम रिकार्ड से बाहर निकालने के लिए आदेश दे दिया गया है।

श्री राजीव प्रताप रूडी : मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाहर कहीं गलत रूप से मिसइन्टर्प्रिएट न हो जाये।

श्री राजेश रंजन : अच्छी बात है।

माननीय सभापति : उसे कार्यवाही से बाहर कर दिया गया है।

श्री राजीव प्रताप रूडी: गलत रूप से अगर मिसइन्टर्प्रिएट हो गया तो वह ठीक नहीं है।

श्री राजेश रंजन: आपकी प्रतिबद्धता जायज है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कहना यह की आपने जो बातें कही हैं, यह देश या एक सौ बीस करोड़ लोग इससे अलग नहीं हैं। प्रकृति और परमात्मा, गॉड गाइड बाई नेचर ऑर नेचर गाइड बाई गॉड, प्रकृति और परमात्मा दोनों एक दूसरे के प्रदत्त हैं। जो हमारी शिक्त और जीवन पद्धित है, कंप्लीट साध्य और साधना, जो हमारी जीवन पद्धित है, वह हिमालय, पहाड़ों और प्रकृति से जुड़ी हुई है। सवाल उठता है कि हिमालय में रहने वाले अधिकतर मुख्यमंत्री भाजपा के रहे हैं। उत्तराखंड में आप भी मुख्यमंत्री रहे हैं, खंडूरी साहब मुख्यमंत्री रहे हैं, हमारे मित्र चले गए, उनके वालिद साहब मुख्यमंत्री रहे। आज राजनीति की बहस नहीं है, लेकिन सवाल उठता है कि इस नियम को आप कैसे बनाना चाहते हैं? एक व्यक्ति एक महीने से अधिक समय तक भूख-हड़ताल पर रहकर पहाड़ों के संरक्षण के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए अपने जीवन को समाप्त कर लेता है। वहाँ से ठीक पांच किलोमीटर की दूरी पर एक और व्यक्ति के द्वारा भूख हड़ताल होती है, उनके लिए पूरा देश और पूरी सरकार लग जाती है।

^{*} Not recorded as ordered by the Chair.

पहाड़ों की सुरक्षा और संरचना पर जब एक व्यक्ति अपने जीवन की लीला को समाप्त करता है तो उसके लिए किसी को इस देश में चिन्ता नहीं होती है। मैं गंभीरता के साथ प्रश्न कर रहा हूँ कि इस गंभीर विषय पर आप कितने गंभीर है और सदन कितना गंभीर है, यह बड़ा अहम सवाल है। इसीलिए मैंने इन बातों को आपने सामने रखा है।

सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो सभ्यता है। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : अभी वे खड़े हैं, जब वे बैठ जाएंगे तब आप बोल लीजिएगा।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : मैं नियम का पालन करता हूँ।

श्री राजेश रंजन : आप बाद में बता दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया सब जानती है कि सदाशिव जो हमारे सबसे पहले आराध्य गुरू हैं, तब से लेकर आज तक, उनसे पहले भी ऋषि मुनि के काल से लेकर, आदम काल से लेकर, आदि काल से लेकर आज तक महापुरूषों और ऋषि मुनियों के बारे में और जीवन पद्धति के बारे में बात कही जाती है। आपने आयुर्वेद की बात कही है। आपने अध्यात्म और संस्कृति की बात कही है, आपने तहजीब की बात की है, आपने जीवन, जल, जंगल और जमीन की बात कही है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। नरेन्द्र मोदी जी ने जिस वक्त पहाड़ों में जो शब्द कहे हैं, उनको मैं उद्भृत नहीं करना चाहता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में कई देशों से हमारी विदेश नीति के साथ व्यापार को लेकर जो समझौता हुआ है, उसमें भी ये सारी बातें हैं कि कैसे व्यापार को बढाया जाये? प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करके, प्रकृति और जीवन को नष्ट करके किसी भी उपभोक्तावादी संस्कृति को जन्म देना और संपूर्ण पाश्चात्य सभ्यता को सिर्फ अर्थ के लिए, धन के लिए सम्पूर्ण मानवीय जीवन की संवेदना को समाप्त करते हुए सारे पूँजीपतियों का आगमन और हमारी नीति ही पूँजीपतियों के भौतिक सुख के लिए बनती है। हम जानना चाहते हैं कि आज तक, चाहे उत्तराखंड का सवाल हो या हमारे यहाँ सबसे बड़ा इस देश में जो भूकम्प आया। जो इस देश में दो त्रासदियाँ हुईं, एक सिक्किम की त्रासदी और दूसरी उत्तराखंड की त्रासदी, ये दोनों त्रासदियाँ क्या मानव निर्मित हैं या वे प्रकृति निर्मित हैं। मानव निर्मित त्रासदी के कारण ही ये दो बड़ी घटनाएं घटी हैं। इसके कारण भारत सरकार की नीति है, भारत सरकार की नीति ने कभी भी हिमालय और पहाड़ों में रहने वाले मानवीय जीवन की संवेदना को महसूस नहीं किया, जिसके कारण इस तरह की त्रासदी उत्पन्न होती है। हम जानना चाहते हैं, मंत्री महोदय यहाँ बैठे हैं।



श्री राजीव प्रताप रूडी: सभापित जी, सदन में राजेश रंजन जी बोल रहे हैं। हमारा कहना है कि ये इतना अच्छा बोल रहे हैं और पूरा देश इनकी बात को सुन रहा है। ऐसा ही अच्छा ये हमेशा बोलते रहें, हमारा इनसे यही आग्रह रहेगा।

श्री राजेश रंजन: कहाँ से कहाँ बात को ले गए! राजीव जी हमारे भाई हैं। बहुत भाई उधर बैठे हैं और बहुत सम्मान करते हैं, सब मेरे मित्र हैं। बचपन से हम, राजीव जी, राम कृपाल बाबू एक साथ एम.एल.ए. रहे, एम.एल.सी. रहे, एम.पी. रहे। हम लोग साथ हैं और हममें बहुत प्यार है, इसमें कहीं दो मत नहीं हैं। भारतीय लोकतंत्र और संस्कृति के मुद्दे पर हम एक साथ हैं, चिन्ता नहीं करिए, हम उस पर अलग नहीं हैं। मानवीय सभ्यता पर हम एक साथ हैं।

हम सिर्फ दो तीन बातें कहना चाहेंगे। गंगा से पहले हिमालय की सुरक्षा के सवाल को लेकर मंत्रालय की परिकल्पना क्यों नहीं की गई जब गंगा हिमालय की गोद से ही निकलती है? क्या कभी ऋषिकेष में पूर्व मुख्य मंत्री जी ने स्नान किया है? वहाँ का पानी कितना सड़ चुका है और सड़े हुए पानी में पूरे भारत के लोग जाकर डुबकी लगाते हैं। मैं कहना चाहूँगा यहाँ बैठे मंत्री महोदय से कि अविलंब एक मंत्रालय की खोज हो और मंत्रालय बनाया जाए। हिमाचल के एक राजा के पुत्र भी यहाँ बैठे हैं और एक राजा जो पूर्व मुख्य मंत्री थे, वे भी यहाँ बैठे हैं। इन दोनों में से किसी व्यक्ति को उस मंत्रालय का ज़िम्मा दिया जाए ताकि हिमालय की सुरक्षा पूर्ण और मज़बूत रूप से हो। हम चाहेंगे कि सरकार यदि यह करे और आपको लाए तो बहुत बड़ी बात होगी।

महोदय, मैं एक छोटी सी घटना उद्धृत करना चाहता हूँ। इसमें लिखा है कि अंग्रेज़ी राज के दौरान प्रॉबलम थी। इन समस्याओं का समाधान तब तक नहीं हो सकता जब तक केन्द्र कोई समुचित नीतिगत पहल नहीं करता। पहाड़ों पर सड़क बनाने के लिए आधुनिक तकनीक अमल नहीं हो पाती, पर्वतीय क्षेत्र में न तो रेल, न वायु, न सड़क - आज़ादी के 67 साल बाद भी दो-तीन रेलवे यदि हम दार्जिलिंग और कुछ बातों का ज़िक्र नहीं करें, हालांकि सभी बातों का आपने ज़िक्र किया है, तो मैं निशंक जी से जानना चाहूँगा कि पहाड़ों में सौ साल, दो सौ सालों के पौधे लगाए जाते हैं जिनकी आयु 100 साल, 150 साल और 200 साल की होती है। जो चीड़ या देवदार जैसे पेड़ होते हैं, जो अपनी जड़ों से पहाड़ों को पकड़ते हैं जो हिमालय की मज़बूती है, जो हिमालय को ताकत देता है, ऐसे पेड़ों को आप पूँजीपतियों, कॉर्पोरेट घरानों और माफियाओं तथा दलालों के हाथ में गिरवी रखकर, बेचकर, नए 10-20 साल के पौधे लगाने का काम करते हैं। ...(व्यवधान)

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक: सभापति जी, मुझे इस बात पर घोर आपत्ति है।

श्री राजेश रंजन : मैंने आपका नाम नहीं लिया है।

डॉ. रमेश पोखिरयाल निशंक : मुझे लगता है कि माननीय राजेश रंजन जी मेरे प्रस्ताव को पढ़ते तो उसमें है कि हिमालयी राज्यों के जन, जंगल, ज़मीन और जल, इन चारों के संरक्षण और संवर्द्धन के लिए यह बिल है। उसके संरक्षण के लिए जो नीति बने, उसके लिए यह बिल है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि दो-तीन चीज़ें जो आपने आपत्तिजनक कही हैं, आप बार-बार कह रहे हैं कि बाहर के लोगों को लेकर हम उधर करने वाले हैं..।

श्री राजेश रंजन: नहीं नहीं, आप नहीं।

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक: फिर आप इस बिल पर बोलिये। यह बिल सिर्फ हिमालयी क्षेत्र के जन, जंगल, ज़मीन और जो सारा क्षेत्र है, उसके संरक्षण और संवर्द्धन के लिए, पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। वह चाहे वहाँ का आयुर्वेद है, चाहे वहाँ के जंगल हैं, सब चीज़ें, सब संपत्ति पूरे देश के लिए है, पूरे विश्व के लिए है। इसलिए हम इस बिल को लाए कि इस पर एक नीति बने और नीति बनकर यह व्यवस्थित हो।

श्री राजेश रंजन: मान्यवर, मैं आपके ही मुद्दों पर आ रहा हूँ।

माननीय सभापति : निशंक जी आपकी भावनाओं को विस्तार से बता रहे हैं, आपकी भावनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं।

श्री राजेश रंजन: पाकिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार, बंग्लादेश...।...(व्यवधान) मैं आप ही के मुद्दे पर आ रहा हूँ। मैंने माननीय सदस्य के बारे में नहीं कहा ह। जिस तरीके की नीति है और आज तक जो घटनाएं घटीं हैं, मैं उसका जिक्र कर रहा था। चूंकि आपने इस महत्वपूर्ण विषय को सदन में लाया है, इसिलए मैंने इस ओर आपका ध्यान दिलाया कि आप इस बात को जानते हैं कि किस तरह दलाल वहां पर बिचौलिए और माफिया काम कर रहे हैं। आप वहां पर बिजली परियोजनाओं को ला रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हम बड़े-बड़े विश्वविद्यालय, सिनेमा की चीज़ें चूंकि वह एक पर्यटन स्थल है, बड़े-बड़े अस्पताल, योग, साधना पद्धित इत्यादि को हिमालय में लाकर उसे विकसित नहीं कर सकते हैं? क्या सिर्फ़ बिजली को लाकर ही हम उस इलाके की आर्थिक समृद्धि को विकसित कर सकते हैं? जबिक आप जानते हैं कि यह किस तरह की घटना या दुर्घटना को जन्म देती है। इन बिजली परियोजनाओं को लेकर वहां किस तरीके की दुर्घटना होने वाली है, यह किसी से छिपी नहीं है। देश के जो बड़े-बड़े पूंजीपित है, जिनके बारे में यहां कहा जाता है कि उनका नाम नहीं लेना है, अगर उनका नाम ले लिया तो आपित होगी। उनके लिए देश और दुनिया में घूमा जा रहा है और ऐसे पूंजीपितियों को बढ़ाने के लिए ताकत दी जा रही है। ऐसे पूंजीपितियों को वहां लाया जा रहा है। आपने पहले भी ऐसे पूंजीपितियों को वहां लाकर पूरे के पूरे हिमालय

और पहाड़ों की संस्कृति और वहां की पूरी जीवन-पद्धित का नाश किया है। क्या सरकार इस मंत्रालय के माध्यम से कोई ऐसी नीति बनाएगी जिसके तहत वहां का जीवन बचे, वहां की प्रकृति नष्ट न हो, वहां का पर्यावरण दूषित न हो और वहां का आम जीवन इससे प्रभावित न हो? यह मेरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है।

दूसरी बात यह है कि बिहार का जो मेरा इलाका है, जैसे मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा और नेपाल से लगा हुआ कुछ पोर्शन है, वहां हर साल इस विश्व की सबसे बड़ी त्रासदी की नदी कोसी नदी की बाढ़ के कारण वहां का सम्पूर्ण जीवन नष्ट हो जाता है। मैं इसी संबंध में जानना चाहता हूं कि जब आप इसका कोई मंत्रालय बनाएंगे तो क्या आप उन क्षेत्रों को उसमें किसी काउंसिल में लेंगे? यदि आप हमारे उत्तर बिहार के किशनगंज, अरिया, मधेपुरा, सहरसा, किटहार, भागलपुर, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी आदि के इलाके को किसी काउंसिल के तहत लेंगे तो मैं समझता हूं कि उस इलाके का डेवलपमेंट होगा। उस इलाके में आज डेवलपमेंट की बहुत कमी है। यह सब जानते हैं। राम कृपाल जी यहां बैठे हैं और वे उस इलाके के डेवलपमेंट के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहे हैं। यदि आज हम उत्तर बिहार के उस क्षेत्र को बाढ़ से मुक्त कर देते हैं तो निश्चित रूप से उस इलाके के जो किसान हैं, नौजवान हैं, उनके लिए बहुत अच्छा होगा। उस इलाके को मछली, धान, पान, मकान - इन चार चीज़ों की वज़ह से जाना गया है। ये चार चीज़ उस इलाके के आम आदमी को समृद्ध करेगा और उसे ताकत देगा। क्या इस पर आपकी कोई योजना हैं?

माननीय सभापति : राजेश जी, अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री राजेश रंजन: महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा।...(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह टाकुर(हमीरपुर): इसमें हिमालय कहां है?

श्री राजेश रंजन : इसमें हिमालय है, तभी तो मैं कह रहा हूं। मित्र, आप हिमाचल, हिम का आंचल यानी देवभूमि के बाशिंदे हैं, मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहूंगा कि विश्व के इतिहास में हिमालय पहाड़ का सबसे बड़ा योगदान है। सेना से ज्यादा यदि पूरे भारतीय लोकतंत्र की परंपरा, संस्कृति आदि की सुरक्षा होती है, तो उसके लिए हिमालय हमारी सुरक्षा का सबसे मजबूत ताकत और स्तंभ है। हम हिमालय की प्रकृति को नष्ट न होने दें। हम हिमालय को किस तरह मजबूत करें और हिमालय के बीच में जो प्रदेश हैं, उसके इलाके में बंग्लादेश, हिमाचल या जितने भी प्रदेश हैं, उनको विकसित करने के लिए, उनके डेवेलपमेंट के लिए वर्तमान में जो चुनौती है और जो भूत एवं भविष्य की कल्पना है, भूत में जो हुआ, भविष्य में ऐसा न हो, इसके लिए सरकार एक ठोस मंत्रालय के साथ, हमारी संस्कृति, तहज़ीब, प्रकृति और परमात्मा की मिली



हुई जो ताकत है, वह नष्ट न हो।...(व्यवधान) इसके लिए सरकार कोई कदम उठाएगी या नहीं, यह मैं आपसे कहना चाहूंगा।

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक: मेरे मुख्य मंत्री रहते हुए उन्होंने जिस बात को कहा है,...(व्यवधान) मैं इसलिए इस बात को कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारी सरकार ने लघु जल विद्युत परियोजना की नीति बनाई। मैं आपको यह भी बता दूं कि वहां 18 से 20 विश्वविद्यालय हैं।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आपको बोलने का समय मिलेगा।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: राजेश जी, आप बैठ जाइए।

28.11.2014 178

श्री जगदम्बिका पाल (डुमिरियागंज): राजेश जी, आप वरिष्ठ सदस्य हैं। अगर वह भी बोल देंगे तो फिर बचा क्या है। अभी आप बहुत कुछ बोले हैं, इसके बाद वह भी आप कह देंगे तो मैं समझता हूं कि संसदीय कुछ परम्पराय है, हम लोग उसका उल्लेख नहीं करते, जिसका आपने उल्लेख किया है। ...(व्यवधान)

सभापित महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा उठाए गए एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का समय दिया। इन्होंने केवल उत्तराखंड की बात नहीं की है, केन्द्रीय हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पर्वतीय राज्यों के संतुलित एवं चहुंमुखी विकास हेतु विकास योजनाएं और स्कीमें तैयार करने तथा उनके कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए केन्द्रीय हिमालयी राज्य विकास परिषद् नामक एक परिषद् की स्थापना करने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। पिछले सत्र में भी आपने उस समय एक मंत्रालय की मांग की थी। उस समय भी आपने अवसर दिया था, उस डिबेट में निशंक जी, हम सब लोगों ने और आपने भी उसमें हिस्सा लिया था, क्योंकि वह एक महत्वपूर्ण विषय था। आज उनका तात्पर्य केवल यह है, में समझता हूं कि एक मंत्रालय के गठन में निश्चित तौर से बहुत सी चीजें होती हैं। उसमें समय लग सकता है, उसकी एक प्रक्रिया हो सकती है। निशंक जी ने विधेयक प्रस्तुत किया है, हम यह चाहते थे कि कम से कम तब तक हिमालय के लिए, सारे हिमालयी क्षेत्र के आने वाले उस इलाके के विकास के लिए, प्रबंधन के लिए, जिनके लिए माननीय सदस्यों ने चिन्ता की है कि कम से कम उस तरीके का एक हिल काउंसिल या विकास प्राधिकरण का गठन किया जाए।

यह केवल एक राज्य का सवाल नहीं है, आज इस हिमालयी क्षेत्र में जो राज्य आते हैं, इसमें 11 राज्य आते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल, असम, जम्मू-कश्मीर, मणिपुर, मिज़ोरम, अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा आते हैं। आज 11 राज्यों में जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मौसम में परिवर्तन हो रहा है। केदारनाथ की त्रासदी हुई, उस त्रासदी से न केवल हम मरमाहत हुए, न केवल देश के लोंग, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों ने यह देखा कि केदारनाथ में इसके कौन से कारण हैं। आज यह सवाल नहीं कि हम इस पर उन कारणों के संबंध में कोई आरोप-प्रत्यारोप या कोई राजनीतिक बात करें, लेकिन निश्चित तौर से वह एक ऐसी त्रासदी है, जिसकी टीस आज भी है। शायद आज भी जो दीवारों पर इबादत लिखी गई है, आज भी उस दर्द का मर्म नहीं जा रहा है। उस घटना को अभी हम भूल भी नहीं पाए थे। उस घटना के बाद जिस तरीके से उत्तराखंड के बाद जम्मू-कश्मीर की त्रासदी हुयी, वह शायद अकल्पनीय थी। श्रीनगर, जो जम्मू-कश्मीर की राजधानी है, उसमें लोग अचानक अपने घरों में कैद हो जाएंगे, सचिवालय बंद हो जाएगा, राज्य सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी। इसके लिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने एक इनीशिएटिव

लिया, नहीं तो ऐसा लगता था कि जम्मू-कश्मीर के साथ बाढ़ में जो त्रासदी हुयी और जिस तरीके से प्रकृति ने खिलवाड़ करना शुरू किया था, हजारों जन-धन की हानि हो जाएगी। वहां हमारी आर्मी के लोग गए। हमारे बहादुर सैनिक और जिस तरीके से केंद्र का प्रबंधन हुआ, अधिकारियों की एक डिजास्टर मैनेजमेंट टीम बैठायी गयी, मिनिस्टर भेजे गए, मैं समझता हूं कि निश्चित तौर से उस प्रबंधन की आज पूरे जम्मू-कश्मीर के लोग प्रशंसा कर रहे हैं, वहां की जनता प्रशंसा कर रही है। जिनके मन में यह धारणा पिछले वर्षों में थी कि जम्मू-कश्मीर के साथ एक अलग भेदभाव होता है, जिससे लोगों के मन में कहीं न कहीं एक अलगाववाद की भावना भी पैदा हो रही थी। इसमें कहीं न कहीं सीमा पार के लोग भी एक्सप्लॉयट करने में भी कामयाब हो रहे थे। मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि निश्चित तौर से श्रीनगर की, जम्मू-कश्मीर की बाढ़ की त्रासदी में केंद्र सरकार ने नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में काम किया है। आज इसका नतीजा है कि जम्मू-कश्मीर के लोगों के दिल में भारत के प्रति प्रेम है और उसका भारत के साथ एक अटूट रिश्ता जुड़ा है।

अगर हम इस विषय को देखें तो इसके सापेक्ष आप यह देखेंगे कि इसके पहले केदारनाथ की त्रासदी हुयी, फिर जम्मू-कश्मीर की त्रासदी हुयी। कल अगर इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति, मैंने जिन 11 राज्यों का उल्लेख किया, अगर उनमें से किसी में यह घटना फिर घटित होती है तो हम कब तक इस त्रासदी को देखते रहेंगे? यह कोई छोटा एरिया नहीं है। इन 11 राज्यों का क्षेत्रफल 5 लाख 93 हजार वर्ग किलोमीटर है। स्वाभाविक है कि इस देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा 5 लाख 93 हजार वर्ग किलोमीटर में रहता है, वहां कहीं घनघोर जंगल हैं, कहीं गगनचुंबी पहाड़ियां हैं, कहीं ताल हैं, कहीं नदियां हैं। इस तरीके से कितनी किन जिंदगी हिमालय में रहने वाले की है, आप सब इसे जानते हैं। हम सब लोगों को इसका मौका मिला है, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, मेघालय हो, मिजोरम हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, जम्मू-कश्मीर हो, उन सब इलाकों में हमने देखा है, ट्रैकिंग किया है। मैं खुद मनाली में एनसीसी के ट्रैकिंग कैंप में रहा हूं, उस ट्रैकिंग में मैंने माउंटेनिंग भी किया है। यहां से बैठकर हम उन क्षेत्रों की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हमारे अनुराग भाई उस राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन राज्यों की जनगणना वर्ष 2011 की जनगणना से देखें तो लगभग 7.5 करोड़ की आबादी है। 7.5 करोड़ की आबादी में आज तीन-चार चुनौतियाँ हमारे सामने आ रही हैं।

केवल भारत ही ग्लोबल वार्मिंग को लेकर चिन्तित नहीं है, पूरी दुनिया कहीं न कहीं ग्लोबल वार्मिंग को लेकर चिन्तित है। पूरी दुनिया में जिस तरह से इकोलॉजी में परिवर्तन हो रहा है, जलवायु मंडल में परिवर्तन हो रहा है, मौसम में परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन के परिणाम आप देख रहे हैं। आज वे परिणाम निश्चित ही कहीं न कहीं लोगों के मानव जीवन के लिए आत्मघाती हो रहे हैं। आज वहाँ इस

तरीके की स्थिति है। वहां ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वनों का अवैध कटान हो रहा है। इस बात की चिन्ता आप स्वयं बीसियों वर्ष तक विधान सभा में करते थे और हम भी करते थे। उन वनों के कटान से या जितना आच्छादित होना चाहिए, क्योंकि अगर 33 परसेंट भू-भाग पर वन होगा, तभी हम पर्यावरण का सन्तुलन बिटा पायेंगे। जब ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हुईं तो अब वक्त आ गया है कि हम आज वहाँ पर विकास का सवाल हो, जिस तरीके से वन अधिनियम 1980 आ गया है, उसके कारण वहाँ निर्माण कार्यों में बहुत कठिनाई आ रही है। सड़क हो, चाहे सूखी लकड़ियों की बात हो, वहाँ के लोग उन्हें नहीं उटा सकते हैं। आप देखते हैं कि जितने हमारे नेशनल फॉरेस्ट हैं, राजा जी पार्क हो, जो वहाँ पुराने लोग थे, थारू, बुक्सा या पहाड़ी जातियाँ, जनजातियाँ थीं, उनके जो अधिकार थे, आज वे अधिकार भी उनके पास नहीं रह गये हैं।

आज स्थिति यह है कि एक गाँव में अगर कोई छोटी सी पेयजल योजना बनानी हो, गाँव का रास्ता बनाना हो तो वह भी सवाल इसलिए कि जो हमारा वन अधिनियम, 1980 है, उसके कारण हम नहीं कर पा रहे हैं। आज वहां क्या स्थिति हो रही है, आज उन राज्यों में पलायन हो रहा है। उन राज्यों का नौजवान वहाँ से निकल रहा है। आप यकीन कर लीजिए कि चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, यहां तक कि चाहे नेपाल हो, आज सब मनीऑर्डर इकोनॉमी से चल रहे हैं।

माननीय सभापति : चूंकि दूसरा भी एक विषय आना है, आप भी इससे सहमत होंगे। दस मिनट का समय रखा था, वे पूरे होने वाले हैं। आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें।

17.00 hrs.

श्री जगदम्बिका पाल : मान्यवर, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। आज हिमालय के विकास की बात कही गई है, जिसकी पीड़ा माननीय निशंक जी ने व्यक्त की है, उसका हर तरह से महत्व है, उसका सामाजिक और सामरिक दृष्टि से महत्व है। आज चाइना का जिस तरीके से लगातार इनकर्शन हो रहा है, चाइना का 350 किलोमीटर एरिया केवल उत्तराखंड से मिलता है। अगर हम्मि पूरे बॉर्डर्स को देख लिया जाए तो ये म्यांमार, नेपाल और चाइना के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से मिलते हैं। एक तरफ, इन राज्यों के सिर्फ आंतरिक सुरक्षा का प्रश्न नहीं है, बल्कि देश के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जुड़ी हुई हैं, निश्चित तौर से सामरिक दृष्टिकोण से, हमारे लिए वे भी महत्वपूर्ण हैं। इन राज्यों में चारों धाम की यात्रा की जाती है। ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में केवल वहां के लोगों का जीवन महदूद है, वह पूरे देश के लोगों की आस्था और विश्वास का केन्द्र है।...(व्यवधान)

माननीय सभापति: अब आप कनक्लूड कर दें।

श्री जगदम्बिका पाल: मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर, वहां पर चारों धाम की यात्रा हो। जब हम पर्यटन की बात कह रहे हैं, पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी नेपाल गए थे और उन्होंने वहां की संविधान सभा में कहा है कि हम लोगों को साथ-साथ मिलकर बढ़ना है, सामंजस्य के साथ काम करना है। उन्होंने सबसे ज्यादा कनेक्टिविटी की बात की है, नेपाल के साथ भारत की आवागमन की बात की है। पर्यटन के क्षेत्र पर, मैं बहुत ज्यादा रौशनी नहीं डालने जा रहा हूं, लेकिन अब पर्यटन की ही संभावनाएं, इस देश की इकोनॉमी के लिए भी है, नेपाल के लिए भी है और यह पूरे हिमालय रेंज के लिए है। मैं समझता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय ले कर आए हैं। अगर इसके लिए आप हमें और समय देंगे तो हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। ...(व्यवधान) हमारी भावनाएं इससे जुड़ी हैं, इसे आप समझते हैं। वह देवभूमि है और स्वर्ग के समान है। आज प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो निश्चित तौर पर सरकार इस पर विचार करे।

श्री रामस्वरूप शर्मा (मंडी) : सभापति महोदय, डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक जी ने इस सदन में केन्द्रीय हिमालयी राज्य विकास परिषद विधेयक - 2014 प्रस्तुत किया है, मैं इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूं। मैं भारत के प्रधानमंत्री जी का आभारी हूं जिन्होंने गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए मंत्रालय की स्थापना की है और गंगा मां को स्वच्छ बनाने के लिए यह कदम उठाया है, जिससे पूरा राष्ट्र प्रसन्न हुआ है। जिस गंगा मझ्या की प्रेरणा ले कर, जिसका आर्शिवाद ले कर, हम सब कहीं जाया करते थे, आज इसके लिए मंत्रालय की स्थापना हुई है। डा. पोखरियाल जी ने इसीतरह हिमालयी क्षेत्रों की विकास के लिए अलग मत्रायल या केन्द्रीय हिमालयी राज्य परिषद की स्थापना के महत्व को आज सदन में रखा है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। 'मंडी' संसदीय क्षेत्र देश का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय क्षेत्र है, तीन जनजातीय क्षेत्र आते हैं। इन पहाड़ी राज्यों में, हिमाचल प्रदेश राज्य की जो स्थिति है, जिन कठिनाइयों का सामन हिमाचल प्रदेश करता है, हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय क्षेत्र में जनजाति समुदाय के लोग रहते हैं। हम विकास की दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए हैं। आज हम उन क्षेत्रों पर ध्यान दें तो वहां बहुत-से पर्यटन स्थल विकसित हो सकते हैं। हम 'काजा' जांए तो ऐसा महसूस होता है कि हम चंद्रमा पर आ गए हैं। वहां की झीलें, झरनें और सौंदर्य प्रेरणा स्त्रोत हैं। प्रलय के बाद मनु की नाव मनाली जाकर रुकी थी। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो घटोत्कच ने युद्ध का नक्शा बदल दिया था, उनके हिडिंबा माता का मंदिर इस हिमाचल की भूमि में विकसित हुई है। मैं चाहूंगा कि जिस तरह से डाक्टर साहब ने इस प्रस्ताव को रखा है, इसको पारित करने में सबका सहयोग मिले। जब हिमालय, गंगा, राम, कृष्ण, हिंदी और हिन्दुस्तान की बात आती है तो सब नजरें बचाने लगते हैं। अगर आज हम वियतनाम की बात करें तो यह अमरीका से 17-18 साल युद्ध लड़ता रहा। जब उससे पूछा गया कि आप कैसे युद्ध लड़ते रहे तो उसने कहा कि मैं महाराणा प्रताप की युद्ध नीति को पढ़कर, 17 वर्षों तक लड़ता रहा। हमारी संस्कृति बहुत श्रेष्ठ है। इसलिए हम चाहेंगे कि गंगा, हिमालय की रक्षा होनी चाहिए और उसके लिए कदम उठाने चाहिए। मैं चाहूंगा कि जो प्रस्ताव आदरणीय डाक्टर साहब ने रखा है, उसे पारित करने की कृपा करें।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): सभापति महोदय, केन्द्रीय हिमालय राज्य विकास परिषद विधेयक, 2014 हमारे सहयोगी और पूर्व में उत्तराखंड के मुख्य मंत्री रहे डा. रमेश पोखरियाल जी द्वारा इस सदन में लाया गया है। मैं उसका समर्थन करने के लिए आप सबके सामने यहां खड़ा हूं। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों के ध्यान में लाना चाहता हूं कि जब हिमालय की बात आती है तब मुझे लगता है कि सदन का हर व्यक्ति इस विषय के साथ हमारे साथ खड़ा होता है। चाहे बिहार का हो, उत्तर प्रदेश का हो, पश्चिम बंगाल का हो, हर किसी के मन में हिमालय राज्यों के प्रति कहीं न कहीं एक सॉफ्ट कार्नर रहता है। पिछले सत्र में भी जब इसी से मिलते-जुलते विषय पर चर्चा हुई तब भी बड़ी तादाद में यहां के सदस्यों ने अपना समर्थन उस बिल को दिया। आखिरकार ऐसा क्या है कि जो सबको देव भूमि के साथ, हिमालय राज्यों के साथ लाकर खड़ा करता है। अगर आप दिल्ली में रहें, हरियाणा में रहें, पंजाब में रहें या हिन्दुस्तान के किसी बड़े क्षेत्र में आपका रहना हो, जब भी आपको लगता है कि आपके शरीर को, मन को स्वास्थ्य की दृष्टि से, दिल की दृष्टि से आराम चाहिए, मुझे लगता है कि अगर आपने वापिस आकर पूरी ताकत के साथ काम करना है, अगर आपने ब्रेक भी लेनी होती है तो छुटि्टयां बिताने के लिए आप हिमालय की ओर देखते हैं। लेकिन जब हिमालय राज्यों की ओर जाते हैं तो सबसे बड़ी चिन्ता का विषय क्या है। वहां का आधारभूत ढांचा चरमरा रहा है। वहां एक छोटी सी सड़क भी बननी हो तो फॉरेस्ट क्लीयरेंस लेने में दिक्कतें आती हैं। जिस जमीन पर एक पौधा तक नहीं, वह लैंड भी फॉरेस्ट के अंतर्गत आती है और उसके केस की क्लीयरैंस के लिए भी केन्द्र सरकार तक आना पड़ता है। वहां के नौजवान गरीब घरों में पैदा होने के बावजूद अच्छी शिक्षा लेने के लिए तड़पते हैं। वे 15-15 किलोमीटर तक पैदल चलकर जाते हैं। पांच साल, दस साल का बच्चा इस उम्मीद के साथ पढ़ता है कि कभी न कभी वह जिंदगी में अच्छा करेगा और भारत के निर्माण में अपना योगदान देगा। लेकिन जब रोजगार लेने की बारी आती है तो उसे दिल्ली और बड़े-बड़े राज्यों की ओर देखना पड़ता है। न आधारभूत ढांचा है, न अच्छी शिक्षा की सुविधाएं हैं, न रोजगार है। आखिरकार वहां राज्यों में है क्या? वहां के लोग अपना जीवन किन परिस्थितियों में जीते हैं, यह शायद मेरे, निशंक जी और रामस्वरूप जी जैसे बाकी लोग जानते होंगे। पर्यटक के तौर पर चंद महीनों में आकर चले जाना, चंद दिन बिताने से आपको शायद निचले स्तर की समस्याओं का पता नहीं चल पाएगा। हां, यह जरूर है कि जब कहीं पर प्राकृतिक आपदा आती है तो हर टीवी चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज, हर समाचार पत्र के पहले पन्ने पर वह खबर छपती है।



जब पार्लियामैंट के सदन के अंदर हिमालय राज्यों को आगे बढ़ाने के लिए उनका मंत्रालय बनाने की बात होती है, उनको सुविधाएं देने की बात होती है तो किसी समाचार-पत्र में दो लाइनें तक देखने को नहीं मिलतीं। आपदा के बाद तो देश खड़ा होता है, लेकिन आपदा आने से पहले कोई चिंता और चर्चा करने के लिए तैयार नहीं होता। क्या हम हर बार चर्चा करके यहीं पर छोड़ देंगे? क्या प्राइवेट मैम्बर बिल का मतलब है कि यहां पर आइये, चर्चा कीजिए और अंत में आकर मैम्बर उसे विदड़ा कर लेगा? आखिरकार उस बिल में कोई तथ्य है, ताकत है तो मुझे लगता है कि सदन को उसे स्वीकार करना चाहिए और सरकार को इस दिशा में कोई न कोई कदम उठाना चाहिए।

सभापति महोदय, उत्तराखंड में दो वर्ष पहले प्राकृतिक आपदा आयी या इस वर्ष कश्मीर में आयी, वे दोनों बहुत दुखद घटनाएं थीं। उसमें सैंकड़ों लोगों ने अपनी जानें गंवायी हैं। हिन्दुस्तान के कोने-कोने से लोगों ने पैसा दिया है, लेकिन जब परिवार ही नहीं रहे तब उस पैसे का क्या करना? जब घर नहीं रहे, सड़कें नहीं रहीं और वहां जाने की ताकत नहीं रही तो उन सड़कों को बनाकर क्या करना? आखिरकार जब हम सस्टैनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो समाज के सभी व्यक्तियों को उसके साथ जुड़ना होगा और समय से पहले उस पर विचार करना होगा। आखिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कश्मीर के पास किस बात की कमी है? हम चाहें तो अपने बलबूते पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और नार्थ ईस्ट के हर व्यक्ति को केवल टूरिज्म के माध्यम से रोजगार दे सकते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल, गुजरात और चेन्नई से किसी को हिमाचल प्रदेश होना हो, तो उसके लिए दिल्ली की फ्लाइट तो है, लेकिन धर्मशाला की फ्लाइट लेने के लिए 18 हजार रुपये खर्च करने पड़ते हैं। कुल्लू की हफ्ते में दो दिन की फ्लाइट है। शिमला के लिए फ्लाइट ही नहीं है। आप वहां कैसे जायेंगे और कहां से देखेंगे? जब जाना हो तो 12 घंटे तक अपनी पीठ तुड़वा कर आप किसी कोने तक पहुंचते हैं। जो व्यक्ति आराम करने जाता है, वह उलटा और थकावट महसूस करके आता है। वहां उद्योग लग सकते हैं। वाजपेयी जी की कृपा दृष्टि रही तो उन्होंने यह नहीं देखा कि जम्मू-कश्मीर में नैशनल कांफ्रेस की सरकार है, उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार है और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन प्रेम कुमार धूमल जी के कहने पर वर्ष 2002 में तीनों राज्यों को अगर इंडस्ट्रियल पैकेज किसी ने दिया तो वह अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने दिया। लाखों उद्योग लगे, लाखों लोगों को रोजगार मिला। कहीं न कहीं उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में इंडस्ट्री लगने से वहां पर उद्योग लग पाये। लेकिन आज भी वहां पर लाखों लोग बेरोजगार हैं। जब लोग वहां पर बेरोजगार होंगे तो माइग्रेशन की प्रॉब्लम होगी। पहाड़ों से लोग चलकर यहां पर आयेंगे और अपने घर-परिवार पीछे छोड़ेंगे। आखिर ग्रोथ सैंट्रलाइज क्यों है? आकर्षण का केन्द्र बड़े शहरों की ओर है,

क्योंकि यहां पर आधारभूत ढांचा है। पढ़े-लिखे लोगों की कमी वहां पर भी नहीं है। जमीन की कमी वहां पर भी नहीं है, लेकिन फिजिबिलिटी की बात आती है तो किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को लगता है कि ऐसी जगह पर लगाओ, जहां पर मार्केट नजदीक हो। लेकिन ये समस्याएं सदा बनी रहेंगी। जब तक हम इनकी ओर नजर नहीं दौड़ायेंगे, हम पर्वतीय राज्यों के साथ खड़े नहीं होंगे तब तक यह दिक्कत आती रहेगी।

मैं कहना चाहता हूं कि जब भी हिन्दुस्तान की रक्षा की बात आती है तो मेरे मित्र ने अभी कहा कि हिमालय बहुत बड़ी सुरक्षा देता है। हिमालय के साथ-साथ हिमालय के नौजवान भी हिन्दुस्तान की सुरक्षा में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। कोई महीना, कोई हफ्ता ऐसा नहीं जाता जब हिमालय राज्यों के विशेष तौर पर हिमाचल प्रदेश के नौजवान हिन्दुस्तान की रक्षा में अपनी जान नहीं गंवाते। हम देश की रक्षा-सुरक्षा में पीछे नहीं हटते, लेकिन वहां के बाकी नौजवानों के लिए रोजगार की बात आती है, तो पूरे देश की ओर देखना पड़ता है। शिक्षा की बात आती है तो बाकी देश की ओर देखना पड़ता है। उद्योग लगाने की बात आती है तो बाकी देश की ओर देखने रहेंगे? कब देश हिमालय की ओर देखेगा? आज हिमालय राज्यों की ओर देखने की आवश्यकता है तभी उनका विकास हो पायेगा। सस्टैनेबल ग्रोथ के लिए एक ऐसे डिपार्टमेंट की जरूरत है, जो निश्चित तौर पर उनकी समस्याओं को देख पाये। यहां पर हमारे समतल इलाकों के जो लोग हैं, वे यह नहीं समझ पाते कि वहां पर तीन गुना ज्यादा कीमत क्यों आती है? कई जगह सड़क नहीं है इसलिए खच्चरों पर सामान ढोकर ले जाना पड़ता, इससे ढुलाई का पैसा ज्यादा लगता है। काम करने वाले कम हैं। सारा रॉ मैटीरियल बाहर से आता है। समस्याएं अपने स्थान पर खड़ी हैं।

सरकार को टूरिज्म की तरफ ध्यान देना चाहिए। टूरिज्म को अगर हिमालय क्षेत्र में आगे बढ़ाना है तो इन क्षेत्रों पैकेज के लिए लाने चाहिए तािक यहां का आधारभूत ढांचा अच्छा हो। रूरल टूरिज्म को प्रमोशन देनी चाहिए तािक लोग गांव मिल सकें। मेडिसनल प्लांट बहुत बड़ी संपदा है, इसे और बढ़ावा देना चाहिए तािक लोग सहयोग करें और अच्छे दाम मिल सकें। मेडिसनल प्लांट बहुत बड़ी संपदा है, इसे और बढ़ावा देना चाहिए तािक अच्छी कीमत मिल सके। यहां वन संपदा बहुत है। दुनिया भर के देश अपने पेड़ों को काटते हैं, नई प्लांटेशन कई गुना ज्यादा करते हैं और उससे कमाते हैं। हमारे यहां पहाड़ी राज्यों में पेड़ काटने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। किसी के अपने घर में पेड़ है तो वह भी नहीं काट पाता है। किसी के घर में कोई मर जाता है तो वह अपने घर का पेड़ काटकर उसे जला नहीं सकता है। यहां इस तरह की समस्याएं बनी हुई हैं। अगर हम देश को कुछ देते हैं तो वह है साफ पानी, साफ जलवायु। मुझे लगता है कि वहां के लोग यह आपसे छीन लेंगे तो लोगों का दिल्ली जैसे राज्य में जीना मुश्किल हो जाएगा।

यहां का देश के राज्यों के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। नार्थ-ईस्ट के लिए अलग से मंत्रालय बना है। उनके लिए ऐसे बहुत प्रावधान है जिनसे उन्हें लाभ मिलता है। जम्मू-कश्मीर में फ्लाइट लेकर कोई जाना चाहे तो 4000 रुपए में जा सकता है। लेकिन उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में किसी ने जाना हो तो उसे 18000-20000 रुपए की टिकट लेनी पड़ती है। इसमें भी सरकार को सहयोग देना चाहिए। यहां कुछ मंत्री बैठे हैं, मेरा निवेदन है जब कभी कैबिनेट की मीटिंग हो हमारी भावनाओं को उन तक पहुंचाया जाए। आप सबने यहां मेरी बातें सुनीं, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं।

SHRI DUSHYANT SINGH (JHALAWAR-BARAN): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me the opportunity to speak on the Central Himalayan States Development Council Bill, 2014 which has been brought here by senior leader Dr. Ramesh Pokhriyal. Earlier, in the previous Session of Parliament, he had asked for a separate Ministry to be formed for the development of Himalayan States and now he urges the Government to create a Central Himalayan States Development Council, till a separate Ministry is formed, for the development of Himalayan States.

Sir, I come from Rajasthan. Water for my State comes from the hill State of Himachal Pradesh. So I look forward for the progress and prosperity of hill States. A large number of our people are very closely associated with the hill States. The purpose of this Bill is basically to uplift the States of Uttarakhand, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and other North Eastern States of our country.

There was a cloud burst in Uttarakhand area and before that there was an earthquake. There was a lot of destruction in the State of Uttarakhand. Due to the cloud burst in Uttarakhand, a lot of pilgrims going to Kedarnath had to face difficulties and many people were stranded in the hilly terrains. The infrastructure in the State was completely damaged. So, to improve infrastructure and other basic facilities of the State, Dr. Ramesh Pokhriyal has brought this Bill.

I would like to focus on a few important issues here. These hill States do provide our country with the Army and the para-military forces. They provide us an opportunity of tourism which has been mentioned by the previous speakers. The most important thing is the cultural tourism which people undertake especially in States like Uttarakhand and other hill States of Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh. We need to look into that. They are also located strategically vis-à-vis our neighbours. So need to have a special focus on that.



Education in this area has to be uplifted. We need to look at the future growth of this area which we are asking for through our GDP growth. We must uplift these areas with the new Skill Development Ministry which has been formed. We need to look at the industries which were helped by the then Prime Minister Shri Atal Behari Vajpayee *sahib* through a special package.

The State of Jammu and Kashmir has experienced flooding which has totally devastated the region. A special package to this region will certainly help us. Railways in these regions are dismal. I would just like to focus on Uttarakhand which has only 345 kilometres of railways and 90 per cent of the area is hilly. The same condition happens to be in Himachal and other parts of the region. There is shortage of medical facilities and staff. We need to look at improving the air connectivity to these regions. We can improve transportation vis-à-vis health, vis-à-vis tourism and help people to travel to different parts of the region. The basic function of this is to help industrial growth, to promote the remote areas by connecting them by roads and rails, to help telecommunication which is not there, to provide electricity, drinking water and housing which are not there, to provide health services, to provide educational facilities and employment and to lessen suffering of people coming in from the hill States to major towns so that they get employment there.

HON. CHAIRPERSON: Dushyant *ji*, please conclude now.

SHRI DUSHYANT SINGH: Sir, I am just concluding. The North East Council was set up in 1971 which consists of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland and Tripura. In 2002, Sikkim was added. They have a vision: the 2020 plan. The other States also want to be a

part of that vision. By this we can make India and the hill States more stronger. We also need to look at organic farming. My State, Rajasthan also has hilly areas of high repute like Abu and Aravallis. We need to focus on that. So I would urge the Ministry to give a special package to our region.

श्री भगवंत मान (संगरूर): सभापित महोदय, जिस राज्य से मैं चुनकर आया हूँ, उस पंजाब राज्य की सरहदें हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर से लगती हैं। पंजाब का पानी हिमाचल प्रदेश से आता है। पंजाब की निदयाँ सतलुज, व्यास सब हिमाचल प्रदेश से ही निकलती हैं, जैसा कि मेरे मित्र श्री अनुराग जी ने कहा। लेकिन जो दूरिज्म के प्रयास किया जाना चाहिए था, वह अब तक किसी भी सरकार ने नहीं किया है। लंदन में हर साल दो करोड़ दूरिस्ट जाते हैं। न्यूयार्क में हर साल 5 करोड़ दूरिस्ट और पूरे भारत में एक साल में सिर्फ 20 लाख दूरिस्ट आते हैं। मैं आपके माध्यम से यह बात सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि चाहे वह कल्चरल दूरिज्म हो, चाहे धार्मिक दूरिज्म हो, क्योंकि हिमालय के राज्यों में बहुत से ऐतिहासिक मंदिर और गुरुद्वारा साहब हैं, लाखों लोग वहाँ पर दर्शन करने जाते हैं। उनके लिए सड़कें और वहाँ पर रहने का अच्छा प्रबंध हो जाए तो इससे देश को बहुत बड़ा आर्थिक लाभ भी होगा। इस बात से मैं सहमत हूँ कि पहाड़ी युवकों में बहुत टैलेंट है, चाहे वे किसी भी फिल्ड में जाना चाहते हों, लेकिन उनको इधर-उधर माइग्रेट होना पड़ता है।

मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। चंडीगढ़ में पीजीआई हॉस्पिटल है, वहां चार राज्यों के मरीज आते हैं और डाक्टरों पर बहुत बोझ रहता है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू, हरियाणा और पंजाब के लोगों के लिए पीजीआई चंडीगढ़ है, इससे बहुत दिक्कतें आती हैं। इसलिए जम्मू-कश्मीर से लेकर अरूणाचल प्रदेश तक हिमालय का जो क्षेत्र है, उसमें हॉस्पिटल्स का प्रबंध होना चाहिए। स्पोर्ट्स में पहाड़ के युवक बड़ा योगदान दे सकते हैं, जैसे धर्मशाला में एक स्टेडियम बन गया और धर्मशाला पूरी दुनिया के नक्शे पर आ गयी। अब इसके लिए हमारे पास बहुत सुंदर सिटीज हैं। ऐसा प्रावधान किया जाए कि हॉकी, क्रिकेट, एथलेटिक्स और शूटिंग रेंज इत्यादि इंफ्रास्ट्रक्चर बने, तािक पहाड़ के युवक ओलम्पिक, एशियाड और नेशनल स्पोर्ट्स में अपना योगदान दे सकें। पिछले दिनों जम्मू-कश्मीर और केदारनाथ में जो प्राकृतिक आपदा आई, उसमें हमें अपनी मानवीय गलती माननी चाहिए। प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है, उसकी वजह से यह नुकसान हुआ है। पास्ट को भगवान भी नहीं बदल सकते, पास्ट को नहीं बदल सकते, लेकिन भविष्य में ऐसा न हो, इसके लिए मैं आग्रह करता हूं कि इन राज्यों को स्पेशल पैकेज दिए जाएं तािक इन राज्यों के लोग गर्व से कह सकें कि भारतीय हैं, जिससे देश की सुरक्षा में पहाड़ और पहाड़ के युवक जो योगदान दे रहे हैं, उनको अपने भारतीय होने पर गर्व महसूस हो।

योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह) : सभापित महोदय, आज पिछले डेढ़ घण्टे से श्री रमेश पोखिरयाल जी द्वारा लाए गए बिल पर चर्चा हो रही है। सेंट्रल हिमालयन स्टेट्स डेवलपमेंट काउंसिल बिल, 2014 पर चर्चा हो रही है। मैं पोखिरियाल साहब को मुबारकवाद देना चाहता हूं कि इस बिल को बनाने में इन्होंने जो मेहनत की है, वह साफ नजर आती है। उसके पश्चात् जिस तरह से इस बात की वकालत उन्होंने सदन में की है, वह भी काबिले-तारीफ है। वह अनुभवी हैं, सारी चीजें समझते हैं और सभी चीजों का निचोड़ इस बिल में रख दिया है। इस बिल को लाने के लिए इन्होंने जो प्रयास किया है, मैं उसकी तारीफ करता हूं। मैं इनके विचारों से सहमत हूं। इनके ही नहीं, अन्य जितने माननीय सदस्यों ने बोला है, अनेक दलों के सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, पहाड़ी क्षेत्रों के माननीय सदस्य ने बोला है, मैदानी इलाकों के सदस्यों ने बोला है और सभी ने तकरीबन सहमति जताई है कि हिमालयन रीजन, खासकर सेंट्रल हिमालयन रीजन की तरक्की हर सूरत में होनी चाहिए। मोहम्मद सलीम साहब ने असम और बंगाल हिल एरियाज की भी चर्चा की, लेकिन यह बिल केवल सेंट्रल हिमालयन स्टेट्स का है और एक मंत्रालय आलरेडी मौजूद है जो नॉर्थ-इस्टर्न स्टेट्स के बारे में वर्ष 1972 में काउंसिल बनाया गया था। शायद उनको इस बात का इल्म नहीं होगा। आज की चर्चा में तीन प्रांत हैं, वे उस खेवलपमेंट काउंसिल से वंचित हैं, मैं समझता हूं कि इसीलिए यह बिल लाया गया है। जिन सभी माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया है, सरकार उनके विचारों से सहमत है।

आज से ही नहीं पिछले कई दशकों से, चाहे कोई सरकार रही हो, उन्होंने यह महसूस किया है कि जब तक हिमालयन रीज़न को हम प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो न कभी पहले हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बन सकती थी और न कभी आगे भी बनने की सोच रख सकती है। चाहे वह सुरक्षा की दृष्टि से हो या मैडीसन की दृष्टि से हो, चाहे वहां के लोगों की वजह से हो, चाहे वहां की बायो-डायवर्सिटी की वजह से हो, तो ये सारी चीजें सरकार के विचाराधीन हैं। मैं माननीय निशंक जी को स्वाना चाहता हूं कि National Mission for Sustaining the Himalayan Ecosystem (NMSHE) ये पहले से ही सरकार की तरफ से प्रस्तावित है और लागू है और इसके अंदर 550 करोड़ रुपया 12वें प्लान के अंदर खर्च करना नियमित किया गया है। National Action Plan for Climate Change के अधीन इस योजना पर बड़े जोरों से सरकार उस पर लगी हुई है। इसके अंदर चाहे ग्लेशियर्स की चर्चा हुई हो, चाहे प्राकृतिक आपदा पर चर्चा हुई हो, या वहां की बायो-डायवर्सिटी हो, फोना-फ्लोरा हो, या वहां की वाइल्ड लाइफ हो, या वहां की हैं डिशनल नॉलिज सोसाइटीज हों और किस तरह से वे अपना जीवन-बसर करते हैं, इन चीजों के ऊपर इस नेशनल मिशन के माध्यम से न केवल प्रकाश डाला जाएगा, बल्कि इनसे कुछ सीखकर आगे

के लिए कार्यक्रम विकसित किए जाएंगे। माननीय पोखरियाल साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार इस चीज पर कार्यरत है।

जब हमारी सरकार आई तो हमारे माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी कटरा गये और वहां पर एक रेल गाड़ी को हरी झंडी देने के लिए जब वे पहुंचे थे तो उन्होंने अपने भाषण में यह कहा था कि,

"The Government will work on a model for the common development of the Himalayan ecosystem from Jammu and Kashmir up to North-East."

So, he is also aware कि हमारे को इस चीज पर कुछ न कुछ विचार करके दिखाना पड़ेगा। तीसरी बात मैं यह बताना चाहता हूं कि नेशनल डिवेलपमेंट कौंसिल है, जिसके अध्यक्ष माननीय प्रधान मंत्री जी हैं और सभी चीफ-मिनिस्टर्स इसके मैम्बर्स हैं। इस कौंसिल के माध्यम से ये तीन प्रांत पहले से ही स्पेशल कैटेगिरी स्टेट्स के अंतर्गत आते हैं। इनके अलावा 8 प्रांत और भी हैं जो स्पेशल कैटेगिरी स्टेट्स के अंदर आते हैं। जो नार्थ-ईस्ट के इंडिविजुअल स्टेट्स हैं जिनकी अलग-अलग वजह से स्पेशल कैटेगराइजेशन हो चुकी है। उसके अंदर वो प्रांत भी हैं जो शायद हिल्स स्टेटस के अलावा मैदानी क्षेत्र के भी एरिया रखते हैं। जिसके अंदर असम है। ये जो 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स माने जाते हैं, एनडीसी के माध्यम से इन्हें ये कैटेगराइजेशन मिली है और इन्हें भारत सरकार की तरफ से जो नार्मल सेंट्रल असिस्टेंस टू स्टेट्स होता है, तो पहले से ही इन 11 प्रांतों को 56 फीसदी नॉर्मल सेंट्रल असिस्टेंस का दिया जाता है। बाकी के 18 प्रांत जो हैं जिन्हें स्पेशल कैटेगराइजेशन नहीं मिला है, उन्हें नॉर्मल सेंट्रल असिस्टेंस से केवल 44 फीसदी असिस्टेंस भारत सरकार की तरफ से मिलता है। इसी तरह से भारत सरकार की तरफ से स्पेशल प्लान असिस्टेंस है जो प्रौजैक्ट्स के वास्ते दिया जाता है। उसके अंदर स्पेशल प्लान असिस्टेंस केन्द्र देता है, उसमें 90 परसेंट असिस्टेंस ग्रांट के रूप में दिया जाता है और केवल दस फीसदी लोन के रूप में दिया जाता है, जो इन प्रांतों को केन्द्र को वापिस देना होता है। अगर इसकी तुलना उन प्रांतों से करें जो स्पेशलाइज्ड कैटेगिरी में नहीं आते हैं तो उनको जितना भी असिस्टेंस दिया जाता है, वह बैक टू बैक लोन के तौर पर दिया जाता है, जो कि उन 18 प्रांतों को वापस केन्द्र सरकार को करना होता है। ब्लॉक ग्रांट्स जो कि केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को देती है। यह स्मिनिंग मिनिस्ट्री और वित्त मंत्रालय के माध्यम से दिया जाता है। ब्लॉक ग्रांट्स का सौ फीसदी इन्हीं क्षेत्रों को जाता है और यह पैसा वापस नहीं लिया जाता है।

इसी के साथ-साथ बॉर्डर एरियाज़ से लगने वाले प्रांत, जिनमें जम्मू-कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश इत्यादि तक के लिए बॉर्डर एरियाज़ डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जाता है। जिन तीन प्रांतों का आज जिक्र किया गया है, उन तक ही अपने आपको सीमित रखते हुए मैं कहना चाहूंगा कि यह प्रोग्राम होम

मिनिस्ट्री से मॉनीटर होता है। वर्ष 2014 में इस प्रोग्राम के तहत जम्मू-कश्मीर को 9111 लाख रुपये इस साल में रिलीज़ किया गया है और इन्हें 12 हजार 800 करोड़ रुपये एलोकेट किए गए हैं। उत्तराखंड के लिए 3565 लाख रुपये एलोकेट किए गए हैं और 2821.84 लाख रुपये रिलीज़ किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के लिए 21 सो करोड़ रुपये एलोकेट किए गए हैं और अभी तक 782 लाख रुपये रिलीज़ किए गए हैं। केन्द्र सरकार इस बात से सहमत है और इस बात के प्रयास कर रही है, साथ ही साथ मेरे साथीजन यहां जो चर्चा कर रहे हैं, इससे में समझता हूं कि सरकार पर दबाव पड़ता है कि एक स्पेशल पैकेज या मिनिस्ट्री के बारे में सरकार को सोचने को मजबूर होना पड़ रहा है। जब तक यह नहीं होता है, तब तक जितना भी हमारी सरकार की तरफ से प्रयास हो सकता है, वह करने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री, हमारी पार्टी और भारत का हर नागरिक यह कभी नहीं चाहेगा कि हमारी बरिखलाफ मुल्कों के बीच यह जो नैचुरल वॉल है, उसमें जो भी बाशिंदा या जीव-जन्तु या पेड़-पौधे हैं, वे सभी आज के बाद से नष्ट नहीं होने चाहिए, इस तरह का प्रयास हमारी सरकार की तरफ से चल रहा है और इस पर सिक्रय चर्चा हो रही है। हमारे ठाकुर साहब ने कहा कि यहां जो चर्चा हुई है, उस पर कैबिनेट की मीटिंग में चर्चा करें। वकील के तौर पर हमारा महकमा आपकी बात को आगे पेश करेगा, यही में आप से कह सकता हूं। राजेश रंजन साहब ने बिल से बाहर बिहार की चर्चा की, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी कि जो डिजास्टर्स हुए हैं, वह मैन मेड हैं या प्राकृतिक हैं। इस पर चर्चा हो सकती है।

महोदय, जगदम्बिका पाल साहब, रामस्वरूप शर्मा जी, दुष्यंत सिंह जी और भगवंत मान साहब और अन्य माननीय सदस्यों ने इस प्रस्ताव पर जो अपनी बात रखी है, उसमें उन्होंने इसको प्रिज़र्व और प्रोपगेट करने के लिए जो दिल की भावना थी, जो पीड़ा थी, वह नज़र आ रही थी। उससे यह सरकार अवगत है। मैं पोखरियाल साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए अपने बिल को आज वे विदड़ॉ करें। सरकार की तरफ से पूरी सहानुभूति पूर्वक इस विषय पर पहले से ही गौर किया जा रहा है। डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक: माननीय सभापति जी, इस विधेयक पर मोहम्मद सलीम साहब, राजेश रंजन जी, जगदम्बिका पाल जी, रामस्वरूप शर्मा जी, अनुराग ठाकुर जी, दुष्यंत जी और हमारे भगवंत सिंह मान जी ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। मुझे लगता है कि यदि वक्त होता तो इस पर बहुत सारे सांसदगण इस पर अपनी भावनाएं व्यक्त करते।

माननीय मंत्री जी का मैं बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इस बात को स्वीकर किया कि हां, इसकी जरूरत है और यह पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में है। मैं उनका बहुत आभारी हूं कि उन्होंने सभी लोगों की भावनाओं का बहुत सम्मान भी किया और यह भी कहा कि निकट भविष्य मे जब तक नहीं होता, हम इस

पर विचार कर रहे हैं। इसिलए मैं बहुत आशान्वित हूं कि इस हिमालय बैल्ट का एक अलग मंत्रालय गठित होगा जो देश के लिए ताकत बनेगा। यदि हमने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक अलग से मंत्रालय का गठन किया, यदि हमने जम्मू-कश्मीर के लिए गृह मंत्रालय का एक विभाग गठित किया लेकिन इधर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को हमने छोड़ दिया तो आखिर इन दो राज्यों ने वह कौन सा अपराध किया था क्योंकि इन दो राज्यों में औसतन एक परिवार से एक व्यक्ति सेना में भर्ती होकर राष्ट्र की सीमाओं पर कुर्बानी देता है। दूसरी पंक्ति में उसकी मां और बहनें सैनानियों की तरह अनन्य देशभक्ति का प्रमाण देते हैं। इस बात के एक नहीं बल्कि अनेक उदाहरण हैं।

इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं क्योंकि यह बात सही है कि सरकार बहुत सारे अनुदान देती है और यह विशेष राज्य के दर्जे में है। मैं इस बात को बड़े अनुरोध के साथ इस बात को संदर्भित करना चाहता हूं कि चाहे पूर्वोत्तर राज्यों का प्रश्न हो, आप एक विश्लेषण कर लीजिए कि केन्द्रीय नीतियों के अभाव में जो पैसा आप दे रहे हैं, वह किस स्थान पर खड़ा है? इसी सदन में इस पर चर्चा होती है। वह पैसा कहां जा रहा है? भारत सरकार निष्पक्ष रूप से कर रही है और पैसा दे भी रही है। आपने काउंसिल भी बना दी और तमाम 90 और 10 प्रतिशत के हिसाब से अनुदान भी दे रहे हैं। लेकिन नीतियों के अभाव में वह पैसा ठीक स्थान पर नहीं जा रहा है। इसलिए मैंने पिछली बार केवल चर्चा के लिए नहीं, बल्कि हम देश के बारे में विचार करते हैं। हम देश की प्रगति के बारे में विचार करते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि पूरे हिमालय की जो बैल्ट है, इसके लिए एक अलग मंत्रालय का गठन होना चाहिए चाहे पूर्वोत्तर राज्यों का है और चाहे वह जम्म-कश्मीर का है और चाहे यह हिमाचल और उत्तराखंड का है। इसका एक अलग मंत्रालय होना चाहिए। इसके लिए नीति बननी चाहिए क्योंकि अगर नीति बनेगी तो उसका क्रियान्वयन होगा और ज़मीन पर हमारी मंशा क्रियान्वित हो सकेगी। यह नीति जब यहां से बनेगी तो जो धनराशि इस समय भारत सरकार से जारी हो रही है, इसका कई गुना ज्यादा लाभ मिलेगा। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस विभाग का जरूर गठन किया जाए ताकि देश की प्रगति में, समृद्धि में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। चुंकि उन्होंने आश्वस्त भी किया है, इसलिए मंत्री जी के आश्वासन होने पर कि हमें जल्दी से जल्दी हिमालय का एक अलग मंत्रालय मिलेगा और जब तक नहीं होता तब तक इसी सत्र में कहीं न कहीं काउंसिल की शुरुआत हो जाएगी तो मैं इसी आशा के साथ अपने उस बिल को वापस लेता हूं।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक): सभापित महोदय, सबसे पहले मैं मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आश्वासन दिया। एक संक्षिप्त स्पष्टीकरण मैं चाहता हूं, चर्चा में निशंक जी ने हमारा ध्यान आकर्षण खास तौर पर दो राज्यों की तरफ किया। मगर इन राज्यों के साथ आप एक मंत्रालय का गठन करने के बारे में गंभीरता से विचार कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन इन राज्यों के साथ लगते हुए क्षेत्र हैं, जो फुटहिल ऑफ हिमालय है, जैसे आप जानते हैं कि कालका जिले मे, सहारनपुर जिले में आपके साथ सटा हुआ क्षेत्र है, जहां से आप आते हैं। हमारा शिवालिक का क्षेत्र है। मैं समझता हूं जब आप उन क्षेत्रों के लिए कंसैशन करें, मंत्रालय का गठन करें, नीतियां बनायें तो उन क्षेत्रों का भी ध्यान रखें। ऐसा एक छोटा सा सुझाव मैं देना चाहता हूं।

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक: महोदय, केन्द्रीय हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पर्वतीय राज्यों के संतुलित एवं चहुमुखी विकास हेतु विकास योजनाएं और स्कीमें तैयार करने तथा उनके कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए केन्द्रीय हिमालयी राज्य विकास परिषद नामक एक परिषद की स्थापना करने तथा उससे संबंध विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को मैं वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That leave be granted to withdraw the Bill to provide for the setting up of a Council to be called the Central Himalayan States Development Council to formulate development plans and schemes and also to monitor their implementation for the balanced and allround development of the hilly States comprising the Central Himalayan region and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक: महोदय, मैं इस प्रस्ताव को वापस लेता हूं।

17.46 hrs.

ANNOUNCEMENT BY THE CHAIR

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, before I call Dr. Kirit Premjibhai Solanki to move the motion for consideration of the Acid (Control) Bill, 2014, I have to inform the House that Shri Haribhai Parathibhai Chaudhary, hon. Minister of State in the Ministry of Home Affairs *vide* communication dated 27 November 2014 has intimated that the President, having been informed of the subject matter of the Bill, recommends the consideration of the Bill under Article 117 (3) of the Constitution in Lok Sabha.

17.47hrs.

ACID CONTROL BILL, 2014

HON. CHAIRPERSON: Now, Dr. Kirit Premjibhai Solanki.

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:-

"कि मानव, विशेष रूप से महिलाओं और बालिकाओं पर एसिड हमले को रोकने तथा एसिड के विक्रय और वितरण पर नियंत्रण रखने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सभापित महोदय, आपने मुझे एक ऐसे विषय पर बोलने की अनुमित दी है, जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आज महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। मगर जहां तक एसिड अटैक का सवाल है, मैं समझता हूं कि यह अपने आपमें एक जघन्य अपराध है। यह एक ऐसा अपराध है कि इस अपराध की वजह से पूरी मानव जाित शर्मसार होती है। इस अपराध में जिस तरह से महिलाओं का उत्पीड़न होता है, महिलाओं को जिस प्रकार से यातनाओं से गुजरना पड़ता है, महिलाओं को जिस प्रकार से दर-दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, मैं समझता हूं कि ऐसे एक विषय को उजागर करने के लिए आपने मुझे भारत ...(व्यवधान) श्री राजेश रंजन (मधेपुरा): सभापित महोदय, मंत्री जी कहां बैठे हैं?

माननीय सभापति : बहुत वरिष्ठ मंत्री बैठे हैं।

डॉ. किरिट पी. सोलंकी : आपने मुझे भारत की सर्वोच्च पंचायत यानी कि लोक सभा में इस बात को उजागर करने की अनुमित दी हैं, मैं आपके तथा सदन के माध्यम से और सरकार के माध्यम से पूरे देश का ध्यान आकर्षित करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जहां तक भारत की संस्कृति का सवाल है, भारत की एक ऐसी

विशाल संस्कृति है, जो हजारों साल पुरानी संस्कृति है। इस संस्कृति का जो एक महत्वपूर्ण बिंदु था, वह महिलाओं के प्रति आदर का बिंदू था और हमारी पुराणों और वेदों में सभी जगह लिखा हुआ है कि महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए, महिलाओं के प्रति आदर होना चाहिए। पुराणों में यह भी लिखा है -'यत्र यत्र नार्यस्तु पुज्यंते, तत्र रमन्ते देवता।' यह हमारे देश की विरासत है, यह भारत भूमि की विरासत है और जब ऐसी भूमि में महिलाओं के प्रति उत्पीड़न होता है, महिलाओं के प्रति अत्याचार होता है, तब सबको चिंतन करने की जरूरत है। हम सबको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस पर सोचने की आवश्यकता है। ऐसे मौके पर आपने मुझे एसिड अटैक 2014 विधेयक लाने की आपने अनुमति दी है। मैं सभी माननीय सदस्यों का बहुत आदर करता हूं। यह एसिड अटैक महिलाओं पर किया जाता है। अक्सर एसिड अटैक युवा महिलाओं और युवा बालिकाओं पर किया जाता है। इस अटैक की वजह से उनके चेहरे पर जो तेजाब डाला जाता है, इसकी वजह से कभी-कभी उनकी मृत्यु भी हो जाती है। वे जीवित रहती हैं, मगर ऐसी अवस्था में जीवित रहती हैं कि वे दर-दर की ठोकरें खाती हैं। वे पल-पल मरती हैं। वे पल-पल बेबस होती हैं। उनकी जिंदगी पूरी तरह से उजड़ जाती है। जब ऐसा अटैक होता है, तब पूरे समाज के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक विचार करने का सवाल पैदा हो जाता है। ऐसी स्थिति से कैसे निपटा जाए? ऐसी स्थिति से कैसे हम उनको प्रिवेंट कर 🚟 और इसीलिए मैं समझता हूँ कि पूरे देश में यह सदन बहुत प्रकाश डाल सकता है। यह सदन एक ऐँसा कठोर कानून पारित कर सकता है कि कोई भी व्यक्ति महिलाओं के प्रति इस प्रकार का दुर्व्यवहार न कर सके। इसी अशय से मैंने इस बिल को प्रस्तुत किया है। महिलाओं पर जब एसिड का अटैक होता है, तब अक्सर उनकी आंखें चली जाती हैं, अक्सर उसके कान चले जाते हैं, चेहरा विकृत हो जाता है, उनके होंठ चले जाते हैं। उसके बाद उनकी जो स्थिति होती है, समाज भी उनको नहीं स्वीकारता है। वे हीन भावना से लज्जित होती हैं। यह एक ऐसी विषम स्थिति है, जो मृत्यु से भी बदतर है। हर पल पर ऐसी महिलाएं मरती जा रही हैं। इनके लिए एक-एक पल बिताना भी मुश्किल हो जाता है।

इसीलिए हम सभी को इन महिलाओं के लिए एक ठोस कदम उठाना चाहिए। इस पार्लियामेंट को ठोस कदम उठाना चाहिए। अगर लोकतंत्र को मज़बूत करना है तो महिलाओं के प्रति ऐसे उत्पीड़न को हमें रोकना चाहिए। पिछली 15वीं लोक सभा का मैं भी सदस्य था। उस वक्त निर्भया पर जिस तरह से अटैक हुआ था, उस पर जिस तरह का उत्पीड़न हुआ था और उसके बाद उस बेबस महिला की मृत्यु हो गई थी। पूरा देश उसके पीछे खड़ा हो गया था। इस सदन ने भी एक आवाज़ से उनके प्रति अपनी संवेदना दिखाई थी। सिर्फ संवेदना ही नहीं दिखाई उनके प्रति एक कानून बनाया था, एक विधेयक पारित किया था, जो कि

सर्वसम्मित से पारित किया गया था। मुझे तब लगा था कि यह सदन इतना सेंसिटिव है कि ऐसे मामलों में दलगत राजनीति से भी ऊपर उठ कर महिलओं के सम्मान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाता है। ऐसे सदन का सदस्य होने के नाते मैं खुद गौरव महसूस करता हूँ। जब उन पर अटैक हुआ था, तब जिस तरह से पूरे देश में, चाहे वह मीडिया हो, चाहे वह छोटे-छोटे बच्चें हो, उन्होंने मोमबत्ती ले कर प्रदर्शन किया था। न सिर्फ इंडिया गेट पर हुआ था, सुदूर छोटे-छोटे गांव में भी लोगों ने उसके प्रति विरोध प्रदर्शन किया था। जिस तरह से वह प्रदर्शन हुआ था, पूरा देश एकजुट हुआ था। उस वक्त की स्थिति ऐसी थी कि जब पाकिस्तान के साथ अपना युद्ध हुआ था, जब सन् 1962 में चाइना के साथ युद्ध हुआ था, तब जिस तरह से देश एकजुट हुआ था। उसी तरह से महिलाओं के सम्मान के प्रति, महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए यह देश एकजुट हुआ था।

सभापति जी, यह जो एसिड का हथियार है, यह बहुत मामूली हथियार है। एक लीटर एसिड की कीमत महज 20 से 25 रूपये होती है। यह पहले किराना के स्टोर पर मिलता था। यह इतना ज्वलंत होता है कि किसी भी महिला के चेहरे पर अगर एक बूंद भी पड़ जाती थी, तो वह तरसती थी, उनका पूरा का पूरा चेहरा विकृत हो जाता था। मैं समझता हूँ कि पूरे मानव जाति के लिए यह बहुत ही जघन्य अपराध है। हम सब के लिए वह शर्मसार है। ऐसे जुर्म को रोकने के लिए हमें एकजुट हो कर आगे आना चाहिए। यह सदन एक बिल पारित कर सकता है, एक विधेयक पारित कर सकता है। कभी-कभी महिलाओं पर जब ऐसे अटैक होते हैं तो एकतरफा लव वाले लोग उन पर हमला करते हैं। कई महिलायें अपने पति से अलग रहती हैं, वे उन पर हमला कर सकते हैं। कोई प्रेम में अंधा हुआ व्यक्ति भी उस पर हमला कर सकता है और वह उस महिला की जिंदगी को निरस्त कर सकता है, उसकी जिंदगी को बेबस बना सकता है। वह महिला हर क्षण अपने आप को कोसती है। उसकी मदद के लिए आगे आने को भी कोई खड़ा नहीं होता है। ऐसी महिलाओं के प्रति हमें संवेदनशील रहना चाहिए। इस देश की संस्कृति ने हमें यही सिखाया है, इस देश की विरासत ने हमें यही सिखाया है। यह देश जब इस तरह से महिन्स्यों के साथ खड़ा होता है तो जो एसिड अटैक बिल है, मैं इस बिल को समर्थन देने के लिए सभी दलों के नेताओं को, पूरे देश की जनता को करबद्ध प्रणाम करता हूँ। मैं उनसे यह निवेदन करता हूँ, मैं सभी से यह प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी महिलाओं के लिए, ऐसी महिलाओं के उत्पीड़न के विरोध में एकजूट होकर पूरा देश उनके साथ खड़ा होगा, मुझे इसका पूरा यकीन है। महिलाओं के प्रति जो अत्याचार होता है, इसमें कई बार अटैक करने वाले लोग आइडेंटीफाइड भी नहीं होते हैं, इसकी वजह से उनको किसी भी प्रकार से दंडित करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। वे अनजान लोग होते हैं। वे एसिड डालकर छिप जाते हैं। वे गुमनाम हो जाते हैं और वह महिला पूरी जिंदगी अपने आँसू बहाती रहती है, दर-दर की ठोकरें खाती रहती है। सबके सामने उसे

शर्मसार होना पड़ता है। ऐसे एक विषय को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ, मैं समझता हूँ कि यह सदन पूरी तरह से उसके साथ अपनी भावना व्यक्त करेगा।

जहाँ तक सजा का सवाल है, एसिड अटैक के संबंध में वर्तमान में जो लीगल प्रोवीजन हैं, इसमें महिलाओं के प्रति जो एग्जिस्टिंग लॉ है, उस लॉ में कोई बड़ी बात नहीं है, मगर पिछले कुछ सालों में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने वर्ष 2009 में एक रिकमेंडेशन दिया था और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने इंडियन पीनल कोर्ट के कुछ सेक्शन में इजाफा किया था। इस सेक्शन की वजह से it was exclusively for acid attack वह किया गया था। मैं इसका स्वागत करता हूँ। मैं मानता हूं कि यह सदन उससे भी ज्यादा ठोस कदम उठा सकता है। उसमें जो भी त्रुटियां हैं, उसे यह सदन ब्रीज-अप कर सकता है। आईपीसी की धारा में जो रिकमेंडेशन किया गया था, वह क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल, 2013 में हुआ था। उसमें सेक्शन 326 (ए)के तहत दस साल से लेकर life imprisonment तक की सजा का प्रावधान किया गया था।

मुझे स्मरण आता है कि मध्य प्रदेश में एक महिला के साथ ऐसा घृणित व्यवहार हुआ था। वह महिला जब रात में अपने घर में सो रही थी, तब उसके कोई कथित प्रेमी ने उसके मुँह पर एसिड डाल दिया था। उस महिला पर ऐसा एसिड डाला कि बाद में उसकी मृत्यु हो गयी थी, उसकी हत्या हो गयी थी। उसी वक्त मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था। उस जजमेंट में जिस व्यक्ति ने एसिड डालने का काम किया था, उसे सजा ए मौत दी गयी थी। वहाँ उस वक्त कोर्ट ने इस तरह की ऑब्जर्वेशन दी थी कि इस व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से फाँसी देनी चाहिए और जब तक वह व्यक्ति तड़प-तड़पकर मर नहीं जाता है, तब तक उसको लटकाते रखना चाहिए। ऐसा उस वक्त कोर्ट का रवैया रहा था और मैं उससे पूरी तरह सहमत भी हूँ। ऐसे जो क्राइम होते हैं, वे हत्या के क्राइम से भी बहुत खराब होते हैं। मैं समझता हूँ कि यह क्राइम महिलाओं के प्रति रेप से किसी भी रूप में कम नहीं है। ऐसा क्राइम करने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए।

18.00 hrs.

उस वक्त जो अमैंडमैंट किया गया था, इसके सैक्शन 231 में 10 साल से लेकर लाइफ इंप्रिज़नमैंट तक की सज़ा का प्रावधान किया गया था। उसमें सैक्शन 326 बी के तहत जो प्रावधान किया गया था। जो पहले वाला 326ए सैक्शन है, जो लोग ऐसा करते हैं, जो लोग उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं और एसिड लगाते हैं, उनके लिए यह किया था। जो उन पर ऐसा अटैम्प्ट करते हैं, उनके लिए पाँच साल से लेकर सात साल तक जेल का प्रावधान किया गया था। जहाँ तक उसकी ट्रीटमैंट और चिकित्सा का सवाल है...।

HON. CHAIRPERSON: You can continue next time.

We shall now take up 'Zero Hour'.

श्री बदरुद्दीन अजमल (धुवरी): सर, बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। यह बड़ा महत्वपूर्ण इश्यू है। मेरे क्षेत्र में मनकचर नाम का एक एरिया है जो बंग्लादेश के बिल्कुल बॉर्डर पर है। उसके एक तरफ मेघालय बॉर्डर है और दूसरी तरफ ब्रह्मपुत्र नदी है। वहाँ मनकचर के लोगों को आने-जाने के लिए मेघालय बॉर्डर से होकर ही गुज़रना पड़ता है और वह 100 किलोमीटर से लंबा फासला है। इस एरिया में गुज़िश्ता दो-तीन सालों से किड़नैपिंग बहुत बढ़ गई है, मर्डर बहुत हो रहे हैं और जो लोग गए, वे मर्द हों या औरत, वे फिर वापस नहीं आते। तकरीबन ढाई-तीन साल में 250 से ऊपर लोगों के लापता होने की इत्तला है। आज तक उनकी लाशें भी नहीं मिलीं और उनकी कोई खबर भी नहीं मिली। इसलिए में इस हाउस के ज़रिये आपके माध्यम से चाहता हूँ कि सरकार इस तरफ ध्यान दे, इसको सीरियसली ले और इस मर्डर तथा किलिंग को बंद कराया जाए। वहाँ जो भी व्यवस्था सरकार को करनी हो वह करे ताकि इन लोगों को निरापदता मिले। इन बेचारे लोगों को रोज़ बाज़ार करने के लिए भी उसी तरफ जाना पड़ता है। जो जाता है, वह फिर वापस नहीं आता है, यह बड़े दुख की बात है। मुझे उम्मीद है कि आप इस पर ध्यान देंगे।

श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर): माननीय सभापित जी, मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में एक विषय लाना चाहता हूँ। अजमेर से रेवाड़ी होकर दिल्ली के लिए रेलवे लाईन पर मेरे संसदीय क्षेत्र में श्रीमाधोपुर नाम का एक करबा पड़ता है। इस क्षेत्र से लगभग 150 गाँव जुड़ते हैं। सेना में झुंझुनू और सीकर के सबसे अधिक नौजवान होते हैं। सीकर से दिल्ली की दूसरी लाईन बंद होने के कारण केवल एकमात्र यह लाईन है जिससे जवान जाते हैं। सैनिकों को सबसे बड़ी समस्या होती है कि उनको जो वारंट मिलता है, वह केवल रेलवे का मिलता है, बस का नहीं मिलता है। मेरा निवेदन है कि वहाँ किसान भी हैं और वहाँ ए श्रेणी की मंडी भी है। यदि श्रीमाधोपुर रेलवे स्टेशन पर गाड़ी संख्या 22451/52 चंडीगढ़-बांद्रा एक्सप्रैस ट्रेन रुक जाए तो इससे किसानों को, सैनिकों को तथा बहुत सारे लोगों को लाभ होगा। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि इस ट्रेन को श्रीमाधोपुर रेलवे स्टेशन पर रोका जाए ताकि सैनिकों को विशेष लाभ मिल सके।

श्री भगवंत मान (संगरूर): सभापित जी, जब पंजाब का नाम सामने आता है तो हरे-भरे खेत, नाचते-गाते झूमते लोग मन में आते हैं। आज़ादी की जंग में पंजाब की 90 प्रतिशत से ज्यादा कुर्बानियाँ हैं और हरित क्रांति से देश के अनाज का भंडार भी पंजाब ने भरा, लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ता है कि आजकल पंजाब पूरी तरह से ड्रग्ज़ की समस्या की चपेट में आ गया है। कई गाँव तो ऐसे हैं जहाँ पर एक दिन में 15 से 20 लाख रुपये की स्मैक बिक जाती है। सिविल कर्फ्यू वहाँ लग जाता है, शाम 4 बजे के बाद बाहर

निकलना मुश्किल है। किसी का मोबाइल छीन लिया, औरतों के कान की बालियाँ छिन जाती हैं। यह समस्या बहुत बड़ी है। पंजाब की जवानी बरबाद हो रही है। जो बड़े-बड़े स्मगलर पकड़े गए हैं, उन्होंने जो नाम लिये हैं, वे बड़े-बड़े नेताओं के हैं जिनमें ..* का नाम आया है। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : यह उचित नहीं है और न यह रिकार्ड पर रहेगा। जो इस सदन के सदस्य नहीं है, उनका नाम लेकर आप आरोपित कर रहे हैं। न यह उचित है, न यह यहाँ की परंपरा रही है। वह कार्यवाही में नहीं रहेगा।

श्री भगवंत मान: मैं यह कहता हूँ कि बड़े-बड़े स्मगलर जो खुलासे कर रहे हैं, ईडी को फाइनैंस मिनिस्ट्री अलाउ करे कि उनके खिलाफ अनुमित देकर जाँच हो जाए। जाँच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मैं जाँच की मांग तो कर सकता हूँ कि जो आरोपी हैं और जिनके नाम लिये गये हैं, उनके खिलाफ जाँच की अनुमित ईडी को मिले तािक पंजाब की जवानी को बरबाद करने वालों के नाम सामने आ सकें और सत्य सामने आ सकें और पंजाब दोबारा देश की तरक्की में अपना योगदान दे सके।

श्रीमती कृष्णा राज (शाहजहाँपुर): महोदय, आपने मुझे लोक महत्व के विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं।

महोदय, किसी भी देश की समृद्धि के लिए उसके यातायात के साधन का सुगम होना बड़ा मायने रखता है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि भारत की राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को जोड़ने के लिए मात्र एक सड़क, जो सबसे ज्यादा चलती है, वह राष्ट्रीय राजमार्ग-24 है। यह निर्माणाधीन है और इसके बनने की गति बहुत धीमी है। मैं आपको बताना चाहती हूं कि उसके पीछे एक कारण है कि बहुत सारे किसानों को आज भी मुआवज़ा नहीं मिला है और वे इसमें व्यवधान पैदा करते हैं। इस मार्ग के अधूरे पड़े रहने से लगभग 500 किलो मीटर की दूरी में प्रत्येक दिन औसतन सौ लोगों की मृत्यु होती है, लोग दुर्घटना के शिकार होते हैं। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप भारत सरकार को निर्देशित करें और अविलम्ब इस मार्ग को पूर्ण करने का ध्यानाकर्षण करें।

दूसरा, मैं अपने लोक सभा क्षेत्र के कुछ मार्गों के बारे में बताना चाहूंगी। मेरा संसदीय क्षेत्र शाहजहांपुर है।

माननीय सभापति: आप मेरी बात शांति से सुनिए। एक नोटिस में एक ही विषय आता है। अभी आपको साढ़े चार साल और बाकी है। आप इस बात को सीख लीजिए कि एक बार में एक ही विषय आएगा, दूसरा विषय नहीं आएगा। आप बैठ जाइए।

^{*} Not recorded.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरट): माननीय सभापित जी, पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों की बहुत बुरी हालत है। आप स्वयं पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं। आपको सभी चीज़ों की जानकारी है। वहां गन्ना किसानों को अभी तक पिछले वर्ष का भुगतान नहीं हुआ है। 19 नवंबर को प्रदेश के संबंधित मंत्री ने बताया कि अभी तक किसानों को 1445 करोड़ रुपये के भुगतान का बकाया है। इसका असर यह हो रहा है कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। बागपत में, बिजनौर में, सहारनपुर में आत्महत्याएं हुईं हैं। टिकरी, बागपत का एक उदाहरण तो बहुत ही हृदय विदारक है। उसने 80,000 रुपये का कर्ज़ भैंस खरीदने के लिए लिया था और 1,53,000 रुपये उसका गन्ने का बकाया था। उस पर बच्चों की स्कूल की फीस देने का दबाव था। वह नहीं कर पाया और पूरे देश का पेट भरने वाला किसान हिम्मत हार कर आत्महत्या कर बैठा। इस प्रकार की घटनाएं वहां पर हो रही हैं।

उन्हें गन्ने का दाम नहीं मिल रहा है। पिछली बार सरकार ने तय किया कि 280 रुपये में से 20 रुपये उन्हें बाद में मिलेंगे। इस बार 240 रुपये किया। उस बीस रुपये का आज तक पता नहीं है। जैसा मैंने पहले ही कहा कि सरकार खुद ही स्वीकार कर रही है कि उनका भुगतान अभी बाकी है। किसानों की लागत 272 रुपये से 290 रुपये के बीच में है, लेकिन वहां पर उनके गन्ने का ठीक दाम नहीं मिल पा रहा है। इसी के साथ, मिलें नहीं चल रही हैं। अभी तक पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जो सोलह मिलें हैं, उनमें से तीन मिलें अभी तक नहीं चलीं हैं। मेरे पास जो खबर है, उसके अनुसार पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 119 मिलों में से आधी मिलें अभी नहीं चलीं हैं। इसका परिणाम यह हो रहा है कि किसान अपने गन्ने का डिस्ट्रेस सेल के अंदर देने को मज़बूर हैं और खेत खाली न होने के कारण उसका असर गेहूं की फसल के उपर भी पड़ने वाला है।

महोदय, हालत यह है कि गन्ने का भुगतान न मिलने से वह बिजली का भुगतान नहीं कर पाता। यदि 30% से अधिक लोगों ने बिजली का भुगतान नहीं किया है तो उस पूरे गांव की बिजली काट दी जाती है। यह इतना दुःखद है और वहां की सरकार हमेशा किसानों के खिलाफ़ दिखाई देती है और चीनी मिलों के साथ दिखाई देती है। प्रदेश की मंडी में प्रवेश-शुल्क में उसने दो प्रतिशत की छूट दी है। उसने उनका 6.70 रुपये प्रति क्विंटल विकास शुल्क माफ किया है, लेवी समाप्त की है। सरकार भी मिलों के साथ दिखाई देती है, किसानों के साथ खड़ी दिखाई नहीं देती है।

सभापित महोदय, मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन है कि इसमें हस्तक्षेप करे। प्रतिवर्ष वहां का जो गन्ना किसान बर्बाद होता है, उसको कुछ राहत मिले, उसका कोई हाथ पकड़ ले, यह मेरा आपसे निवेदन है।



सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं पुन: आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा): सभापित महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। देश के सबसे संवेदनशील और गंभीर मुद्दों को ले करके मैं इस देश की सरकार के समक्ष और देश के 120 करोड़ लोगों के समक्ष खड़ा हूं। सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार के आदेश लगातार निजी संस्थाओं के द्वारा, जो निजी स्कूल एवं विद्यालय हैं, लगातार सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार ने एक प्रावधान दिया कि जो निजी स्कूल एवं संस्थान हैं, उनमें बीस प्रतिशत गरीब किसान के बच्चे, गरीब छात्र, मेघावी छात्रों का नामांकन लिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बार-बार आदेश के बावजूद और भारत सरकार के आदेश के बावजूद भी आज तक बीस प्रतिशत गरीब छात्रों का नामांकन नहीं लिया जाता है। यदि जबरदस्ती जहां पर लिया भी जाता है, उनको केवल कागज में दिखा दिया जाता है, उनका नामांकन नहीं होता। उसकी कोई जांच नहीं होती। उससे भी गंभीर सवाल यह है कि निजी संस्थान और निजी स्कूलों की जो फीस है, वह इस कद्र है कि इस देश के जो 92 प्रतिशत आम लोग हैं, जो गरीब किसान और मजदूर के बच्चे हैं, वे कभी भी अच्छे स्कूल में, निजी स्कूल में नहीं पढ़ सकते हैं।

सभापित महोदय, मेरा आपके माध्यम से इस सरकार से आग्रह है, ये कहते हैं कि श्रेष्ठ भारत बनाना है, शिक्षित भारत बनाना है और इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करना है। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि इस देश में जितने भी तकनीकी संस्थान या निजी स्कूल हैं, उस स्कूल की फीस को कैसे कंट्रोल किया जाए, जो अत्यधिक रूप से गरीबों से ली जाती है। इस कारण से गरीब और मेघावी छात्र इन स्कूलों में नहीं पढ़ पाते। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की व्यवस्था सही नहीं है। हमारा जो मानव संसाधन मंत्रालय है, ये कैसे इसकी रोकथाम करेगी? सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार के आदेश को कैसे बीस प्रतिशत छात्रों को लागू करेगी, बीस प्रतिशत गरीब छात्र, किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? इसके लिए कोई कठोर कानून ला करके सरकार, इन दोनों मुद्दों पर, शिक्षण संस्थान मेघावी छात्रों की फीस कम करे, गरीबों की फीस कम करे। इसके साथ-साथ बीस प्रतिशत बच्चों का नामांकन ले, यह मैं आपके माध्यम से सरकार को आग्रह करूंगा, इस पर कोई नया कठोर कानून लाए।

HON. CHAIRPERSON : The House stands adjourned to meet on Monday, the $1^{\rm st}$ December 2014 at 11 a.m.

18.12 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, December 1, 2014/Agrahayana 10,1936 (Saka).

